

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission



Annual Administrative Report

2015-16

वार्षिक रिपोर्ट

२०१५-१६

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग



ANNUAL REPORT **2015-16**

(U/S 105 of The Electricity Act, 2003)

वार्षिक रिपोर्ट

२०१५-१६

(धारा 105, विद्युत अधिनियम, 2003)

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION**

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
खलीनी, शिमला-171002

TABLE OF CONTENTS

Chapter –1	1
<i>Constitution of Electricity Regulatory Commission</i>	1
Chapter-2	4
<i>Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC)</i>	4
CHAPTER-3	9
<i>Decision making process, including channels of supervision and accountability</i>	9
CHAPTER-4	10
<i>Norms for the discharge of its functions</i>	10
CHAPTER-5	11
<i>Budget indicating the particulars of plans, proposed expenditures and disbursements made</i>	11
CHAPTER-6	12
CHAPTER-7	40
<i>Consultations with, or representations by, the members of the public in formulation of policy or implementation.</i>	40
CHAPTER-8	40
<i>Committees and other advisory bodies constituted for advice</i>	40
CHAPTER-9	41
<i>A brief overview of the Power Sector Departments and State Utilities</i>	41
CHAPTER-10	49
<i>Directory of Officers and Staff</i>	49
CHAPTER-11	49
<i>Remunerations of Officers and Staff</i>	49
CHAPTER-12	50
<i>Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by the Commission or used for discharging its functions.</i>	50
CHAPTER-13	51
<i>Subsidy programmes, including the allocations and the beneficiaries</i>	51
CHAPTER-14	51
<i>Recipients of concessions, permits or authorizations granted</i>	51

CHAPTER-15	51
<i>Details of the information available or held by it, in an electronic form</i>	<i>51</i>
CHAPTER-16	51
<i>Facilities available to citizens for obtaining information, including library or reading room, if maintained, for public use</i>	<i>51</i>
CHAPTER-17	52
<i>Names, designations and other particulars of the Public Information Officers</i>	<i>52</i>
CHAPTER-18	53
<i>Categories of documents held by the Commission or under its control</i>	<i>53</i>
Annexure –I	54
Telephone Directory of the Staff of the Commission as on 31.03.2016	54
ANNEXURE-II	55
<i>Salary of the Chairman, Officers and Employees as on 31.03.2016</i>	<i>55</i>
ANNEXURE-III	56
DETAILS OF STAFF w.e.f. 01.04.2015 to 31.03.2016	56
ANNEXURE-IV	58
<i>State Advisory Committee Members of the Commission</i>	<i>58</i>

Chapter –1

Constitution of Electricity Regulatory Commission

1.1 Legislative Provisions:

The HP Electricity Regulatory Commission (HPERC) was constituted by the Govt. of Himachal Pradesh under the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 in December 2000 and started functioning with effect from 06th January, 2001. At that time, the electricity industry in the country was governed by three enactments namely, the Indian Electricity Act, 1910; the Electricity (Supply) Act, 1948 and the Electricity Regulatory Commission Act, 1998. The Act of 1910 created the basic legal framework for the electricity supply industry in India, and the Act envisaged growth of the electricity industry through private licensees. It created legal framework for laying down of wires and other works relating to Electricity Supply Act of 1948, mandated the creation of the State Electricity Boards (SEBs). It was felt that electrification which was limited to cities needed to be extended rapidly and the State should step in to shoulder the responsibility. However, over a period of time, the performance of SEBs deteriorated, owing inter alia to the position of SEBs in not being able to take decision on tariffs in a professional and independent manner and the tariff determination in practice being done by the State Governments. To address this issue and to provide for distancing of government from determination of tariffs, the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 was enacted. This Act created the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and had the enabling provisions for the creation of State Electricity Regulatory Commissions (SERC) by the States Governments. Many State Govt., had enacted their own Acts to bring in reforms in the electricity sector. Under the State Reforms Acts, States like Orissa, Haryana, Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan and Uttar Pradesh had already undertaken reforms in the direction of unbundling SEBs into separate Generation, Transmission and Distribution Companies through their respective transfer schemes and establishing SERCs.

The Electricity Act, 2003 was enacted on 26th May, 2003 to consolidate the laws, relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of Central Electricity Authority, State Electricity Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal. This Act of 2003 mandated private sector participation in generation, transmission and distribution, the distancing of Governments from regulatory responsibility, harmonisation and rationalisation of the previous three Central Acts of 1910, 1948 and 1998 into a single legislation while preserving core features other than those relating to the existence of SEBs, obviating the requirement of each State Government to pass its own Reforms Act while also obviating the regulating of licensees by the State Government and SEBs.

All the State Electricity Regulatory Commissions, constituted under the Electricity Act, 2003, and also the Central Electricity Regulatory Commissions and State Electricity Regulatory Commissions created under the 1998 Act and under the State Reforms Acts, now function under the Electricity Act, 2003. These Commissions function as statutory bodies with a quasi-judicial and legislative role and functions.

1.2 Objectives of the Constitution of State Commissions:

With the policy of encouraging private sector participation in generation, transmission and distribution and the objective of distancing the regulatory responsibilities from the Government to the Regulatory Commissions, it was necessary to have national registration providing for a comprehensive and uniform regulatory frame work in the country, at national and the State level for all the States and also for newer concepts of markets development including open access and trading. Therefore, the main objectives of the Electricity Act 2003 is to enable the power sector to develop and commercial principles by encouraging and facilitating investments, competition and market development thereby ultimately benefiting the electricity consumers by making available quality supply at competitive rates. In this context, the role of the State Commissions is pivotal in order to realise the objectives, envisaged in the Electricity Act and Policies framed there under.

1.3 Functions of the State Commission:

The main functions of the Commission are determination of tariff for generation, transmission and supply of electricity and to facilitate transmission and wheeling of electricity based on commercial principles that would encourage investments, competition and efficiency in power sector and at the same time safeguarding consumers' interest in terms of tariff, quality of service and an effective grievances redressal.

As per section 86(1) of the Electricity Act, 2003, the State Commission has been assigned the following mandatory functions: -

- To determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

- To regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;
- To facilitate intra-State transmission and wheeling of electricity;
- To issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operation within the State;
- To promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such

sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

- To adjudicate upon the disputes between the licensees and generating companies and to refer any dispute for arbitration;
- To levy fee for the purposes of the Act;
- To specify State Grid Code consistent with the Grid Code specified under clause (h) of sub-section (1) of section 79;
- To specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;
- To fix the trading margin in the Intra-State trading of electricity, if considered, necessary;
- To discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

The Commission under section 86(2) of the Electricity Act, 2003 can advise the State Government on all or any of the following matters, namely:-

- (i) Promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;
- (ii) Promotion of investments in electricity industry;
- (iii) Reorganization and restructuring of electricity industry in the State;
- (iv) Matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred by State Government.

Chapter-2

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC)

2.1 Constitution of Commission:

The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission is a statutory organization and is a body corporate established on 30.12.2000 under the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (14 of 1998) and started functioning from 6th January, 2001 with its headquarter at Shimla. As per Section 82 of the Electricity Act 2003, the Electricity Regulatory Commission, under the Act of 1998 shall be the State Commission for the purpose of the Act of 2003.

As per Section 82(4) of the Electricity Act, 2003, the State Commission shall consist of not more than three Members, including the Chairperson.

Chairperson and Members of the State Commission are appointed by the State Govt. on the recommendation of a Selection Committee headed by a person who has been a Judge of the High Court and comprising of Chief Secretary of the concern State and the Chairperson of the Central Electricity Authority or Chairperson of Central Electricity Regulatory Commission as Members and shall hold office for 5 years or up to 65 years of age, whichever is earlier.

The State Commission, at present is only one member Commission. The detail from first Chairman and his successor are as under:-

Sr. No.	Name	Period
1.	Sh. S.S.Gupta	06.01.2001 to 05.01.2006
2.	Sh. Yogesh Khanna	31.01.2006 to 29.01.2011
3.	Sh. Subhash Chander Negi	01.02.2011 to 20.09.2015
4.	Sh. S.K.B.S.Negi	01.10.2015 to Continue

2.2 Organisation Structure:

2.2.1 Multidisciplinary Team:

The nature and scope of the functions of the Commission as laid down under the Electricity Act 2003 require its Members and staff to have varied knowledge and experience as is apparent from the qualifications laid down for appointment of Chairperson and Members of the State Commissions wherein persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, and have shown capacity in, dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law or management shall be considered. Accordingly, the Commission has a small team of officers having different professional background, most of them appointed


on secondment basis, and assisted by a small group of administrative, secretarial and support staff. In addition, in certain matters, the Commission is availing the services of consultants as per provisions of section 91 of the Act and also outsourcing certain functions like office security, reception, office help, sanitation etc.

2.2.2 Sanctioned Strength:

The number and nature of posts and salaries and allowances and other terms and conditions of service are specified by the Commission with the approval of the Govt. of Himachal Pradesh. The total sanctioned strength of the officers and other employees of HPERC is 46, out of which 28 were in position during the year. In spite of repeated efforts, the Commission had not been able to fill up the posts, mainly because either the lending organizations are unable to spare services of their staff and/or in absence of any incentive, persons are not willing to be posted on secondment basis.

2.3 Structure:

The Commission has its only office at Shimla. The organization structure is best depicted by the following organizational chart:-



2.4 Allocation of Functions:

The Commission has its office at Shimla. Chairperson is the Chief Executive of the Commission. The office of the Commission has three Divisions namely, Administrative, Technical and Tariff Divisions. Various functions of the Commission are allocated to these Divisions and their Heads as under:-

2.4.1 Administrative Division:

This Division is headed by the Secretary of the Commission who is a senior member of HP Administrative Services and provides a vital support service to the Commission in administration, finance and legal matters, recruitment of executive and non-executive staff and overseeing operational matters such as Co-ordination and liaisoning with State and Centre Govt. and its organization, budget, purchases and procurement, maintenance and care taking, personnel management, legal and court matters, training and performance appraisal etc. are its key functions.

- **Secretary:**

Secretary is the head of the Secretariat and Administration Division of the Commission. He is an interface between the Commission and various wings of the Commission, the Centre and the State institutions and Stakeholders. He advises the Commission on all matters of policy and administration. In particular, the Secretary performs the following functions:-

1. To discharge functions as Head of Department of the Commission and such other functions under the provisions of FRs & SRs, HP Financial Rules and other Civil Service Rules adopted for the Commission.
2. To act as ex-Officio-Secretary to organize periodical meetings of State Advisory Committee.
3. To discharge duties as per provisions specified in HPERC (Conduct of Business) Regulation 2005, and as :-
 - (a) to receive or cause to receive all petitions, applications, other filings or references pertaining to the Commission;
 - (b) to prepare or cause to prepare the briefs and summaries of all such filings presented before the Commission;
 - (c) to assist the Commission in proceedings conducted by the Commission;
 - (d) to authenticate the orders passed by the Commission;
 - (e) to ensure compliance of the orders passed by the Commission;
 - (f) to collect or cause to collect from the State Government, the Central Government and their agencies, the State electricity utilities or other offices, companies and firms or any other person as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act;
 - (g) to maintain a copy of statutory notification, rules, orders and directions made under the Act by the Central Govt., CEA, the State Government and CERC.
 - (h) to maintain in chronological order the authentic copies of regulations, statutory notification, order of the Commission and to keep the register containing their particulars.
 - (i) to provide all orders, directions and regulations made by the Commission on the website of the Commission.
 - (j) to accept on behalf of the Commission, the service of the summon and he also signs and verify the complaints and pleadings.

4. To ensure proper conduct and discipline of the officers/staff of the Commission.
5. Grievance redressal and consumer redressal.
6. To discharge any other functions assigned in any regulation under provisions of Electricity Act, 2003.
7. Any other duty assigned and delegated by the Commission.

2.4.2. Technical Division:

This Division deals with the regulatory affairs, which comprise of framing of Regulations, Grid Code, and Distribution Code, Supply Code etc. and associated functions, the preparation and review of cost allocations and rate design proposals, analysis and assessment of T&D losses and AT & C losses, evaluation of technical performance and standards of service, load forecasts, power purchase agreements etc. This Division is headed by Executive Director, which is in the rank of Chief Engineer (Electrical). He is assisted by one Director (Technical), who is in the equivalent rank of Superintending Engineer and two Deputy Directors and support staff.

Executive Director (Technical):

1. To provide expert advice to the Commission on issues relating to engineering, economics, statistics and other technical elements of policy analysis;
2. To understand and analyze the technical aspects of the evidence presented and assist the Commission in writing orders;
3. Undertake specific tasks, pertaining to cost allocation and rate design proposals, analysing and evaluating utility planning and operating decisions, reviewing plans and specifications of major utility construction projects, inspecting system improvement on site, monitoring utility reports, evaluating technical performance and standards of service;
4. Examine, analyze and evaluate the Power Purchase Agreements (PPAs);
5. Assist the Commission in issuing licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State.
6. Review and approval of all investment programmes, technical standards and procedures, grid and distribution codes, service standards, financial and economic standards, technical inspection and collection, compilation and analysis of technical data;
7. Prepare and review all relevant Regulations under the Electricity Act, 2003;
8. Inter State and intrastate transmission issues and other provision related to transmission facilities and distribution of electricity;
9. Facilitate/monitor implementation of Open Access.
10. Promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify consumption of electricity in the area of a distribution licensee.
11. Any other duty assigned by the Commission.

2.4.3. Tariff Division:

This Division deals with determination of tariff of utilities in the areas of generation, transmission and distribution of electricity, planning of long term tariff settings, providing of adequate financial and economic input into tariff process, review of the financial performance and compliance reports of utilities. This Division is headed by Executive Director which is in the rank of Chief Engineer (Electrical). He is assisted by one Director(Tariff), who is in the equivalent rank of Superintending Engineer and also two Deputy Directors and support staff.

Executive Director (Tariff):

1. Framing of Tariff Regulations and to determine tariff for generation, supply, load despatch, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail as the case may be, within the state.
2. Handle the tariff related matters keeping in view the National Electricity Policy, National Electricity Plan, Tariff Policy and State Electricity Policy.
3. Assist Commission in preparation of testimony and other material relating to cost of capital, finance charges, revenues, expenses, depreciation and tariff design etc.
4. Assist in the preparation of questions for cross-examination on accounting and finance matters, present direct testimony, evaluate rate case exhibits and advise the Commission on financial and economic issues.
5. Review and approval of all investments and development of the utilities.
6. Review of financial performance and compliance reports as well as submission of major incidents by the utilities.
7. Monitoring and compliance of T&D losses, AT&C losses.
8. Monitoring of standard of performance.
9. Any other duty assigned by the Commission.

CHAPTER-3

Decision making process, including channels of supervision and accountability

The Electricity Act, 2003 empowers the State Commission inter alia to frame different regulations, issue Orders under these regulations and to act and dispose off the petitions brought before it from time to time. While discharging these responsibilities, the Commission takes decision within the provisions of Act, Rules, Regulations, CPC, orders of Central Electricity Regulatory Commission/Appellate Tribunal for Electricity/Supreme Court of India, competent court and the provisions of Tariff Policy, Electricity Policy, Forum of Regulators recommendations etc. The procedure adopted for holding the proceedings before the Commission is specified in Chapter-II of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005. The Commission takes its decision independently in quasi judicial function and wherever technical support is required, it consults its technical team as well as the consultants appointed by it. So far as internal decision making process is concerned, the vertical reporting system is adopted by the officers and staff in discharge of their duties/work and the major decision-making is at the level of the Commission. However, routine decisions are taken in terms of rules and regulations and delegation of powers.

The Commission has structured its working through three Divisions, namely Administration, Finance and Legal Division, Technical Analysis Division and Tariff and Financial Analysis Division. Three Divisions are headed by the Secretary, Executive Director (Technical) and Executive Director (Tariff) respectively. All matters relating to the respective Divisions are dealt with by the supporting staff, posted therein or directly by the technical officers; and, the staff is answerable to the head of division. Similarly Heads of all Divisions submit the documents and report to the Chairman/Commission. While exercising power and discharging its duties, the State Commission ensures utmost transparency in its decision-making and follows the principles of natural justice including personal and public hearings.

CHAPTER-4

Norms for the discharge of its functions

The working of the Commission is regulated in terms of the Electricity Act, 2003, relevant rules and regulations and Govt. policies. In main spheres, the Electricity Act, 2003 specify the time limit for decisions for its major functions such as tariff determination and issuing of licenses. All the matters, pertaining to tariff determination or arising out of or related to tariff determination are also expected to be decided as per time schedule of 120 days from receipt of application, prescribed under the Act. However, due care is also taken to ensure that the principles of the natural justices are met. Norms for discharging of various functions as provided in the Office Manual for Government Department are also being followed by the Commission. So far as the norms for sanctioning various expenditure are concerned, the Commission in terms of Rule 5 of the Fund Rules has prescribed a financial procedure/delegation amongst Commission, Chairman, Secretary and Drawing and Disbursing Officer for sanctioning various kinds of expenditure.

CHAPTER-5

Budget indicating the particulars of plans, proposed expenditures and disbursements made

The Commission receives budget from the State Government annually in the shape of Grant-in-aid for payment of salary & allowances. Rs.90.00 lacs were allotted to this Commission for the year 2015-16 as Grant-in-aid under Major Head of Account: 2801-80-800-02-SOON-41 Non-plan. No further allocation of funds is made by the Commission as it has no subordinate offices. All the receipts and payments of the Commission were regulated through Commission's own Fund Rule as established and made operative vide GoHP notification No. MPP-A (3)-7/2004 dated 03.05.2007. The Annual Accounts of the Commission for the year 2015-16 were prepared on the prescribed formats as contained in the Fund Rules. The Accounts of the Commission are being prepared in the shape of Receipt and Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet.

The total income of the Commission for the financial year 2015-16 works-out to Rs. 422.68 lacs, whereas the expenditure for the relevant year was Rs.371.81 lacs, thereby the excess of income over expenditure as disclosed by the Income and Expenditure Account of the year ended 31.03.2016 works-out to Rs 50.87 lacs.

5.1 Financial position of the Commission:

The financial position of the Commission as on 31.03.2016 is as under:-

(Rs. in lacs)

Liabilities		Assets	
Particulars	Amount	Particulars	Amount
Corpus Fund	1435.89	Fixed Assets	31.12
Current liabilities & Provisions	107.40	Fix Deposit Receipts in bank	806.19
		Other Current Assets & Advances	554.29
		<u>Advance to HIMUDA for Land and construction of building i.e. Rs.97.00 lacs and 403.00 lacs respectively (500.00 lacs).</u>	97.00
		Security Deposits	0.57
		Cash & Bank Balances	54.12
Total:-	1543.29		1543.29

5.2 Laying of Annual Accounts of the Commission in Vidhan Sabha:

The Annual Accounts of the Commission for the year 2015-16 are prepared as per provisions contained in the Fund Rules and accounts so certified by the C.A.G. of India together with Audit report thereon are forwarded to the State Govt. for laying the same before the State Legislative Assembly as per requirement of rule 7(4) of HPERC Fund Rules and of section 104 of the Electricity Act, 2003.

CHAPTER-6

SUMMARY OF COMMISSION'S STATUTORY ACTIVITIES DURING THE YEAR

During the year, the following statutory activities have been undertaken by the Legal Section of the Commission:-

6.1 DISPUTE ADJUDICATION IN THE STATE COMMISSION, HON'BLE HIGH COURT, APPELLATE TRIBUNAL FOR ELECTRICITY (APTEL) AND SUPREME COURT OF INDIA.

The Commission's officers and staff attends to legal work relating to preparation of comments on the petitions / appeals and maintain liaison with its Counsels, engaged for pursuing and defending the petitions and appeals before the Hon'ble High Court of HP, the APTEL and the Supreme Court of India, for finalization and filing of written submissions/replies, counter affidavits to the petitions/ Appeals moved before them and for preparation of Appeals and Petitions to be filed on behalf of the Commission and it keeps apprised the Commission about the latest developments in pending cases, besides seeking legal advice from the Retainer Consultant (Legal), wherever required, while vetting court replies and finalizing regulations of the Commission. Details of Petitions/Appeals filed, decided and pending in the Commission, Appellate Tribunal, the High Court of HP and the Supreme Court of India, during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 are as under:-

ABSTRACT OF COURT CASES

I DETAILS OF CASES BEFORE THE STATE COMMISSION AT SHIMLA

Sr. No.	No. of Cases pending as on 31.03.2015	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	pending as on 31.03.2016	Remarks
1.	20	55	75	60	15	Details in para 6.1.1

II DETAILS OF CASES BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF HP AT SHIMLA.

Sr. No.	No. of Cases pending as on 31.03.2015	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Pending as on 31.03.2016	Remarks
1.	11	01	12	02	10	Details in para 6.1.2

III DETAILS OF CASES BEFORE THE HON'BLE APTEL AT NEW DELHI.

Sr. No.	No. of Cases pending as on 31.03.2015	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Pending as on 31.03.2016	Remarks
1.	16	04	20	11	09	Details in para 6.1.3

IV DETAILS OF CASES BEFORE THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA.

Sr. No.	Cases pending as on 31.03.2015	Cases filed during the year	Total Cases	Cases Disposed of during the year	Pending as on 31.03.2016	Remarks
1.	03	02	05	-	05	In these Appeals, parties have challenged the Orders of the APTEL & the Commission, being adjudicatory authority is not contesting in theses appeals (except one) which filed by the HPERC as detailed in para 6.1.4.

V. DETAILS OF CASES REFERRED TO THE ARBITRATOR

Sr. No.	Cases pending as on 31.03.2015	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Pending as on 31.03.2016	Remarks
1.	05	-	05	04	01	Referred to Hon'ble Justice Mukal Mudgal, Rtd. C.J. of the Punjab & Haryana, High Court, for Arbitration vide Order dated 10.12.14 as detailed in para 6.1.5

6.1.1 ADJUDICATION-CASES BEFORE THE STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AT SHIMLA

The petitions, replies, rejoinders and objections are examined and scrutinized by the Officers and Staff of the Commission. At the beginning of year under report 20 Nos. petitions were pending and during the financial year 2015-16, 55 petitions were received by the Commission from various petitioners and stakeholders under the Electricity Act, 2003, out of which 60 Nos. petitions have been decided/ disposed of by the Commission and 15 Nos. petitions were pending for disposal as on 31.03.2016. The Details of petitions filed/decided and pending during the year are given hereunder:-

(A) CASES FILED/ DISPOSED OF BY THE COMMISSION:

Sr. No.	Petition No.	Petitioner	Respondent	Description	Date of Institution	Date of Disposal
---------	--------------	------------	------------	-------------	---------------------	------------------

1.	Petition No. 49/2015	The HPSEBL & Suryakanta Hydro Energy Pvt. Ltd., Madhapur, Hyderabad-500081	-	Pet. u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for Approval of extension till 31.03.2016 of S/Term "PPA in r/o NANTI HEP (14MW).	31.03.2015	01.04.2015
2.	Petition No. 42/2015	The HPSEBL & M/s Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1) (b) of the EA, 2003 read with draft guidelines issued by the HPERC for approval of "SPPA" to be executed by the parties in r/o Ubharah , HEP (2.40 MW)	18.03.2015	02.04.2015
3.	Petition No. 178/ 2014	Sh. L.K. Mahajan, Khalini, Shimla-02	The HPSEBL, Shimla.	Order of HPERC dated 2.12.2013 in Petition No. 116/2013 compliance thereof.	22.09.2014	04.04.2015
4.	Petition No. 33/2015	M/s Rajeja Hydel Power (P) Ltd., Gurgaon.	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 & 94 of the Electy., Act 2003, read with HPERC, Reg.2007.	13.03.2015	04.04.2015
5.	Petition No. 219/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Annual performance review petition for 3rd Control Period FY 2014-15 to FY 2018-19 for Dist. Business.	28.11.2014	10.04.2015
6.	Petition No. 58/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Pet . for seeking approval of the Commission for implementation of Domestic Efficient Lighting Program (DELP) for LED bulbs in the State of HP under 24 X 7 Power for all.	27.04.2015	29.04.2015
7.	Petition No. 56/2015	The HPSEBL & M/s Sahu Hydro Power Ltd	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003 read with the draft guidelines issued by the HPERC for the approval of extension in validity till 30.9.2015 of the "Interim PPA" executed by the HPSEBL and M/s Sahu Hydro Power Pvt. Ltd. in r/o Kurtha Small HEP (5 MW) in Distt. Chamba.	22.04.2015	29.04.2015

8.	Petition No. 168/2014	The HPSEBL & M/s Sunshine Hydro Power Ltd.	-	Joint petition for approval of SPPA in r/o KALM (2.00MW).	02.08.2014	14.05.2015
9.	Petition No. 17/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Pet. under reg. 22 read with Reg. 24 of HPERC Reg., 2012, issuance of directions qua rationalization of IDC charges recoverable consumers under HPERC Reg., 2005.	20.02.2015	23.05.2015
10.	Petition No. 62/2015	The HPSEBL & M/s Himachal Hydel Projects (P) Ltd.	-	Application for approval of Supplementary PPA in R/o Kurhed Small HEP (4.5MW).	08.05.2015	23.05.2015
11.	Petition No. 63/2015	The HPSEBL & M/s Himachal Hydel Projects (P) Ltd.	-	Application for approval of Supplementary PPA in R/o Tulang Small HEP (3.0MW).	08.05.2015	23.05.2015
12.	Petition No. 68/2015	The HPSEBL & M/s Continental Infra Tech. (P) Ltd.	-	Petition u/s 86 (1) (b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for the approval of "SPPA" to be executed by the HPSEBL with M/s Continental Infra Tech Pvt. Ltd. in r/o Haripur Nallah HEP (from 1.5 to 3MW capacity enhancement).	14.05.2015	25.05.2015
13.	Review Petition No. 30/ 2015	M/s Usaka Hydro Power (P) Ltd., 240, Okhala Ind. Estate, New Delhi	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 (1) (f) of the EA, 2003 read with Reg., 63 of HPERC (COB) Reg., 2005, read with Order 47 Rule 1 of CPC, seeking review of Order dated 31.10.13 passed in Petition 91/2013.	07.03.2015	04.06.2015
14.	Petition No. 193/2014	M/s KKK Hydro Power Ltd., DLF, Ind. Area Faridabad Haryana.	The HPSEBL, Shimla-04	Passing of consequential Order, in pursuant to Order dated 17.10.14 passed by the APTEL, in Appeal No. 198/ 2013 & IA No. 433/2013.	21.10.2014	11.06.2015

15.	Petition No. 167/ 2014	HPSEBL & M/s Nanal Hydro Power Ltd.	-	Joint petition for approval of PPA (under REC Mechanism) in respect of HYSRUND, HEP (3.00MW)	02.08.2014	18.06.2015
16.	Petition No. 34/2015	M/s Yogindera Power Ltd., VPO Jalari, Teh. & Distt. Kangra	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 & 94 of EA, 2003, read with HPERC (RPPO & its Compliance) Reg., 2010 & read with Sec.151 of CPC for cancellation of approval dt. 15.12.2013 as sanctioned in Pet. No. 178/12 for signing of PPA.	16.03.2015	10.07.2015
17.	Petition No. 70/2015	M/s Winsome Textile Ind. Ltd. Industrial Area, Sai Road, Baddi, Solan-173205	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. for determination of wheeling, Banking and Captive use of power by Winsome Textile Ind. Ltd. from Manuni HEP 3.5 MW Applicability of existing Wheeling Agreement and other issues.	15.05.2015	10.07.2015
18.	Petition No. 36/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Pet. for HPERC (Recovery of Exp. for Supply of Electricity) Reg. 2012. Proposal for Schedule of Service Connection Charges as per Reg. 14.	18.03.2015	16.07.2015
19.	Petition No. 82/2015	The HPSEBL & M/s Kanchanjunga Power Comp. (P) Ltd.	-	Joint Pet. for seeking of approval for extension of validity till 31.3.2016 of the Short Term PPA executed between the HPSEBL & M/s Kanchanjunga Power Co.Pvt. Ltd. in r/o Baragaon (24 MW) HEP.	04.07.2015	16.07.2015
20.	Petition No. 69/2015	The HPSEBL & M/s Brua Hydrowatt (P) Industrial Area, Baddi, Solan.	-	Petition u/s 86 (1) (b) of the EA, 2003, seeking the approval of the "SPPA" to be executed by the HPSEBL and M/s Brua Hydrowatt Pvt. Ltd. in r/o Brua HEP (9MW) .	14.05.2015	17.07.2015

21.	Petition No. 81/2015	The HPSEBL & M/s Batot Hydro Power Ltd.	-	Joint pet. for seeking approval for the extension of validity till 30.6.2015 of the PPA already executed between the HPSEBL & M/s Batot Hydro Power Ltd. in r/o Balij-ka-Nallah (Stage-II) 3.5 MW Small HEP.	02.07.2015	17.07.2015
22.	Petition No. 134/2014	1. M/s Satya Sai Mandi 2. M/s Kangra Hydro Power, Kangra 3. M/s Ambey Hydro Projects, Hamirpur 4. M/s Vishal Hydro Enter. Kangra.	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 3 (3) of HPERC (Power Procurement from Renewable Sources & Co-generation by Distribution Licensee) Regulations of 2007.	25.06.2014	20.07.2015
23.	Petition No. 87/2015	The HPSEBL & M/s Sai Engineering Foundation	-	Joint pet. u/s 86(1)(b) of EA, 2003, for seeking the approval of the Short/Med. term PPA to be executed between the HPSEBL with M/s Sai Eng. Foundation in r/o Shimla HEP (5 MW).	22.07.2015	29.07.2015
24.	Pet No. 147/2014	The State of HP thro' SE, I & PH, Circle, Nahan	The HPSEB Ltd. & ors.	Complaint u/s 43 & 57 of the EA, 2003 read with rule 3 & 4 of the HPERC (Licensee's Duty for Supply of Electy. on Request) Reg., 2004 for damages to the tune of Rs 13664951/-+ Intt. 12% on amount of Rs. 1421 lacs from 16/11/2006.	16.07.2014	01.08.2015
25.	True-up Pet. No. 32/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Provisional True-up u/s 86 (f) of the EA, 2003, read with Reg., 63 of the HPERC (CoB) Reg., 2005 for Rev. of the APR Order dated 27.4.2013.	11.03.2015	03.08.2015

26.	Rev. Pet. 60/2015 in Pet. No. 171/14	M/s JPVL JUIT Complex, Wagnaghat, P Kandaghat, Distt. Solan (HP)	The HPSEBL, Shimla-04	Application for Review Order dated 30.3.2015 passed by HPERC in Pet. No. 171/2014 True up of Tariff for sale of power from Baspa -II HEP to HPSEBL for control period FY 11-12 to FY 13-14.	30.04.2015	04.08.2015
27.	Petition No. 88/2015	The HPSEBL & M/s Shiva Energies Resources (P) Ltd.	-	Joint Pet. u/s 86 (1) (b) of the Electricity Act, 2003, for the approval of the "PPA" to be executed between the HPSEBL and M/s SHIVA ENERGY RESOURCES Pvt. Ltd. in r/o KOTAGAD HEP (3.50 MW)	25.07.2015	07.08.2015
28.	Rev. Petition No. 77/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Rev. Pet. u/s 94(1)(f) of the EA, 2003 read with Reg. 63 (1) & (2) of the HPERC (CoB) Reg., 2005 for Rev. of 1st APR Order for 3rd MYT Control Period (FY 15-FY 19) & Deter. Of Tariff for FY 2015-16 on 10.4.2015.	17.06.2015	18.08.2015
29.	Petition No. 55/2015	M/s Manikaran Power Ltd. A-49, 3 rd Floor, Sector-8, New Delhi-110075	M/s JPVL Sector-128, Noida-301204	Pet. u/s 86(1)(f) of the Electricity Act, 2003 for direction to the Respondent for making payment towards compensation and surcharge payable under the Short Term Agreement for purchase power of firm basis dt. 17.6.2014.	09.04.2015	31.08.2015
30.	Petition No. 12/2012	Sh. P.N. Bhardwaj, ARCDIA, Dharmpur, Solan	The HPSEBL & Ors.	Petition u/s 42 (1) and Sec 57(1) of the Electricity Act 2003, for construction of 33/11KV S/Snt. at Gandhigram.	08.02.2012	03.09.2015
31.	Petition No. 99/2015	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Kesta Hydro Power (P) Ltd. SCO 858, II nd Floor, Chandigarh-160101	Joint pet. u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, readwith guidelines issued by the HPERC for the Approval of PPA executed by the HPSEBL and M/s Kesta Hydro Power (P) Ltd. in r/o Kesta HEP (4.50 MW).	28.08.2015	11.09.2015

32.	Petition No. 101/2015	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Flowgen Renewable Energy (P) Ltd.	Joint Pet. u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, for the Approval of PPA (under REC Mechanism) in r/o Jail HEP (1.2MW).	28.08.2015	16.09.2015
33.	Petition No. 198/ 2014	M/s Jalashakti Ltd., H.No.135 Upper Julkari, Chamba	State of HP and Ors.	Pet. u/s 62, 84 (f) of the Electy. Act, 2003 read with Reg. of HPERC for implementation of the Commission's Order dated 9.2.2010, passed in pursuance to the APTEL Order dated 18.9.2009.	03.11.2014	19.09.2015
34.	Petition No. 105/2015	The HPSEBL & M/s Gee Cee Hydro Power Pvt. Ltd.	-	Joint Pet. for approval of SPPA (under REC Mechanism) in r/o Jogini-II HEP (5.00MW) Extension for time period thereof.	23.09.2015	03.10.2015
35.	Petition No. 107/2015	The HPSEBL & M/s Ginni Global (P) Ltd.	-	Joint pet. for approval of SPPA in r/o Balsio HEP(5.00MW) extension in time period thereof.	24.09.2015	03.10.2015
36.	Petition No. 106/2015	The HPSEBL & M/s KKK Hydro Power Ltd.	-	Joint pet. for approval of SPPA in r/o Baragraon HEP (4.90MW). Enhancement of tariff as per in Compliance to HPERC Order dated 11.6.2015 in 193/2014 thereof.	23.09.2015	09.10.2015
37.	Petition No. 113/2015	The HPSEBL & Sahu Hydro Power (P) Ltd.	-	Joint Pet. u/s 86 (1) (b) of the Electy. Act 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for extension in validity till 31.03.2016 of the Short Term "PPA" executed by the HPSEBL with M/s Sahu Hydro Power (P) Ltd. in r/o Kurtha Small HEP(5 MW).	29.10.2015	16.11.2015

38.	Review Petition No. 90/2015	M/s Bhavani Renewable Energy Pvt. Ltd D-21, First Floor, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017	-	Pet. seeking review of HPERC's order dated 30.06.15 of determining the generic levelled tariffs for Small HEP under Reg. 2013 of HPERC (promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and terms & conditions for Tariff determination) Reg. 2012 Mechanism for adjustment of accelerated depreciation benefit and capital subsidy.	29.07.2015	19.11.2015
39.	Petition No. 15/ 2015	The HPSEBL & Bhavani Renewable Energy (P) Ltd., Sungal.	-	Joint petition seeking approval of the HPERC of the PPA to be executed between the parties. in respect of Binwa- IV HEP (4MW).	11.02.2015	09.12.2015
40.	Petition No. 86/2015	The HPSEB Ltd., Shimla- 04	-	Determination of Average Pooled Purchase Cost for FY 2015-16.	20.07.2015	07.12.2015
41.	Petition No. 131/2015	The HPSEBL & M/s Darjeeling Power Ltd.	-	Petition u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for the approval of the Short Term "PPA" executed by the HPSEBL with M/s Darjeeling Power Ltd. in r/o SHAUNG HEP (3.0MW).	30.11.2015	28.12.2015
42.	Pet. No. 135/2015	The HPSEBL & M/s Shakti Hydro Electric Co. (P) Ltd.	-	Joint Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003 read with draft guidelines issued by the HPERC for the approval of "Suppl. PPA" executed by the HPSEBL and M/s Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd., in r/o CHACHYOT HEP (3.50 MW).	20.12.2015	28.12.2015
43.	Pet. No. 133/2015	M/s Sarabai Enterprises (P) Ltd. Jagmohan Chohada & Company, The Mall Solan,	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 151 of the CPC for listing of the petition No. 226 of 2014 before the Commission.	03.12.2015	06.01.2016

44.	Pet. No. 94/2015	The BBN Ind. Association EPIP- Jharmajri, Baddi	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 142 of the Electricity Act, 2003 & HPERC (Recovery of Expend. for Supply of Electricity) Reg. 2005 as amended till date.	12.08.2015	07.01.2016
45.	Petition No. 102/2015	M/s Patikari Power Pvt. Ltd. Nav Bahar, Bhumian Road, Chhota Shimla-02	The HPSEBL	Pet. u/s 86(1)(f) of the EA, 2003 for dispute arising between M/s Patikari HEP (16MW) & HPSEBL for seeking refund of an amount of Rs.25,44,000/- a/w interest @18% p.a. being illegally and unlawfully deducted by the Respondent from the monthly energy bills raised for the energy supplied during Sep. 2003,in violation of terms & condition of PPA dt. 05.07.04	07.09.2015	13.01.2016
46.	Petition No. 2/2016	The HPSEBL & Executive Engineer SMIP Div., I&PH Jawali	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the Electricity Act, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for the approval of “PPA” to be executed by the HPSEBL and XEN, SMIP Division, I&PH, Jawali, Distt. Kangra in r/o BAGROOD HEP (0.240 MW)	19.01.2016	12.02.2016
47.	Petition No. 3/2016	The HPSEBL & M/s Shansha Hydro Power Project Co. Op-Society, Lahaul & Spiti	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the Electricity Act, 2003, for seeking the approval of Short/Medium term “PPA to be executed by the HPSEBL and M/s Shansha Hydro- Power Project Co- Op. Society Ltd in r/o SHANSHA Small HEP (4.0MW).	19.01.2016	12.02.2016
48.	Petition No. 103/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Petition for determination of Additional surcharge on short term Open Access consumers purchasing Power from within /outside the state of HP.	14.09.2015	18.02.2016
49.	Suo-Moto Petition 104/2015	The HPERC (Suo-Moto)	-	Model Power Purchase Agreement for Solar Power Generation.	21.09.2015	29.02.2016

50.	Petition No. 96/2015	M/s Harisons Hydel Const. Co (P) Ltd.	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 & 94 of the EA, 2003 read with HPERC, Reg. 2007. With a prayer to restrain respondent from imposing penalty on tentative and actual O & M charges for the interconnection facilities for the year 2008-2009 to 2014-2015 a/w MA for staying, the operation of Notice dated 06.07.2015.	17.08.2015	15.03.2016
51.	Petition No. 4/2016	The HPSEBL & M/s Manak Power Systems (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for the approval of "PPA" to be executed by the HPSEBL and M/s Manak Power Systems Pvt. Ltd. in r/o RANA HEP (1.20 MW) .	09.03.2016	16.03.2016
51.	Petition No. 53/2015	The HPSEBL & M/s Neri Hydro Project (P) Ltd.		Joint Pet. u/s 86(1)(b) of Electricity Act, 2003, read with draft guidelines issued by the HPERC for Approval of the "PPA" to be executed by the HPSEBL and M/s Neri Hydro Projects Pvt. Ltd. in r/o NERI HEP (5.0MW) .	04.04.2015	31.03.2016
52.	Petition No. 5 of 2016	The HPSEBL & M/s Kapil Mohan & Associates Hydro Power (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of EA, 2003 for extension in the validity of Short-term PPA (under REC Mechanism) upto 31.03.2017 in r/o Beas Kund (9 MW) HEP.	21.03.2016	31.03.2016
53.	Petition No. 6 of 2016	The HPSEBL & M/s Kurmi Energy (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of EA, 2003 for extension in the validity of Short-term PPA upto 31.03.2017 in r/o Kurmi (8 MW) HEP.	21.03.2016	31.03.2016
54.	Petition No. 7 of 2016	The HPSEBL & M/s Kut Energy (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of EA, 2003 for extension in the validity of Short-term PPA upto 31.03.2017 in r/o Kut (24 MW) HEP.	21.03.2016	31.03.2016

55.	Petition No. 8 of 2016	The HPSEBL & Gee Cee Hydro Power (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, for extension in the validity of Short Term PPA (under REC Mechanism) upto 30.09.2016, in r/o Jogini-II HEP (5.0MW).	21.03.2016	31.03.2016
56.	Petition No. 10 of 2016	The HPSEBL & M/s Sai Engineering Foundation	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, for extension in the validity of Short Term Power Purchase Agreement upto 30.06.2016, in r/o Shimla HEP (5MW).	22.03.2016	31.03.2016
57.	Petition No. 11 of 2016	The HPSEBL & M/s Tejassarnika Hydro Energies (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, for extension in the validity of Short Term PPA upto 31.03.2017, in r/o Upper Joiner HEP (12 MW).	22.03.2016	31.03.2016
58.	Petition No. 12 of 2016	The HPSEBL & M/s Suryakanta Hydro Energies (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, for extension in the validity of Short Term PPA upto 30.09.2016, in r/o Nanti HEP (14 MW).	22.03.2016	31.03.2016
59.	Petition No. 13 of 2016	The HPSEBL & Gangdari Hydro Power (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, for extension in the validity of Short Term PPA upto 31.03.2017, in r/o Jongini HEP (16 MW).	22.03.2016	31.03.2016
60.	Petition No. 14 of 2016	The HPSEBL & M/s Ranga Raju Warehousing Pvt. Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the Electricity Act, 2003, for extension in the validity of Short Term PPA upto 30.06.2016, in r/o SUMEZ (14.0MW) HEP.	22.03.2016	31.03.2016

B) CASES PENDING FOR DISPOSAL BEFORE THE COMMISSION, AS ON 31.03.2016.

Sr. No.	Petition No.	Petitioner	Respondent	Description	Date of Institution
1.	Petition No. 84/2012	M/s JPVL, JUIT Complex Vakanaghat, Distt. Solan	The HPSEBL Shimla-04	Pet. for truing up of interest of arrears in r/o Tariff for sale of power from Baspa-II to HPSEBL for FY 2003-04 to FY 2010-11, pursuant to Order dated 19.4.12 passed by	04.05.2012

				APTEL in appeal No. 178/ 2010 in r/o arrears.	
2.	MA No. 112/2013 in Pet. No. 29/2010	M/s DSL Hydro Power Ltd., Empire House 214, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai-400 001	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. for Re-determination of tariff (allowed provisional Tariff by HPERC Rs. 2.95 per KW	23.08.2013
3.	Pet. No. 149/2013	M/s Om Hydro Power Ltd., Plot No. 705, Banjara Hills, Hyderabad-500034	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 61, 62, 86 and 94 of the EA 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen. by Dist. Licence) Reg., 2007 with a prayer to allow this petition & consequently to determine the tariff.	30.12.2013
4.	Petition No. 109/2015 (Amended)	M/s Nanal Hydro Power Consultancy (P) Ltd.,Tuti Kandi Shimla-171004	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 of the EA, 2003, read with the Reg.3(3) of HPERC (Power Procurement from Renewable sources & co-generation by Dist. Licensee) Reg. 2007 .	26.10.2015
5.	Petition No. 124/2015	The Indian Wind Power Association, 513-514, 5 th Floor, Barakhamba Lane, New Delhi	The HPSEBL & Anr.	Pet. u/s 86(1)(e) of the EA, 2003 read with Reg. 3, 4, 5, & 9 of the HPERC (RPPO) and its Compliance) Reg., 2010 & subsequent amendment seeking directions for compliance of the RPPO imposed upon the obligated entities in the State of HP.	03.11.2015
6.	Petition No. 128/2015	M/s Puri Oil Mills Ltd. Jyoti Sikhar Building, 8, Distt. Centre, Janakpuri, New Delhi 110058	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 61, 62, 86(1) (b) and 94 (f) of the EA, 2003 read with Reg. 6 of HPERC (Power Procurement from renewal Sources & Co-generation by Dist. Licensee) Reg. 2007 read with Commission Order dt. 09.02.10 passed in pursuance of APTEL order dt. 19.09.09 with a prayer to re-determine tariff considering the project specific capital cost & Plant Load Factor (CUF)	27.11.2015
7.	Petition No. 130/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Second Annual Performance Review Pet. for financial year 2015-16 of 3rd MYT Control Period (FY 2014-15 to 2018-19)u/s 62, 64 & 86 of Act, 2003.	30.11.2015
8.	True-up Pet.	The HPSEBL,	-	True-up petition for	06.01.2016

	No 1/2016	Shimla-04		Second Control Period FY 2012 to FY 2014.	
9.	Filing No. 6/2016	The Himalaya Power Producers Association , Gyamba House, Lane-IV, New Shimla-09	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 94(1) (f) of the EA, 2003, read with Reg. 63 of HPERC (CoB) Reg. 2005 read with under Order 47 Rule 1 of the CPC, seeking review of the Order dt.24.07.2015 passed in the matter of RPP Purchase Policy-2015 as filed by the respondent Board.	03.02.2016
10.	Filing No. 8/2016	M/s Four Seasons Power (P) Ltd., 215- 217, Somdutt Chambers-II, 9 New Delhi-110066	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 & 94 of the EA, 2003 read with HPERC regulation of 2007. With a prayer to allow the change of name in PPA.	03.02.2016
11.	Filing No. 9/2016	M/s Jala Shakti Ltd. House No. 135, Upper Julakari, Chamba	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 62 & 86 and 94 of the EA, 2003 read with HPERC (Power procurement from Renewal Sources and Co-generation by Dist. Licensee) Ist amendment of HPERC Reg. 2007 for issuance of appropriate directions/ orders on the of submissions made herein after.	03.02.2016
12.	Filing No. 12/2016	M/s Ginni Global Pvt. Ltd., 2 nd Floor, Shanti Chamber, 11/6B, Pusa Road, New Delhi-110005	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 151 of CPC for reviving the main petition in view of failure of good faith negotiations in terms of Clause 13.1 of the PPA (Taraila 5 MW HEP) & after exhausting the remedies available under Clause 13.1 of the PPA, subsequent to the Orders dated 30.08.2014 and 15.11.2014.	11.02.2016
13.	Filing No. 22 of 2016	M/s Winsome Textile Industries Ltd., 1-Ind., Area, Sai Road, Baddi, Solan-173205	The HPSEBL	Pet. u/s 86 (1) (f) of the EA, 2003 as amended read with para 16 (3) h of HPERC(Promotion of Generation from the renewable Energy Sources and Terms & Conditions for Tariff Determination) Reg., 2012 for execution of supplementary wheeling agreement for enhanced capacity of 3.5 MW with same terms & conditions as specified in the original wheeling agreement for 2.5 MW dated 30.03.2000 & to	16.03.2016

				allow commercial operation of the project.	
14.	Petition No. 15/2016	The HPSEBL & M/s Aleo Manali Hydropower (P) Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for extension in validity till 30.03.2017 in r/o Aleo-II HEP (4.80MW)	31.03.2016
15.	Petition No. 9 of 2016	The HPSEBL & M/s Darjeeling Power Ltd.	-	Pet. u/s 86 (1)(b) of the EA, 2003, for extension of PPA upto 30.09.2016, in r/o Shaung HEP (3MW).	21.03.2016

6.1.2 DETAILS OF PETITIONS BEFORE THE HIGH COURT OF HP AT SHIMLA

At the beginning of the year, 11 Nos. petitions were pending before the High Court of HP and during the financial year 2015-16, 1 No. petition has been filed by the petitioner and stakeholders under the Electricity Act, 2003, out of which 2 Nos. petitions have been decided/ disposed of by the High Court of HP and 10 Nos. petitions were pending as on 31.03.2016. The details of Petitions/Appeals filed/ decided/pending in the High Court of HP, during the during year are as under:-

(A) PETITIONS DISPOSED OF BY THE HIGH COURT AS ON 31.03.2016

Sr. No.	Petition No.	Appellant	Respondent	Date of institution	Date of disposal
1.	CWP No. 9983/ 2014	M/s Radiant Casting Ltd., Vill. Jharmajri, Baddi, Distt. Solan	The HPSEBL, Shimla-04	30.12.2014	14.03.2016
2.	CWP No. 1045/2015	M/s Karan Polypack Pvt. Ltd., & M/s Karan Syanthetic Pvt. Ltd., Vill. Goel Jamala, PO Nangal, Distt. Solan,	The HPERC & HPSEBL, Shimla-04	17.01.2015	14.03.2016

(B) PETITIONS PENDING BEFORE THE HIGH COURT OF HP AS ON 31.03.2016

Sr. No.	Petition No.	Petitioner	Respondent	Date of institution
1	CWP No. 2420/2008	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Super Platem, Ind. Area, Sec.-1, Parwanoo	18.11.2008
2	CWP No. 7939/2012	The State of HP , Shimla-02	The HPERC & HPSEBL, Shimla	05.09.2012

3	CWP No. 10556/12	M/s Sahu Hydro Power, Plot No.103, Jubilee Hills, Hyderabad.	The State of HP	14.12.2012
4	CWP No. 6648/2013	M/s Kala Amb Chamber of Commerce, Kala-Amb, Nahan.	The HPERC, Shimla-02	20.08.2013
5	CWP No. 9843/2013	Sh. Puran Dev, S/o L/Sh. Nikoo Ram, Zimidara House, Summer Hill, Shimla.	The HPERC, Shimla-02	24.12.2013
6	CWP No. 1996/2014	M/s Amba Metals, Plot 6-A, Ind. Area, Ph.-II, K/Amb, Nahan	The HPERC, Shimla-02	24.03.2014
7	CWP No. 2181/2014	M/s Amba Shakti Ispat Ltd. Vill. Kheri, Trilokpur, Kala Amb. Distt. Sirmour	The HPERC, Shimla-02	04.04.2014
8	CWP No. 2357/2014	M/s Kala Amb Chamber of Commerce & Industry, Trilokpur Road, Kala Amb, Distt. Sirmour	The HPERC, Shimla-02	09.04.2014
9	CWP No. 1539/2015	M/s Ambuja Cement Ltd., Darlaghat, Arki Distt. Solan	The HPSEBL & others	14.11.2014
10	CWP No.2123/2015	M/S Jaypee Himachal Cement Plant & Anr.	The HPSEBL & Ors.	01.04.2015

6.1.3 DETAILS OF APPEALS BEFORE THE APTEL AT NEW DELHI

At the beginning of the year, 16 Nos. appeals were pending before the Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) at New Delhi, and during the financial year 2015-16, 4 Nos. Appeals were filed by the various petitioners and stakeholders under the Electricity Act, 2003, out of which 11 Nos. Appeals have been decided/disposed of by the APTEL and 9 Nos. Appeals were pending for disposal as on 31.03.2016. Details of Petitions/Appeals filed/ decided/pending in the APTEL, during the year are as under:-

(A) APPEALS DISPOSED OF BY THE APTEL AS ON 31.03.2016

Sr. No	Appeal No.	Appellant	Respondent	Date of institution	Date of disposal
1	Appeal No. 239 of 2014	M/s Gangdari Hydro Power Pvt. Ltd. & Anr. , Amar Co-operative Society, Kavru Hill, Madhapur, Hyderabad-500081	The HPERC & The HPSEBL, Shimla	15.09.2014	18.05.2015
2	Appeal No. 73 of 2014 & IA Nos. 142 of 2014 and 197 of 2014	M/s Aditya Industries Ltd., Village Rampur Jattan, Kala Amb, Distt. Sirmour (H.P.)	The HPERC & The HPSEBL, Shimla	25.04.2014	09.09.2015
3	Appeal No. 54 of 2015 DFR No. 3163/2014	The Green Energy Association, Sargan-143, Parle (East) Mumbai.	The HPSEB & others	27.03.2015	10.12.2015
4	IA No. 414 of 2014 in Appeal No.194 of 14	M/s Suraj Fabric Ind. Ltd., Elegant Towers, 224-A, Kolkata-17	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
5	IA No. 415 of 2014 in Appeal No.192 of 14	M/s SPS Steel Rolling Mills Ltd., Elegant Towers, 224-A, Kolkata-17	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
6	Appeal No.195 of 2014	M/s Him Chemical Ltd., Vill. Khera, Nalagarh, Distt. Solan	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
7	IA No. 417 of 2014 Appeal No.188 of 2014	M/s Hi-Tech Ind. Ltd., Kala Amb, Teh.Nahan, Distt. Sirmour	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
8	IA No. 418 of 2014 in Appeal No.190 of 14	M/s Parvati Steel & Alloys, 348, 1 st Floor, Pitam Pura, Delhi	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
9	IA No. 416 of 2014 in Appeal No.189 of 2014	M/s Asian Concretes & Cement (P) Ltd. , SCF-270, Mansa Devi Road, Manimajra, Chandigarh	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
10	Appeal No.191 of 2014	M/s Akron India (P) Ltd., VPO, Nihalgarh, Ponta Sahib, Sirmour.	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014	18.12.2015
11	I.A No. 385/2014 in DFR No. 1570/2015	M/s Usaka Powers (P) Ltd. 240,Okhla Industrial Estate, PhaseIII, New Delhi-110020	The HPERC & Ors.	14.10.2015	16.02.2016

(B) APPEALS PENDING BEFORE THE APTEL AS ON 31.03.2016

Sr. No.	Appeal No.	Appellant	Respondent	Date of institution
1	Appeal No. 57 of 2014	The HPSEBL, Shimla -04.	The HPERC, Shimla-02	07.03.2014
2	Appeal No. 256/14 and IA No. 422/14	M/s Patikari Power (P) Ltd., Ist House, Bhumian Estate, Shimla-02.	The HPERC, HPSEBL, & Ors.	11.11.2014
3	Appeal No. 22 of 2015 & IA No. 20 of 2015	M/s Dharamshala Hydro Power Ltd. Plot 30-A, Jubali Hills, Hyderabad.	The HPERC & HPSEBL, Shimla	10.12.2014
4	Appeal No. 15 of 2015 & IA 17 of 2015	M/s Harison Hydel Cons. Co. (P) Ltd., Akhara Bazar, Kullu.	The State of H.P & Ors.	13.01.2015
5	Appeal No. 8 of 2015 & IA 10 of 2015	M/s Ascent Hydro Project Ltd., 6 Shiv Vastu, Vile Parle (East), Mumbai -57.	The HPSEB & Ors.	13.01.2015
6	Appeal No. 9 of 2015 & IA No. 11/2015	M/s Ginni Global Pvt. Ltd. Pusa Road, New Delhi	The HPSEB & Ors.	13.01.2015
7	Appeal No.193 of 2015	M/s KKK Hydro Power Ltd. 1-41, DLF Ind., Area Phase-1, Faridabad, Haryana-121003	The HPSEBL & Ors.	14.10.2015
8	Appeal No. 38 of 2016 & IA No. 413 of 2015	The HPSEBL, Shimla-04	The HPERC	26.11.2015
9	Appeal No. 295/2015	M/s Manikaran Power Ltd. D-21, Corporate Park, Sector-21, Dwarka, New Delhi-110075	The HPERC & Anr.	11.01.2016

6.1.4 DETAILS OF APPEAL PENDING BEFORE THE SUPREME COURT OF INDIA.

At the beginning of year, 3 Nos. Appeals were pending before the Hon'ble Supreme Court of India at New Delhi and during the financial year 2015-16, 2 Nos. Civil Appeals were filed by the various stakeholders under the Electricity Act, 2003, and no Appeal has been decided /disposed of by the Hon'ble Apex Court as on 31.03.2016. However, Commission has filed 1 No. Appeal (Civil Appeal No. 8002-

8003/2015) before the Supreme Court of India. Details of pending Appeals during the year are as under:-

(A) APPEALS PENDING BEFORE THE SUPREME COURT AS ON 31.03.2016

Sr. No.	Civil Appeal No.	Appellant	Respondent	Date of institution	Remarks
1.	IA No. 2 of 2012 in Civil Appeal No. 4585 of 2012	The HPSEBL Shimla -04	M/s JPVL, JUIT Complex Vakanaghat, Solan & Anr.	21.05.2012	Commission being on adjudicating authority is not contesting this case.
2.	Civil Appeal No. 8025/2014	M/s Ginni Global Ltd. New Delhi	The HPERC & Ors.	05.09.2014	
3.	Civil Appeal No. 8369/2014	M/s JPVL, JUIT Complex, Vakanaghat, Solan	The HPSEBL & Ors.	19.09.2014	
4.	Civil Appeal No. 3326-3345/2015	The HPSEBL Shimla -04	The HPERC, Shimla-02	17.01.2015	
5.	Civil Appeal No. 8002-8003/2015	The HPERC, Shimla-02	M/s Batot Hydro Power Ltd. & HPSBEL	01.05.2015	Commission has filed appeal before Apex Court.

6.1.5 DISPUTES REFERRED FOR ARBITRATION BY THE COMMISSION

At the beginning of the year under report, 4 Nos. disputes were pending before the Arbitrators. In addition to above 1 No. dispute was referred for adjudication to the Arbitral Tribunal, details of which are given hereunder:-

(A) DISPUTES REFERRED/DISPOSED OF BY THE ARBITRATORS AS ON 31.03.2016.

Sl. No.	Case No.	Petitioner	Respondent	Description	Order for Arbitration	Award passed on
1.	Petition No. 63/2012	M/s Sai Engineering Foundation, New Shimla	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 (1)(f) of the EA, 2003 for adjudication of contractual & statutory dispute between parties in respect of Titang (800KW) a tributary of Sutluj river.	02.08.2013	09.10.2015
2.	Petition No. 3/2014	M/s Himalayan Crest Power (P) Ltd., Vill. Manal, Sirmour	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 (1) (f) of the EA, 2003 for adjudication of contractual &	24.12.2014	27.09.2015

				statutory dispute between parties in r/o 3MW Chandni at Gariyao-Ka-Khala, a tributary of Giri River.		
3	Petition No. 4/2014	M/s Himalayan Crest Power (P) Ltd., Vill. Manal, Sirmour	The HPSEBL, Shimla-04	‘do- in r/o 3MW Chandni HEP at Gariyao-Ka-khala, a tributary of Giri River.	24.12.2014	27.09.2015
4	Petition No. 5/2014	M/s Himalayan Crest Power (P) Ltd., Sirmour	The HPSEBL, Shimla-04	‘do- in respect of 3MW Manal Shabare-ka-khala a tributary of Giri River.	24.12.2014	27.09.2015

(B) DISPUTES PENDING WITH ARBITRATORS AS ON 31.03.2016.

Sr. No.	Case No.	Appellant	Respondent	Description	Order for Arbitration	Remarks
1.	Pet. No. 69/2014	M/s JPVL, JUIT Complex, Vakanaghat, Distt. Solan HP	The HPSEBL, Shimla-04 & Ors.	Pet. u/ reg. 68 of CBR, 2005 read with sec. 86 (1) (f) of the EA, 2003.	10.12.2014	Referred to Hon’ble Justice Mukal Mudgal, Rtd. C.J. of the Punjab & Haryana, High Court, for Arbitration

6.2 REGULATIONS, AMENDMENTS AND NOTIFICATION ISSUED DURING THE YEAR 2015-16.

6.2.1 During the period under report, the Commission made following regulations:-

Sr. No.	Regulations Financial Year 2015-16	Date
1	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Second Amendment) Regulations, 2016.	11.04.2015
2	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (First Amendment) Regulations, 2015.	22.07.2015
3	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive Systems based on Net Metering) Regulations, 2015	31.07.2015
4	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fixation of Fees and Charges for Accreditation of Renewable Energy Generation Project) Order, 2015.	14.08.2015
5	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Second Amendment) Regulations, 2015.	21.09.2015
6	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Third Amendment)	19.10.2015

	Regulations, 2015	
7	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2015.	28.11.2015
8	HPERC(State Advisory Committee) Regulations, 2004	23.12.2015
9	HPERC (State Advisory Committee) Regulations, 2004	8.01.2016
10	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fixation of Fees and Charges for Accreditation of Renewable Energy Generation Project and Distribution Licensee) Order, 2016.	08.03.2016
11	Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) (Second Amendment) Regulations, 2016.	30.3.2016

6.2.2 The Commission brought out Fourth Volume of the Compendium of Regulations, containing the original texts thereof, made during the period from May, 2012 i.e. the date on which last Third Volume was printed till the 31st March, 2015.

6.2.3 The Commission has also updated the Regulations, as in force and compiled the same as under-

1.	Compendium of HPERC Regulations Volume-I [containing un-repealed and updated Regulations made during the period January, 2001 to December, 2010 together with the Notifications and orders issued there under].
2.	Compendium of HPERC Regulations Volume-II [containing un-repealed and updated Regulations made during the period January, 2011 to December, 2015 together with the Notifications and orders issued there under].
3.	Compendium of HPERC Regulations Volume-III , [containing updated HPERC (Guidelines and formats for Tariff Filing) Regulations, 2005 together with the Notifications and orders issued there under].

All the regulations notified so far by the Commission are available on the Commission's website.

6.2.2 Codes & Standards:

- (a) The Commission has been proactive in the implementation of Codes i.e. Supply and Distribution Code. On the basis of feedback received from various consumers, consumers representative and distribution licensee, the HPERC Electricity Supply Code (First Amendment) Regulation, 2014 dated 11.06.2014 has been issued, making necessary amendments to the existing Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009.

6.2.3 Approval of PPAs:

The Electricity Regulatory Commissions have to determine the tariff in accordance with the provision of the section 62 of the Electricity Act, 2003 for – (a) supply of electricity by a generating company to the distribution licensee. Accordingly, HPSEB Ltd. a distribution licensee in the State required approval for its power

purchase agreements with the power generating companies. The PPAs received and action taken by the Commission during the year is given below:-

List of PPAs Approved by the Commission as under:-

(A) PPA/SPPA executed Under Renewal Energy Certificate (REC) Mechanism (upto 5MW):

Sr. No.	Petition No.	SHEP	Installed Capacity in MW	Location/ Distt.	Name of Generating Company	PPA Approval date
1	61/2015	Kalam HEP	2.00	Chamba	M/s Sunshine Hydro Power Ltd., 215-216, Sahil Plaza, Dalhousie Road, Pathankot-145001.	04.05.2015
2	63/2015	Tulang HEP	3.00	Chamba	M/s Himachal Hydel Projects (P) Ltd., Woodland House, New Land Estate, Circular Road, Shimla- 171001.	23.05.2015
3	62/2015	Kuthed HEP	4.50	Chamba	M/s Himachal Hydel Projects (P) Ltd., Woodland House, New Land Estate, Circular Road, Shimla- 171001.	23.05.2015
4	68/2015	Haripur Nallah HEP	3.00	Kullu	M/s Continental Infra Tech. Pvt. Ltd., 203, Meridian Plaza, Ameerpet, Hyderabad (AP).	25.05.2015
5	72/2015	Hysrund HEP	3.00	Chamba	M/s Nanal Hydro Power Consultancy Pvt. Ltd., Vardaan Building, Below Gita Mandir, Tuti Kandi, Shimla-171004.	18.06.2015
6	81/2015	Balij-ka-Nallah HEP	3.50	Chamba	M/s Batot Hydro Power Ltd., 26, Gobind Mahal, 86-B, Netaji Subhash Road, Marine Drive, Mumbai- 400002.	17.07.2015
7	88/2015	Kotagad SHEP	3.50	Shimla	M/s Shiva Energy Resource Pvt. Ltd., 19/7, Old Bus Stand, Gandhi Chowk, Hamirpur-177001.	7.08.2015
8	101/2015	Jail HEP	1.20	Kullu	M/s FlowGen Renewable Energy Pvt. Ltd., 137, Pritam Nagar, Teh: Battiyat, Shahpur, Distt. Kangra (HP).	16.09.2015
9	99/2015	Kesta HEP	4.50	Kullu	M/s Kesta Hydro Power Pvt. Ltd., SCO 858, II nd Floor, NAC Manimajra, Chandigarh-160101.	11.09.2015
10	105/2015	Jogini-II HEP	5.00	Shimla	M/s Gee Cee Hydro Power Private Limited, Teh. Rampur, Distt. Shimla (HP).	3.10.2015
11	107/2015	Balsio HEP	5.00	Chamba	M/s Ginni Global Private Limited, 2 nd Floor, Shanti Chamber, 11/6B, Pusa Road, New Delhi - 110005	3.10.2015
10	106/2015	Baragaon HEP	4.90	Kullu	M/s K.K.K Hydro Power Ltd., 1-41, DLF Industrial Area, Phase-I, Faridabad, Haryana.	9.10.2015
12	113/2015	Kurtha HEP	5.00	Chamba	M/s Sahu Hydro Power Pvt. Ltd., VPO. Sarol, Teh.&Distt.	16.11.2015

					Chamba- 176310 (HP).	
11	131/2015	Shaung HEP	3.00	Kinnaur	M/s Darjeeling Power Limited, 214, Empire House, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai-400001.	28.11.2015
12	135/2015	Chachyot HEP	3.50	Mandi	M/s Shakti Hydro Electric Company Pvt. Ltd., D-126, 3 rd Floor, Defence Colony, New Delhi- 110024.	28.12.2015
13	02/2016	Bagrood HEP	0.240	Kangra	M/s Executive Engineer, Siddhatha Medium Irrigation Project (SMIP) I&PH Division, Jawali, Distt. Kangra.	12.02.2016
14	03/2016	Shansha SHEP	4.00	Lahaul & Spiti	M/s Shansha Hydro Power Project Co-op. Society Ltd., Village Shansha, Teh. Keylong, Distt. Lahaul & Spiti (HP).	12.02.2016
15	04/2016	Rana HEP	1.20	Mandi	M/s Manak Power Systems Pvt. Ltd., Village Ghamrehar, PO Jalpehar, Distt. Mandi-175015 (HP).	16.03.2016
16	53/2015	Neri HEP	5.00	Mandi	M/s Neri Hydro Projects Pvt. Ltd., Village & PO Majharnu, Teh. Joginder Nagar, Distt. Mandi (HP)	31.03.2016
17	08/2016	Jogini-II HEP	5.00	Shimla	M/s Gee Cee Hydro Power Private Limited, Teh. Rampur, Distt. Shimla (HP).	31.03.2016
18	10/2016	Shimla HEP	5.00	Shimla	M/s Sai Engineering foundation , Sai Bhawan , Sector-IV, Shimla-171009	31.03.2016

(B) PPA/SPPA executed under REC Mechanism (5 to 25 MW)						
1	69/2015	Brua HEP	9.00	Kinnaur	M/s Brua Hydrowatt Pvt. Ltd., Plot No. 2, Industrial Area, Baddi, District Solan (HP).	17.07.2015
2	82/2015	Baragaon HEP	24.00	Kullu	M/s Kanchanjunga Power Company Pvt. Ltd., Unit No. 307, 3 rd Floor, Corporate One, Jasola, New Delhi- 110076.	16.07.2015
3	06/2016	Kurmi HEP	8.00	Shimla	M/s Kurmi Energy Private Limited, Regd. Office at H.No.-99, Sector-3, New Shimla-171009, Shimla (HP).	31.03.2016
4	05/2016	Beaskund HEP	9.00	Kullu	M/s Kapil Mohan & Associates Hydro Power (P) Ltd., H.No.-99, Sector-3, New Shimla-171009, Shimla (HP).	31.03.2016
5	11/2016	Upper Joiner HEP	12.00	Chamba	M/s Tejassarnika Hydro Energies Pvt. Ltd., Plot No. 1367, Road No. 45, Jubilee Hills, Hyderabad-500033.	31.03.2016
6	12/2016	Nanti HEP	14.00	Shimla	M/s Suryakanta Hydro Energies Pvt. Ltd., H. No. 8-2-603/1-10, 2 nd Floor, Sri Venkateshwara Nilayam,	31.03.2016

					Krishnapuram, Road No. 10, Banjara Hills, Hyderabad-500034.	
7	07/2016	Kut HEP	24.00	Shimla	M/s Kut Energy Private Limited, H.No.-99, Sector-3, New Shimla-171009, Shimla (HP).	31.03.2016
8	13/2016	Jogini HEP	16.00	Shimla	M/s Gangdari Hydro Power Pvt. Ltd., Plot No. 5, Akshaya Arcade, 3 rd Floor, Amar Co-operative Society, Above SBH Bank, Kavrui Hills, Madhapur, Hyderabad-500081.	31.03.2016
9	14/2016	Sumez HEP	14.00	Shimla	M/s Ranga Raju Warehousing Pvt. Ltd., Plot No. 1367, Road No. 45, Jubilee Hills, Hyderabad-500033.	31.03.2016

6.2.4 Examination/Comments on documents:

Various documents issued by CERC, FOIR, Ministry of Power, Govt. of India and GoHP were examined and comments/views supplied.

6.2.5 Approval of Cost data:

Cost data book w.r.t EHV, HV and LT equipment for the FY 2015-16, as submitted by the HPSEBL, was examined and approval granted.

6.2.6 Renewable Power Purchase Obligations:

In order to promote generation from renewable sources, the Central Electricity Regulatory Commission has framed Regulations and issued orders for giving effect to the Renewable Energy Certificates frame work and the Commission has also framed the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Renewable Power Purchase Obligations and its Compliance) Regulations, 2010 by adopting the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Reorganizations and Issuance of Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.

The Himachal Pradesh Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its compliance) Regulations, 2010, specify the quantum of Renewable Power Obligation and its compliance for the financial year 2011-12 to 2021-22 for non-solar and solar energy for the distribution licensee as well as captive and open access users/consumers as per table below:

Minimum Percentage for Renewable Power Purchase Obligation

Year	Minimum Quantum of Purchase (in %) from renewable sources (in terms of energy in kWh) of total consumption.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Total RPPO %age	Minimum Solar RPPO %age of the total purchase
2013-14	10.25	0.25
2014-15	10.25	0.25
2015-16	11.25	0.25
2016-17	12.25	0.25
2017-18	13.50	0.50
2018-19	14.75	0.75
2019-20	16.00	1.00
2020-21	17.50	2.00
2021-22	19.00	3.00

As per information submitted by HPSEBL, it has achieved the non-solar Renewable Purchase Obligation (RPO) in the financial year 2014-15 and tied up with the National Thermal Power Corporation from the Singrauli Solar PV Plant and Solar Energy Corporation of India (SECI). The RPO compliance submitted by HPSEBL for the financial year 2015-16 is as under:-

1.	Total RPO Obligation	10.25%
	% RPO (Solar)	0.25%
	% RPO (non Solar)	10.00 %
2.	Total RPO achievement in %	16.37 % of the total energy consumed or 159.7 % of RPO target.
	Non Solar RPO achievement (%)	163.37 (of the RPO)
	Solar RPO achievement (%)	12.96 (of the RPO)

The Commission is regularly monitoring the RPO compliance by the obligation entities, particularly distribution licensee in the State.

6.3 Orders relating to Tariff:

<u>S.No.</u>	<u>Description</u>	<u>Date of Issue</u>
1.	Determination of Generic Levellised Tariff for Solar PV Projects	08.09.15
2.	First Annual Performance Review Order for 3rd MYT Control Period (FY15-19) & Determination of Tariff for FY-16 for HPSEB Ltd.	10.04.15

6.4 Website:

Important information under the RTI Act and HPERC Regulations are uploaded and regularly updated on the Commission's website <http://www.hperc.org> to provide transparency, easy access and wide publicity to consumers and other stakeholders in respect of various activities being undertaken and maintained by HPERC.

6.5 Press Clipping Service:

In order to keep the Commission abreast with the latest developments in the power sector within and outside the State, a daily press clipping service has been maintained in the office and put up to the Commission for perusal and suitable action.

6.6 Consumers Grievances Redressal Forum:

6.6.1 Forum for Redressal of Grievances of the Consumers:

Under section [8] read with sub-section (5) of section 42 of Electricity Act, 2003, the Commission has notified HPERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulation, 2003. As per regulation 3, the distribution licensee i.e. the HPSEBL has established a three members Forum for Redressal of Grievances of Consumers at Kasumpti, Shimla. The consumers can file their complaints with this Forum, relating to defect or deficiency in electricity supply, unfair trade practices, excess charge and recovery of price by the licensee, while providing an electric line and allied services etc.

The Forum consists of three members, of which two are appointed by the HPSEBL from the officers of the licensee and one independent member is nominated by the Commission.

Any person aggrieved by an order of the Forum can file a representation to the Electricity Ombudsman within a period of 40 days. As per information received from the Forum, the complaints pending as on 31.03.2015 are 60 and complaints received during the year are 80, complaints disposed off during the year are 92 and pending complaints as on 31st March 2016 are 48 Nos.

6.6.2 Electricity Ombudsman:

As per section 42(6) of the Electricity Act, 2003 and Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, the Electricity Ombudsman is appointed by the Commission. Any consumer may make a representation for the redressal of his grievance to the Electricity Ombudsman, appointed by the Commission. The Electricity Ombudsman has the power to receive representations on non-redressal of consumers grievances by the Forum or against the orders of the Forum for redressal of grievances of consumers. It facilitates settlement either by agreement, conciliation and mediation or by passing an award in accordance with the regulations. The Electricity Ombudsman under the Regulation 11, 12 and 13 of the aforesaid regulations has the power of settlement of disputes by agreement, award and also to ensure its enforcement. Electricity Ombudsman is to make an award on any complaint of consumers, not later than three months from the date of receipt of complaint and the award as such shall be binding on the parties within 30 days of its decision. In case of non-compliance of award or agreement and application for enforcement of award, the aggrieved persons can approach the Commission, which shall take appropriate action to enforce the award. As on 31st March, 2016, Sh. Ashok Kumar Sharma was holding the charge of the Electricity Ombudsman. As per the reported status by the Electricity Ombudsman, the opening balance of petitions/representations pending before the Electricity Ombudsman as on 31.03.2016 was 9. During the year FY 2015-16, 19 additional petitions/representations were filed, out of which 18 petitions were disposed off till 31.03.2016 and the pending complaints as on 31st march, 2016 are 10 Nos.

Apart from above, in order to provide efficient, reliable and quality supply of power to the consumers, the Commission has notified the Distribution Performance Standard Regulations, 2010 which specifies the standards of performance related to consumers services such as fuse off/ fault calls, overhead line and cable breakdown, replacement of failed distribution transformer, complaints about meters, defective/ stopped/ burnt meter replacement, shifting of meter/ service lines, voltage problems, scheduled outages etc. These regulations also provide the preparation and publication of “Manual of Practice for Handling Consumer Complaints” by the distribution licensee to facilitate the consumers as well as the field staff. If the distribution licensee fails to meet the standards of performance specified under these regulations, the aggrieved consumer can file a case for compensation to the Commission.

6.7 Membership of Co-ordination Forum:

In order to have a dynamic interface with other utilities and to evoke a common reform strategy by regulators, the Commission have acquired the membership in the following forums at regional, national and international levels: -

6.7.1 South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR):

Functioning under the Umbrella of International Forum for Utility Regulation (IFUR), the SAFIR was established on May, 1999 with the support of the World Bank of the region comprising Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India and Pakistan, as network of infrastructure regulators. The sectors covered include electricity, natural gas, telecommunications, water, transport, etc. Its objectives are to stimulate research, provide a databank relating to regulatory reform processes and experiences, initiate beneficial exchange of knowledge and expertise. The Chairman of the Commission has attended meetings of SAFIR time to time.

6.7.2 Forum of Indian Regulators (FOIR)

The Forum of Indian Regulators (FOIR) is a registered body constituted in February 2000. Its membership is fee based. The mission of FOIR is to promote transparency in the working of the regulatory bodies, protect consumer interest and develop consumer advocacy organizations; develop human and institutional capacities in regulatory bodies, utilities, and other stakeholders and to provide information based on regulatory law and practice and regulatory economics and to promote growth of independent regulatory Mechanism and transparency in working of regulatory bodies. The FOIR meets at least once in a year and discusses various issues. The Commission joined the Forum of Indian Regulators (FOIR) as its institutional member on 26th May, 2001. The forum has a governing body and member of the FOIR is eligible for appointment to the governing body in honorary capacity. The secretariat for the Governing body is provided by Central Electricity Regulatory Commission. The supreme authority of FOIR is vested in the general body and it shall meet at least once in a year, probably in the month of June. The Chairman of the Commission has attended meetings of FOIR time to time.

6.7.3 Forum of Regulators (FOR):

The Forum of Regulators (FOR) was constituted vide Notification dated 16th February, 2005 in pursuance of the provision under section 166(2) of the Electricity Act, 2003. The Forum consists of Chairperson of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and Chairpersons of State Electricity Regulatory Commissions (SERCs). The Chairperson of CERC is the Chairperson of the Forum. The Forum is responsible for harmonization, coordination and ensuring uniformity of approach amongst the Electricity Regulatory Commissions across the country, in order to achieve greater regulatory certainty in the electricity sector. The Forum shall meet at least twice in a year. The Chairman of the Commission has attended meetings of FOIR time to time.

6.8 Computerization:

Desktop Computers were installed on the seat of all the officers of the Commission for increasing their efficacy and compatibility. These are interconnected through Local Area Network (LAN) so that information can be exchanged quickly on priority through a reliable, paperless mode. The necessary peripheral hardware together with standard software items have also been provided in the office.

6.9 Library:

Various books, Law journals and other documents, pertaining to the Commission were purchased during the period April, 2015 to March, 2016 for the office library as required from time to time.

CHAPTER-7

Consultations with, or representations by, the members of the public in formulation of policy or implementation.

While mandating the Commission to carry out certain duties, the Act also empowers the Commission to frame Regulations to carry out such functions but only after prior publication process which essentially involves public consultation on its Regulatory draft provisions, take into consideration all such suggestions from public and finalize the intended Regulations; such Regulations are subject to judicial review by High Court and Supreme Court. The Commission is required to follow the principle of natural justice after giving due opportunity being heard in all its functions. In order to ensure that views and concerns of the consumers at large are duly voiced and heard through consumer representative to represent consumer interest in its proceedings. .

CHAPTER-8

Committees and other advisory bodies constituted for advice

In terms of section 87 of the Electricity Act, 2003, the Commission has constituted a State Advisory Committee(SAC) comprising 21 members as shown at Annexure-IV, to represent the interests of Commerce, Industry, Transport, Agriculture Labour, Consumers, Non-Governmental Organisations, Academic and Research Bodies on the Electricity Sector. The Secretary of the State Department of Consumer Affairs and Public Distribution System is the ex-officio-member of the Committee. The Chairperson and the Secretary of the State Commission are the Chairperson and Secretary respectively of the State Advisory Committee. The Committee is mandated to deliberate and advise the Commission on the following issues:-

- i) Major questions of policy ;
- ii) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- iii) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
- iv) Protection of consumer interest;
- v) Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

CHAPTER-9

A brief overview of the Power Sector Departments and State Utilities

9.1 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED (HPSEBL)

The Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) was constituted in accordance with the provisions of Electricity Supply Act (1948) in the year 1971. Thereafter, all functions of the Department of Multi-Purpose Projects and Power such as generation, execution of hydroelectric projects except functions of flood control and minor irrigation were transferred to the Board.

HPSEB carried out functions of Generation, Transmission and Distribution for the State of Himachal Pradesh up to June 10, 2010, when the Government of Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred to it under Section 131 (2), 132, 133 and other applicable provisions of the Electricity Act 2003, transferred the functions of generation, distribution and trading of electricity to Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) and the function of evacuation of power by transmission lines to Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL), vide the Himachal Pradesh Power Sector Reforms Transfer Scheme, 2010. A separate Generation Company for execution of new projects in State sector was already created by GoHP.

In accordance with provisions of the Act, vide Notification No. MPP-A(3)-1/2001-IV dated June 15, 2009, the functions, assets, properties, rights, liabilities, obligations, proceedings and personnel of Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) were vested with the Government of Himachal Pradesh. Also in accordance with the provisions of the Act, vide the 'Himachal Pradesh Power Sector Reforms Transfer Scheme, notified vide No. MPP-A(3)-1/2001-IV, dated June 10, 2010, the above mentioned functions, assets, properties, rights etc earlier vested with the Government of Himachal Pradesh were re-vested into corporate entities by the name of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) and Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL). Thus, HPSEBL came into being with effect from June 10, 2010, from the date of re-vesting with the objective that the functions of generation, distribution and trading of electricity shall be undertaken by HPSEBL. The Himachal Pradesh State Electricity Board Limited is a deemed licensee under the first proviso to Section 14 of the Electricity Act, 2003 for distribution and supply of electricity in the State of Himachal Pradesh.

HPSEBL after reorganisation has been entrusted with the functions of distribution of electricity in the State of Himachal Pradesh and hence, HPSEBL is responsible for the development (planning, designing, and construction), operation and maintenance of power distribution system in Himachal Pradesh with inherent trading functions. Identification and investigation of new hydro power potential of the State is also entrusted to HPSEBL. Ownership and O&M of generating stations of erstwhile HPSEB have also been given to HPSEBL and it can continue executing new generating projects in state sector if so allocated by GoHP. HPSEBL has share of power in Central Sector Generating Stations while it also imports power from

neighbouring states to meet the requirement in the state.

Operation and maintenance of the distribution system in HPSEBL is carried out by its three Operation Wings, namely 'North', 'Central' and 'South', and one EHV wing (named System Operation wing), each headed by a Chief Engineer. The three operation wings comprise 12 Operation Circles. The geographical area under these Circles is strictly not as per the territorial jurisdiction of the 12 districts in the State. Despite extreme geographical terrain and climate and with the population spread over far- flung and scattered areas, the State has achieved 100% electrification of towns and villages in 1988.

9.2 HIMACHAL PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

The Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL) is a deemed licensee under first, second and fifth provisos of Section 14 of the Electricity Act, 2003 for transmission of electricity in the State of Himachal Pradesh. HPPTCL was formed through an order notified by the Government of Himachal Pradesh vide its notification No. MPP-A-(1)-4/2006-Loose, dated 11 September, 2008. Through notification No. MPP-A-(1)-4/2006-Loose dated 3 December, 2008, read with the GoHP's earlier notification dated 31 October, 2008, HPPTCL was entrusted with the following works/business with immediate effect:

1. All new works of construction of Sub-Stations of 66 kV and above rating.
2. All new works of laying/ construction of transmission lines of 66 kV and above rating.
3. Formulation, updation, execution of Transmission Master Plan for the state for strengthening of Transmission network and evacuation of power including new works under schemes, already submitted by the Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) under this plan to the Financial Institutions for funding and where loan agreements have not yet been signed.
4. All matters relating to planning and co-ordinations of the transmission related issues with CTU, CEA, Ministry of Power, State Government and HPSEBL.
5. Planning and co-ordination with the IPPs/ CPSUs/ State PSUs/ Other Departments or organizations or agencies of the Central Government and State Government, HPSEBL and HPPCL with regard to all transmission related issues.
6. All other matter of subject that the State Government may specifically assign to the Corporation from time to time.

HPPTCL was declared the State Transmission Utility (STU) by the GoHP vide its order dated 10 June, 2010 and as a result thereof, the Commission recognized the HPPTCL as a deemed "Transmission Licensee" as per the Commission's Order dated 31 July, 2010. Prior to FY11, the transmission tariff was being determined as a part of the tariff orders applicable to HPSEBL system.

The State Government also transferred and vested in HPPTCL the ownership, operation and maintenance of Transmission lines of 66 kV and above rating, owned by the Himachal Pradesh State Electricity Board Limited including the co-ordination of

the lines, owned and operated by Power Grid Corporation of India (PGCIL), Independent Power Producers (IPPs), Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited (HVPNL) and POWER COM (PSEB) vide its notification No. MPP-A (3)-1/2001-IV, dated 21 June, 2010 read with earlier notification of even number dated 10 June, 2010.

9.3 HIMACHAL PRADESH POWER CORPORATION LIMITED (HPPCL)

Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL) was incorporated in December 2006 under the Companies Act 1956, with the objective to plan, promote and organize the development of all aspects of Hydro-electric power on behalf of Himachal Pradesh State Government (GoHP) and Himachal Pradesh State Electricity Board in Himachal Pradesh. The GoHP has a 60% and HPSEB has a 40% shareholding in HPPCL.

The HPPCL has the aim to develop 3000 MW power generating capacity by March 2017 and 5000 MW by the year 2022 and thereby contribute to the development and prosperity of Himachal Pradesh through power generation. Towards achieving this aim, work on various Hydroelectric Projects such as 450 MW Shongtong Karcham, 100 MW Sainj, 111 MW Sawra Kuddu, 243 MW Kashang, 42 MW Chirgaon Majhgaon and 40 MW Renuka Ji is in different stages of execution.

The challenge before HPPCL is to develop itself a power generating company with all the technical and organizational capabilities at par with renowned generating companies such as NTPC, NHPC and SJVNL. To achieve this, efforts are being made to strengthen various departments with professionals of proven credentials and qualified technical manpower.

HPPCL apart from Hydro Power Development, intends to diversify its power development activities in other areas such as thermal, renewable sources of energy (mainly solar power) etc. Its aim is to have a long term corporate plan for planned implementation of the power projects to meet the growing energy demand, ensuring environmental and ecological balance for contributing towards the progress and prosperity of the state.

9.4 HIMACHAL PRADESH LOAD DESPATCH SOCIETY

The State Load Despatch Centre (SLDC) was established in Himachal Pradesh in 2002 and Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. (erstwhile HPSEB) has been operating it since then. HPSEB Ltd was the sole utility looking after the businesses of generation, transmission and distribution of power in the state. With the enactment of Electricity Act, 2003, which broadly focuses on making the power sector competitive, different utilities have been set up in the state to look after the businesses of generation and transmission of power, whereas HPSEB Ltd. continues to be the only utility in the distribution business in the state. The HV/EHV lines previously classified as intra-state transmission lines to have been owned by the State Transmission Utility are now owned by HPSEBL and have been classified as HV/EHV distribution lines. Therefore, unlike many other states of the region where the SLDC functions were assigned to the State Transmission Utility, in Himachal Pradesh, SLDC functions continued to remain under HPSEB Ltd.

In order to ensure that SLDC discharges the functions and duties entrusted with it in

the Electricity Act 2003, in an efficient and effective manner, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission imparted directions to HPSEB Ltd. to take steps to ring fence SLDC, and grant it functional autonomy.

In line with this, the Govt. of Himachal Pradesh ordered the establishment of State Load Despatch Centre as an independent entity in the form of “Himachal Pradesh State Load Despatch Society” vide its order No. MPP-B (13)-2/2010 dated 8.11.2010. HPSEB Ltd. has put the services of some of its employees on secondment basis with Himachal Pradesh Load Despatch Society with effect from 17th June 2012. Himachal Pradesh Load Despatch Society has therefore deemed to have taken over the functions of State Load Despatch Centre from HPSEB Ltd. with effect from 17th June 2012.

However, the two fold reasons of HPSEB Ltd. being the only DISCOM in the state, and for it to have carried out the SLDC functions for so long, have added to the complexities of transferring the functions of SLDC from HPSEB Ltd. to Himachal Pradesh Load Dispatch Society. The unique initiative of the integrated functioning of SLDC (with Himachal Pradesh Load Dispatch Society) and ALDC (HPSEBL) taken up in HP, adds to the difficulties likely to arise during the transition phase. Since ALDC facility of HPSEB Ltd and SLDC facility of Himachal Pradesh Load Dispatch Society are located in the same complex; the necessary assets required for SLDC operation have not been transferred by HPSEB Ltd. to Himachal Pradesh Load Dispatch Society till date.

The biggest challenge today is to provide Himachal Pradesh Load Dispatch Society the necessary infrastructure and human resources so that it can carry out its functions and duties as per the Act. Simultaneously with the coming up of large number of power projects and a number of consumers in the state going in for open access, the role of State Load Dispatch Centre becomes more important as it is designated as the apex body for the integrated operation of the power system in the state by the Act.

9.5 DIRECTORATE OF ENERGY (DoE)

The government of Himachal Pradesh in the year 2009 created the Directorate of Energy as a single point of contact for the resolution of all issues relating to project implementation and hydro power development. The broad aims and objectives of Directorate of Energy are:

1. To provide conducive policy framework and issue directions to promote, develop and harness optimally, the huge hydro potential of the State.
2. Coordinate/ facilitate the programs/policies which lead to conservation of energy and its efficient use.
3. Maximize the revenue by sale of free/ equity power of the state.

The Directorate of energy is contributing in the development of the power sector in the State by carrying out following functions:

- i. Allotment of hydro projects in H.P.
- ii. Monitoring of implementation of projects.

- iii. Grant of techno economic clearances.
- iv. Sale of power share of Government of Himachal Pradesh.
- v. Promote energy conservations and efficiency measures.
- vi. Monitoring of quality and safety aspects of hydro electric plants.

9.6 HIMURJA

HIMURJA is the State Nodal Agency for implementation of renewable energy programme/ schemes in Himachal Pradesh. It is facilitating in providing of various renewable energy applications with the help of State/ Central financial assistance. Himachal Pradesh has been considered as Special Category State by the MNRE, Govt. of India for providing of Central Financial Assistance under various programmes of Ministry. Following are the functions of HIMURJA:

1. To procure, provide and installation of Solar Energy Devices.
2. To submit proposals under Project mode to MNRE, Govt. of India for sanction under various available schemes.
3. To provide subsidy to beneficiaries under JNNSM & other schemes of MNRE, Govt. of India.
4. Preparation of renewable energy power policies for the State and adopt a strategy for the development, promotion and use of renewable energy technologies across the State.
5. To ensure availability of reliable sustained quality power supply from HIMURJA MHEPs.
6. To frame transparent policy for identification and allotment of power projects.
7. Harnessing of small hydro power potential through private and state sector participation.
8. To ensure employment to Himachalis in the Power Projects as per H.P. Govt. instructions ensuring local development.
9. Ensuring the installation of SPV Street Lights in SCs concentrated villages under SCSP.
10. Undertaking resource assessment and potential estimation study for all new and renewable sources of energy.
11. Process cases for providing financial incentives to the IPPs in the shape of subsidy.
12. To facilitate with DOE and HPPTCL, HPSEBL for approval of TEC & inter-connection point.
13. Interaction with various departments for obtaining statutory & non-statutory clearances.
14. Interaction with Tribal Department & Social Justice Department for providing funds for renewable energy devices.
15. Coordinate with various govt. departments, IPPs and monitoring thereof for

early completion of the projects.

16. To organise awareness programmes through various modes for promoting and popularization of renewable energy sources/devices.

9.7 Salient Features:

9.7.1 Generation:

The total identified Hydro Potential of Himachal Pradesh is about 26261MW. In order to harness this huge hydro potential and with a motive to make Himachal Pradesh as Hydro Power State in the Country, the State Government has adopted four-pronged policy by involving State, Central, Joint and Private Sectors. Besides this, the State Government has entrusted small hydro projects, having capacity up to 5 MW to Himurja for implementation under State and Private sectors.

Out of total identified hydro potential of 26261 MW, a potential of 9432.64 MW stands achieved and projects having aggregate capacity of 11233 MW are in various stages of implementation under various sectors. A potential of 40 MW capacity is under dispute or cancelled whereas a potential of 755 MW has been foregone due to environmental concerns.

The Status of Hydro power development in the State under various sectors is as follows:-

Status of Hydro Potential in Himachal Pradesh									
Sr. No.	Sector		Commissioned	Under Construction	Under Clearance Stage	Under Investigation	Dispute	Foregone	Grand Total
			Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW
1	Himurja	State	2.37	0	14.5	0	0	0	16.87
		Private	245.75	153.15	428.15	393.68	0	0	1220.73
2	HPSEBL	up to 5 MW	21.1	0	0	0	0	0	21.1
		> 5 MW	466.45	100	0	85.5	0	0	651.95
3	HPPCL		0	856	1285	963	20	20	3124
4	Central & Joint		6675.73	1600	66	588	0	0	8929.73
5	Yamuna Projects (Himachal Share)		131.57	-	-	-	-	-	131.57
	Ranjeet Sagar Dam (Himachal Share)		27.6	-	-	-	-	-	27.6
6	Private		1862.07	781.43	829.2	3089.5	20	735	7317.2
Total			9432.64	3490.58	2622.85	5119.68	40	755	21440.75
Balance Potential under consideration									4820.61
Grand Total									26261.36

9.7.2 Network

The intrastate transmission and distribution network consists of voltage levels of 220 kV, 132 kV, 66 kV, 33 kV, 22kV, 11 kV and 0.43/0.23 kV. The network comprises of electrical lines measuring about 96828.013 kilometres at various voltage levels. The detail of voltage-wise line length and distribution transformation capacity is as under:

Details of EHT Line Length

220kV	132kV	66kV	Total
422.49 km	1419.22 km	512.12 km	2353.82 km

Details of HT Line Length

33kV	22kV	15kV	11kV	2.2kV	Total
3148.068 km	7247.386 km	107.812 km	22201.903 km	52.186 km	32757.355 km

**Details of LT line Length & Distribution
Transformation Capacity**

LT Line (0.4/0.2 kV)	Distribution Sub-Stations	
	Nos.	kVA
61716.839 km	28539	2371703.8

In all, there are 45 EHV substations feeding the transmission/ distribution network. It is a challenge to maintain such huge network in hilly terrain and prevailing adverse climatic conditions in some parts of the State. The continuous up-gradation of the network is required to meet the growing energy demands and for evacuation of power from hydro power stations coming up in different parts of the State.

9.7.3 Distribution:

100% village electrification as per 1981 Census was achieved in Himachal Pradesh during 1988-89 (June 1988). Subsequently, the definition of village electrification was changed by M/s Rural Electrification Corporation (REC) Ltd. As per 2001 census, 17483 No. of villages have been electrified out of total 17495 villages, ending March 2014. The remaining 12 villages are not technically feasible for electrification being transit, having no population and situated in Densely Populated Forest (DPF) areas. Apart from the village electrification, HPSEBL has taken up the electrification of hamlets to be electrified and 4047 (identified) +614 (un-identified) hamlets stand electrified up to March, 2014 whereas 135 hamlets are yet to be electrified.

In total, there are 22.57 Lac consumers with total connected load of 6876551.210 kW. These consumers are fed through the network consisting of 35111.179 km of HT/EHT lines and 61716.839 km of LT lines. There are 28539 distribution substations with total installed capacity of 2371703.80 kVA. The transmission and distribution loss levels during the year 2015-16 were 12.10 % (the figure of T&D loss for the year FY2015-16 is tentative).

9.7.4 Consumption and availability

A total of 7798.2 MU were consumed by different categories of consumers in the State during 2015-16 with a maximum demand of 1488 MW. The peak power demand occurs during the winter months when the hydro-generation is also low. In totality, the State is surplus in power. However during the winter months, the distribution licensee (HPSEBL) is deficit in power and during the summer months it has surplus power. The surplus power during summer months is banked with the neighbouring states and is received during the winter months when the distribution licensee is deficit in power. The state has regional share in various central sector projects as well as equity share in projects such as Nathpa Jhakri HEP. The state has 12% free power in various hydro projects of the State. HPSEBL uses power from above sources, from its own generating stations as well as from shared generating stations and BBMB to fulfil its requirement. The per capita energy consumption during 2013-14 was 1099 units which increased to 1136 units in 2014-15 (as per 2011 census data), an increase of 3.37%. About 59% of the total consumption in the state is by the Industry, followed by domestic category whose consumption is about 24%. The category wise energy consumption and growth rate during the last three years are as follows:

Category	FY 2012-13	FY 2013-14		FY 2014-15		FY 2015-16
	Consumption (MU)	Consumption (MU)	Growth rate	Consumption (MU)	Growth rate	Consumption (MU)
Domestic	1618.45	1774.497	9.64%	1871.536	5.47%	1942.223
Non Domestic						129.860
Non Commercial	106.82	117.59	10.08%	128.954	9.66%	
Commercial	408.73	450.942	10.33%	468.38	3.87%	492.617
Public Lighting	13.91	12.454	-	13.247	6.37%	13.033
Small Power	61.48	59.069	-3.92%	70.513	19.37%	90.486
Medium Power	144.69	144.069	-0.43%	137.317	-4.69%	119.889
Large Supply	4173.16	4287.579	2.74%	4386.116	2.30%	4393.426
Water Pumping and Irrigation Supply	500.6	512.041	2.29%	541.877	5.83%	546.328

Temporary	25.9	26.895	3.84%	25.502	-5.18%	29.757
Agriculture Supply	-	-	-	-	-	51.646
Bulk Supply	169.78	150.696	11.24%	154.755	2.69%	141.820
Total Energy Sales	7223.52	7535.832	4.32%	7798.197	3.48%	7951.086

CHAPTER-10

Directory of Officers and Staff

Directory of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission officers and employees during 2015-16 is as shown at **Annexure -I**

CHAPTER-11

Remunerations of Officers and Staff

- 11.1** The details of gross salary in respect of Chairman, Officers and Employees of the Commission as on 31.03.2016 or as on their last working month in the Commission are as shown at **Annexure-II**
- 11.2** The pay and allowances in respect of the Chairman, Officers and employees of the Commission are being released as per pay scales duly approved by the Government for the respective categories of posts except for those in whose case the HPSEBL based pay scales have been protected by the Government. However, in case of the employees who were on secondment with the Commission from H.P. Govt., HPSEBL and SJVNL, having different pay and allowances structure than that of H.P. Government Deptt. were paid the pay and allowances as would have been paid to them in their respective organizations.

CHAPTER-12

Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by the Commission or used for discharging its functions.

12.1 Rules, Regulations and Instructions:

The following are some of the important statutes, rules and regulations followed by the Commission and its employees for discharging day to day functions :-

1. Electricity Act, 2003.
2. Electricity Rules, 2005.
3. Electricity Policy.
4. Tariff Policy.
5. CERC regulations and orders.
6. Regulations/Amendments/ other Notifications/Orders framed by the Commission from time to time during the year.

All the regulations notified so far by the Commission are available on the Commission's website.

7. Civil Procedure Code
8. HPERC Fund (Constitution of Fund, the manner of application of fund and form and time for preparation of Budget) Rules, 2007
9. Rules, Instructions/Circulars issued by the State Government from time to time on various policies, establishment matters etc.

12.2 Manuals and Records etc.

In addition to above-mentioned Rules, Regulations, Policies etc., HPERC has also notified the following Guidelines/Orders/Concept Papers to facilitate discharge of its functions:

1. Guidelines for Load Forecast, Resource Planning and Power Procurement Process.
2. Directions for the Approval of Hydro Electric Projects in the State of Himachal Pradesh, 2005.
3. HPERC Determination of Open Access Charges Order, 2008.
4. HPERC Fixation of Intra State Trading Margin Order, 2008.
5. HPERC Tariff for Grid Interactive Photovoltaic and Solar Thermal Power Projects (Eligible under MNRE guidelines), 2009.
6. HPERC (Determination of Open Access Charges) Order, 2010.
7. Notification of Designated State Agency.
8. Notification of RPPO applicability to Captive and Open access Consumer(s)/user(s).
9. HPERC (Fixation of Fees and Charges for Accreditation of Renewable Energy Generation Project) Order, 2010.
10. Detailed procedure for Grant of Connectivity, Long-Term and Medium-Term Intra-State Open Access.

CHAPTER-13

Subsidy programmes, including the allocations and the beneficiaries

Execution of subsidy programmes does not fall in the ambit of its functions.

CHAPTER-14

Recipients of concessions, permits or authorizations granted

During the year, no such concessions, permits or authorizations have been granted by the Commission.

CHAPTER-15

Details of the information available or held by it, in an electronic form

All regulations, guidelines, Judicial and other important orders issued by the Commission have been produced in electronic form and are available on its website: <http://www.hperc.org>

CHAPTER-16

Facilities available to citizens for obtaining information, including library or reading room, if maintained, for public use

The Commission has hosted its website <http://www.hperc.org> to provide easy access and wide publicity to public in respect of various activities being undertaken by HPERC. Apart from above, as per Regulation 23 of the HPERC (Conduct of Business) Regulation, 2005, the records of every proceeding are open for inspection of the parties or their authorized representative at any time, either during the proceedings or after the orders are passed, subject to payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct. Certified copies of the documents of the Commission can also be obtained after payment of prescribed fees and following the procedure laid down in Regulation 24 of the aforesaid Regulation. The library of the Commission is not open to public use.

CHAPTER-17

Names, designations and other particulars of the Public Information Officers

The particulars of the Public Information Officers notified by the Commission in compliance to Section 5 and 9 of the Right to Information Act, 2005 are as under : -

Name	Designation	Telephone No.	
		Office/Mobile	Residence
1. Appellate Authority			
Sh. Amarjeet Singh (I.A.S.)	Secretary	0177-2621003/ 94180-46609	0177-2620090
2. Public Information Officer			
Ms. Sangeeta Negi	Pers-cum- Admn. Officer	2627907/	94184-76598
3. Assistant Public Information Officer			
Mrs. Rama Mahajan	Superintendent	0177-2627263	98051-99588

CHAPTER-18

Categories of documents held by the Commission or under its control

The categories of the documents that are maintained by the Commission mainly relate to: -

- (i) The petitions filed by the various agencies and consumers on matters falling in the ambit of the functions assigned to the Commission and Orders issued thereof.
- (ii) Matters on which the statutory advice to the State Government has been made under sub-section 2 of Section 86 of the Electricity Act, 2003.
- (iii) Documents relating to finalisation of different regulations and amendments thereof.
- (iv) Investigation of the matters under Section 128 of the Act.
- (v) Correspondence on appointment of consultants, engaged by the Commission for providing assistance on determination of generation, transmission, bulk and retail supply tariffs, various studies for HPSEBL, preparation of regulations, legal and technical assistance etc.
- (vi) Bills, Vouchers, Payee Receipts and other related documents.
- (vii) Copies of Annual Accounts and Annual Administrative Reports
- (viii) Audit and Inspection Reports.
- (ix) Cash Books, Ledgers etc.
- (x) Personal records and Service Books of the employees.

Annexure –I**Telephone Directory of the Staff of the Commission as on 31.03.2016**

SR. NO.	NAME OF OFFICERS/EMPLOYEE S	DESIGNATION	OFF.No.	RES.No./ Mobile No.
1	Sh. S.K.B.S. Negi	Chairman	2627262	2621077
2.	Sh. Amarjeet Singh	Secretary	2621003	2623291
3.	Sh. S.K. Chauhan	Executive Director (Tech.)	2627983	94184-79199
4.	Sh. S.K. Joshi	Executive Director (Tariff)	2627978	2625501
5.	Smt. Rinku Gautam	Director	2627908	9816636690
6.	Sh. Ajay Chadha	Jt. Director	2627907	2657452
7.	Sh. Pradeep Chauhan	Jt. Director (Tariff)	2627907	94184-50992
8.	Sh. Devinder Sharma	Deputy Director	2627907	98162-37857 94181-34072
9.	Sh. Sangeeta Negi	Sr. A.O./PAO	2627907	94184-76598
10	Shri Satish Arya	Law Officer	2627908	9418515295
11.	Sh. Mohinder Singh Thakur	Private Secretary	2627262	9817108228
12.	Sh. Sushil Kashyap	Reader	2627908	9418120556
13.	Sh. B.S. Kanwar	Private Secretary	2627262	9418069569
14.	Smt. Rama Mahajan	Superintendent	2627907	9805199588
15.	Sh. Raj Kumar Sharma	Superintendent	2627908	9459265289
16.	Sh. Dinesh Chauhan	Sr. Assistant	2627978	9418462400
17.	Sh. Room Singh	Driver	-	9816002465
18.	Sh. Kundan Singh	Peon	-	9129422808

ANNEXURE-II**Salary of the Chairman, Officers and Employees as on 31.03.2016**

Sr. No.	Name	Gross Monthly salary in Rs.
1.	Sh. S.K.B.S Negi,	136925
2.	Sh. Amarjeet Singh, Secretary	-
3.	Sh. S.K. Chauhan, ED(Technical)	164327
4.	Sh. S.K.Joshi, Executive Director (Tariff)	157566
5.	Sh. Ajay Chadha, Joint Director	119569
6.	Sh. Pradeep Chauhan, Joint Director	81217
7.	Sh. Devender Sharma, Deputy Director	64931
8.	Smt. Sangeeta Negi, Sr. AO	47430
9.	Sh. Susheel Kashyap, Reader	75946
10.	Sh. Satish K. Arya, LO	70341
11.	Sh. Mohinder Singh Thakur, PS	80158
12.	Sh. B. S. Kanwar, PS	57286
13.	Smt. Rama Mahajan, Supdt.	52261
14.	Sh. Raj Kumar Sharma, Superintendent	66263
15.	Sh. Dinesh Chauhan, Sr. Assistant	36678
16.	Sh. Room Singh, Driver	37775
17.	Sh. Atma Ram, Driver	17573
18.	Sh. Suresh Chand, Driver	22844
19.	Sh. Kundan Singh, Peon	20549

DETAILS OF STAFF w.e.f. 01.04.2015 to 31.03.2016

Sr. No.	Name & Designation	Date of joining w.e.f.	Mode of recruitment
1.	Sh. Subhash C. Negi, Chairman	01.02.2011 to 20.09.2015	Appointment by the Government
2.	Sh. S.K.B.S. Negi, Chariman	01.10.2015	Appointment by the Government
3.	Dr. Man Singh, HAS Secretary,	21.08.2012 to 26.10.2015	On transfer from GoHP
4.	Sh. Amarjeet Singh, HAS Secretary	26.10.2015 to 25.4.2016	On transfer from GoHP
5.	Sh. Kameshwar Singh Dhaulta, HAS Secretary	25.4.2016	On transfer from GoHP
6.	Sh. S.K. Joshi, Executive Director (Tariff)	03.02.2011	On secondment from HPSEBL
7.	Sh. S.K. Chauhan, Executive Director (Tech.)	15.06.2015	On secondment from HPSEBL
8.	Sh. Baljeet Singh Negi, Executive Director (Tech.)	24.04.2015 to 30.04.2015	On secondment from HPSEBL
9.	Sh. Pankaj Sharma, Jt. Director	01.08.2012 to 18.08.2015	On secondment from HPSEBL
10.	Smt. Rinku Gautam, Director	18.09.2015	Commission cadre
11.	Sh. Ajay Chadha, Jt. Director	23.12.2010	Commission cadre
12.	Sh. Rakesh Chand Negi, Dy. Director	18.02.2014 to 30.04.2015	On secondment from HPSEBL
13.	Sh. Pardeep Chauhan, Jt. Director	15.06.2015	On secondment from HPSEBL
14.	Sh. Devinder Sharma Dy. Director	04.12.2015	On secondment from HPSEBL
15.	Sh. J.S. Raitka, PAO	17.11.2004	Commission cadre

16.	Sh. Diwakar Sharma, Sr. A.O.	14.01.2014 to 29.05.2015	On transfer from GoHP
17.	Smt. Sangeeta Negi, Sr. A.O.	14.08.2015	On transfer from GoHP
18.	Sh. Satish Arya, Law Officer	01.02.2016	Commission cadre
19.	Sh. Mohinder Singh Thakur, P.S.	22.02.2001	On secondment from HPSEBL
20.	Sh. B.S. Kanwar, P.S.	30.10.2004	Commission cadre
21.	Sh. Sushil Kashyap. Reader	30.10.2004	Commission cadre
22.	Smt. Rama Mahajan, Supdt.	30.10.2004	Commission cadre
23.	Sh. Kamal Dilaik, Supdt.	30.10.2004	Commission cadre
24.	Sh. Raj Kumar, Supdt.	25.09.2009	Commission cadre
25.	Smt. Renu Vats Sr. Scale Stenographer	17.07.2013	Commission cadre
26.	Sh. Dinesh Chauhan Sr. Assistant	18.07.2013	Commission cadre
27.	Sh. Room Singh Driver	14.07.2009	Commission cadre
28.	Sh. Kundan Singh, Peon	07.11.2013	On secondment

ANNEXURE-IV

State Advisory Committee Members of the Commission

1. Additional Chief Secretary (MPP & Power) to the Government of HP, Shimla-171 002.
2. Principal Secretary, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt. of HP Shimla-02
3. Joint Secretary, Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, Block No.14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, Fax: 011-24367413.
4. Director, Directorate of Energy Phase-3, Sector-5, Shanti Bhawan, New Shimla-171009 (HP)
5. The Chairman, HPSEB, Ltd., Vidyut Bhawan, Shimla-171 004.
6. The Managing Director, HPSEB, Ltd., Vidyut Bhawan, Shimla-171 004.
7. The Managing Director, Himachal Pradesh Power Transmission Corporation, Borowalia House, Khalini, Shimla-171002 (H.P.).
8. The Managing Director, H.P. Power Corporation Ltd., Himfed Bhawan, Below Old MLA Quarters, Panjri, Shimla-171 005.
9. The Director (Personnel) Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. Him Fed Building, New Shimla-171 009.
10. Sh. Rajesh Kumar Mehndiratta, Director - Business Development & Membership, India Energy Exchange Ltd., 100A/1, Ground Floor, Capital Court, O/o of Palme Marg, Munirka, New Delhi-110067, Ph.011-43004000, (Fax No.430004015)
11. Sh. P.N. Bhardwaj, Consumer Representative, HPERC, Arcadia, P.O. Dharampur, Distt. Solan (H.P.)-173209
12. Professor & Head Centre for Excellence in Energy & Environment, National Institute of Technology, Hamirpur-177005 (HP).
13. Engineer-in-chief, IPH, Govt. of HP, US Club, Shimla-171001.
14. Director Agriculture, Directorate of Agriculture, Krishi Bhavan, Shimla-171005
15. Confederation of Indian Industry (CII) HP Council, Sector 31-A, Chandigarh-160030.
16. Chairman PHDCCI, HP Committee, Room No. 205, Udyog Bhawan, Shimla-1.
17. President, Shimla Hotel & Restaurant Association C/o Hotel Shivalik, Ridge Shimla, (H.P.)
18. Convener, H.P. Small Hydro Power Association, B-99, Sector 3, New Shimla-171009 (HP).
19. Chief Executive Officer, HIMURJA, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009.

अध्याय—1

विद्युत विनियामक आयोग की संरचना

1.1 वैधानिक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन दिसम्बर, 2000 में किया गया तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को अपना कार्य आरम्भ किया गया। उस समय देश में विद्युत उद्योग तीन अधिनियमों नामतः भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ; विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1948 के अधीन कार्य करता था। 1910 के अधिनियम के अन्तर्गत भारतवर्ष के विद्युत आपूर्ति उद्योग हेतु आधारभूत विधिक ढाँचा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य निजी लाइसेंसधारियों के माध्यम से विद्युत उद्योग का विकास करना था। इसके द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अधीन तारों तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए स्थापित विधित ढाँचा तथा राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना अधिदेशित किया जाना था। यह महसूस किया गया कि विद्युतीकरण, जो कि अभी तक शहरों तक ही सीमित था को अधिक गति प्रदान की जाए और राज्यों को यह दायित्व सौंपा जाए। तथापि कुछ समय के पश्चात, शुल्क निर्धारण, एक व्यवसायिक तथा स्वतन्त्र रूप में न किए जाने की स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों की निष्पादन क्षमता में विकृति आ गई क्योंकि वास्तव में शुल्क निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इस समस्या के निराकरण तथा शुल्क निर्धारण में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचने के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने के प्रावधान किए गये। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिनियम बनाए गए। राज्य सुधार अधिनियमों के अधीन उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य द्वारा राज्यों विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना तथा अपनी विभिन्न स्थानांतरण स्कीमों के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों को एक पृथक उत्पादन, संचारण एवं वितरण कम्पनी के रूप में स्थापित किए जाने की दिशा में पहले ही कई सुधार अमल में लाए गए।

विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा विद्युत उपयोग एवं सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास हेतु इसके अनुरूप उपाय करने, प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत शुल्क को तर्क संगत बनाने, उपदान के सम्बन्ध में पारदर्शी नीति सुनिश्चित करने, कुशल एवं पर्यावरण-मित्र नीतियों के विकास, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा अपीलीय

न्यायाधिकरण स्थापित करने सम्बन्धी नियमों को समेकित किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003, 26 मई, 2003 को अधिनियमित किया गया था। 2003 में अधिनियमित इस अधिनियम के अधीन विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विनियामक दायित्वों में सरकार से दूरी बनाए रखने, 1910, 1948 तथा 1998 के पूर्व तीनों केन्द्रीय अधिनियमों में अनुरूपता एवं औचित्य स्थापित करते हुए राज्य विद्युत बोर्डों के अस्तित्व बनाए रखने, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने सुधार अधिनियम पारित करने तथा इसके साथ ही राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लाइसेंसधारियों के नियंत्रण सम्बन्धी निराकरण उपायों से अन्यथा मूल विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए मात्र एक विधान बनाया जाना शामिल है।

विद्युत अधिनियम 2003 तथा 1998 के अधिनियम के अधीन गठित केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए सभी आयोग अब विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कार्य करते हैं। ये आयोग, अर्द्ध-न्यायिक तथा वैधानिक दायित्व तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं।

1.2 राज्य आयोगों की स्थापना का उद्देश्य

विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने तथा सरकारी तन्त्र से विनियामक आयोगों के विनियामक दायित्व के निर्वहन में दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक विस्तृत तथा समान विनियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंजीकरण की नितान्त आवश्यकता थी। इसके साथ ही इसमें खुली पहुँच तथा विपणन हेतु नवीन अवधारणा विकसित करना भी शामिल था। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य निवेश सुविधाएं प्रोत्साहित तथा उपलब्ध करवा कर विद्युत क्षेत्र का वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार विकास करना है ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर गुणात्मक विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके। विद्युत अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नीतियों के दृष्टिगत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.3 राज्य आयोग के कार्य

आयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा आपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारण करना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि विद्युत क्षेत्र में निवेश, प्रतिस्पर्द्धा तथा कार्यकुशलता प्रोत्साहित करने के साथ-साथ शुल्क, सेवा की गुणवत्ता तथा प्रभावी शिकायत निवारण सहित उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) के अधीन राज्य आयोग को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य सौंपे गए हैं :-

- राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु बहुल, थोक अथवा खुदरा, यथास्थिति, शुल्क निर्धारित करना :
- यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ता के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो, का ही निर्धारण करेगा।
- वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय एवं प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत भी शामिल है जिस पर अनुबन्ध द्वारा उत्पादक कम्पनियों अथवा लाइसेंसधारियों अथवा अन्य स्त्रोतों से राज्य के भीतर वितरण एवं आपूर्ति हेतु विद्युत प्रापण किया जाएगा।
- राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना जो संचारण, वितरण लाइसेंसधारी व विद्युत व्यापारी के रूप में प्रदेश के भीतर प्रचालन में इच्छा रखते हों।
- ग्रिड से जोड़ने के लिए व किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय हेतु समुचित उपाय उपलब्ध करवाकर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन एवं सहउत्पादन प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही ऐसे स्त्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिशतता निर्धारित करना।
- लाइसेंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना।
- अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना।
- धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।

लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।

- यदि आवश्यक हो तो, राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।
- ऐसे सभी अन्य कार्यों का निर्वहन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।

आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अधीन राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य विषय में परामर्श प्रदान कर सकता है :—

- (i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।
- (ii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।
- (iii) राज्य में विद्युत उद्योग की पुर्नसंरचना तथा पुर्नसंगठन।
- (iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण व व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार, द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

अध्याय-2

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

2.1 आयोग की संरचना

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एक निगमित निकाय है, जिसका गठन विद्युत विनियामक अधिनियम, 1998(1998 का 14वां)के अधीन 31.12.2000 में किया गया था तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को शिमला स्थित मुख्यालय से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82, 1998 के अधिनियम के अनुसार विद्युत विनियामक आयोग, 2003 के अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य आयोग के रूप में कार्य करेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम तीन सदस्य होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके न्यायाधीश होंगे तथा सम्बंधित राज्य के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इसके अन्य सदस्य होंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।

राज्य आयोग में इस समय केवल एक ही सदस्य है, प्रथम अध्यक्ष तथा उनके उपरान्त सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रमांक	नाम	अवधि
1.	श्री एस0एस0 गुप्ता	06.01.2001 से 05.01.2006 तक
2.	श्री योगेश खन्ना	31.01.2006 से 29.01.2011 तक
3.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी	01.02.2011 से 20.09.2015 तक
4.	श्री एस0के0बी0एस0 नेगी	01.10.2015 से कार्यरत हैं।

2.2 संगठनात्मक संरचना

2.2.1 बहुआयामी कार्यदल

विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित आयोग के कार्यों के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके सदस्यों तथा कर्मचारियों के पास विविध ज्ञान तथा अनुभव होना वांछित है जैसा कि राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए निर्धारित की गई है। योग्यताओं से


स्पष्ट है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, जिसमें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि अथवा प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने की क्षमता के पर्याप्त ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुसार आयोग के पास अधिकारियों का एक छोटा सा दल है जिसकी विविध व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, इन में से अधिकतर लोगों को सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रशासनिक, सचिवालय तथा समर्थन कर्मचारी वर्ग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछेक मामलों में आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अधीन परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त की जा रही है, कार्यालय सुरक्षा, स्वागत कार्यालय सहायता, स्वच्छता आदि कुछ अन्य कार्यों के लिए भी बाह्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

2.2.2 स्वीकृत संख्या

पदों की संख्या, उनका स्वरूप, वेतन तथा भत्ते, अन्य सेवा शर्तें आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 46 है जिन पर वर्ष के दौरान 28 व्यक्ति कार्यरत रहें। लगातार प्रयत्न किए जाने के बावजूद आयोग इन पदों को भरने में असमर्थ रहा जिसका कारण सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान न किया जाना तथा / अथवा सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध न होना है।

2.3 संरचना

आयोग का शिमला में एक मात्र कार्यालय है, संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित की जा रही है :-



2.4 कार्यों का आबंटन

आयोग का कार्यालय शिमला में स्थित है। अध्यक्ष, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक, तकनीकी तथा शुल्क नामक तीन प्रभाग हैं। आयोग के विभिन्न कार्य इन प्रभागों तथा उनके प्रमुखों को सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

2.4.1 प्रशासनिक प्रभाग :

यह प्रभाग आयोग के सचिव के अधीन कार्य करता है जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके द्वारा प्रशासनिक, वित्त तथा विधि मामलों, कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में आयोग को विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है, इसके साथ ही इनके द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच सम्पर्क तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य भी किया जाता है, इसके अतिरिक्त, संगठन, बजट, क्रय एवं प्रापण, रख-रखाव, देखभाल, कार्मिक, प्रबन्धन, विधि तथा न्यायालय सम्बन्धी मामले, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन आदि महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं।

● सचिव :

सचिव, आयोग के प्रशासनिक एवं सचिवालय प्रभाग के प्रमुख हैं। वह आयोग, इसकी विभिन्न शाखाओं, केन्द्रीय एवं राज्य की संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। वह आयोग की नीति तथा प्रशासन से सम्बंधित सभी मामलों में परामर्श प्रदान करता है। सचिव द्वारा, विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन किया जाता है :-

1. आयोग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना तथा मौलिक एवं पूरक नियमों, हिमाचल प्रदेश वित्त नियम तथा आयोग द्वारा अपनाए गये अन्य नागरिक सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप अन्य कार्य करना।
2. राज्य सलाहकार समिति की समय-समय आयोजित की जाने वाली बैठकों में पदेन सचिव के रूप में कार्य करना।
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन कार्य करना, यथा :-
 - (क) आयोग से सम्बन्धित सभी याचिकाओं, आवेदनों, अन्य अभिवचनों तथा संदर्भों को प्राप्त करना अथवा करवाना।
 - (ख) आयोग के समक्ष किये गए ऐसे सभी अभिवचनों का सक्षेप तथा सारांश तैयार करना अथवा करवाना।
 - (ग) आयोग द्वारा संचारित कार्यवाहियों में सहयोग देना।
 - (घ) आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करना।

- (ड.) आयोग द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
 - (च) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा उनके अभिकरणों, राज्य विद्युत बोर्डों अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों तथा फर्मों अथवा अन्य किसी व्यक्ति से, ऐसी सूचना जिसे आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन हेतु उपयोगी समझा जाता हो, को एकत्र करना अथवा करवाना।
 - (छ) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैधानिक अधिसूचनाओं, नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियां रखना।
 - (ज) विनियमों, वैधानिक अधिसूचनाओं, आदेशों की अधिप्रमाणित प्रतियों का कालानुक्रमिक संग्रहण करना तथा उनसे सम्बंधित विशिष्टियां एवं विवरण का रजिस्टर रखना।
 - (झ) आयोग द्वारा जारी सभी आदेशों निर्देशों तथा विनियमों को आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।
 - (ञ) आयोग की ओर से समनो की तामील स्वीकार करना तथा इसके साथ ही वाद पत्रों तथा प्रतिपादनों पर हस्ताक्षर करना तथा उनका सत्यापन करना।
4. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों में उचित व्यवहार व अनुशासन सुनिश्चित करना।
 5. शिकायत निवारण तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण।
 6. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विनियम के अधीन सौंपे गये अन्य किन्ही कार्यों का निर्वहन करना।
 7. आयोग द्वारा प्रायोजित तथा सौंपे गये अन्य कोई भी कार्य।

2.4.2 तकनीकी प्रभाग :

यह प्रभाग, विनियामक मामलें, जिसके अन्तर्गत विनियम बनाना, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोर्ड आदि शामिल है, तथा एतद् सम्बन्धी अन्य कार्य, लागत आबंटन तथा दर डिजाईन प्रस्ताव, टी एण्ड डी तथा ए टी एण्ड सी क्षतियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानको का मूल्यांकन, लोड फोर कास्ट, विद्युत क्रय अनुबन्ध आदि विषयों को देखता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इनकी सहायता के लिए एक निदेशक (तकनीकी) हैं जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर के अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त इस प्रभाग में दो उप-निदेशक तथा सहयोगी कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी):

1. आयोग को इंजीनियरिंग, आर्थिक तथा नीति विश्लेषण सम्बन्धी अन्य तकनीकी तत्वों के बारे परामर्श प्रदान करना।
2. प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के तकनीकी पहलुओं को समझना एवं उनका विश्लेषण करना तथा आयोग के आदेशों को लिखित रूप देने में सहायता प्रदान करना।
3. लागत आबंटन तथा दर डिजाईन प्रस्तावों सम्बन्धी विशेष कार्य करना, उपयोगिता योजना तथा संचालन निणयों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन, मुख्य उपयोगिता निर्माण परियोजनाओं के रेखांको तथा विवरणों की समीक्षा, कार्य स्थल पर निरीक्षण प्रणाली में सुधार लाना, उपयोगिता रिपोर्टों की संवीक्षा तथा तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन करना।
4. विद्युत क्रय अनुबन्धों का निरीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन।
5. संचारण लाइसेंस, वितरण लाइसेंस तथा विद्युत व्यापारियों द्वारा राज्य के भीतर कार्य करने के सम्बन्ध में इच्छुक लोगो को लाइसेंस जारी करने में आयोग को सहयोग प्रदान करना
6. समस्त निवेश कार्यक्रमों, तकनीकी मानको एवं प्रक्रियाओ, ग्रिड एवं वितरण कोडो, सेवा मानको, वित्तीय एवं आर्थिक मानकों, तकनीकी निरीक्षण एवं संग्रहण, तकनीकी आंकड़ो के संकलन तथा विश्लेषण का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
7. विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन सभी सम्बन्धित विनियमों को तैयार करना तथा उनका पुनरीक्षण करना।
8. संचारण सुविधा तथा विद्युत वितरण से सम्बन्धित अन्तराज्यीय तथा अन्तर प्रदेशीय मामलों तथा संचारण सुविधाओं एवं विद्युत वितरण सम्बन्धी अन्य मामले।
9. खुली पहुँच के कार्यान्वयन हेतु सुविधाएं प्रदान करना/ संवीक्षा।
10. ग्रिड संयोजन के उपर्युक्त उपाय उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन तथा सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसी व्यक्ति को विद्युत बेचने के साथ-साथ वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में विद्युत की खपत को विनिर्दिष्ट करना।
11. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य कर्तव्य।

2.4.3 शुल्क प्रभाग :

यह प्रभाग, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण, दीर्घकालीन शुल्क विन्यास योजना, शुल्क प्रक्रिया हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं आर्थिक निवेश उपलब्ध कराना, युटिलिटीज के आर्थिक निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्ट की संवीक्षा सहित युटिलिटीज के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के

अधिकारी हैं। इन्हें एक निदेशक (शुल्क) की सहायता प्राप्त है, जो अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, इसके साथ ही इस प्रभाग में दो उप निदेशक एवं सहायक कर्मचारी वर्ग भी कार्य कर रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक (शुल्क):

1. शुल्क विनियम तैयार करना तथा राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग, थोक, बहुल अथवा खुदरा, यथास्थिति के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारित करना।
2. राष्ट्रीय विद्युत नीति योजना तथा राज्य विद्युत नीति, यदि सरकार द्वारा कोई प्रकाशित की गई हो के अनुरूप शुल्क सम्बन्धी मामलों का निर्धारण।
3. आयोग को पूंजी लागत, पूंजी लागत दर, आधार लागत, राजस्व, व्यय, मूल्यह्रास तथा शुल्क डिजाईन आदि के सम्बन्ध में साक्ष्य तथा अन्य सामग्री तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
4. लेखांकन तथा वित्त सम्बन्धी मामलों में जिरह के लिए प्रश्न तैयार करने, सीधे साक्ष्य प्रस्तुत करने, दर वाद प्रदर्श मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आयोग को वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में परामर्श प्रदान करना।
5. युटिलिटीज़ के विकास तथा सभी प्रकार के निवेशों का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
6. युटिलिटीज़ द्वारा प्रस्तुत मुख्य घटनाओं, वित्तीय निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्टों की संवीक्षा भी करना।
7. टी एण्ड डी, ए टी एण्ड सी क्षतियों की पुनरीक्षण तथा अनुपालना।
8. निष्पादन के मानकों की संवीक्षा।
9. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य दायित्व।

अध्याय—3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उतरदायित्व के माध्यम शामिल हैं

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा आयोग को मुख्य रूप से विभिन्न विनियम बनाने, इन विनियमों के अन्तर्गत आदेश जारी करने तथा समय-समय पर इसके समक्ष दायर की गई याचिकाओं को निपटाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन के दौरान आयोग, अधिनियम/नियम/विनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/विनियमों के फोरम, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण/ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा शुल्क नीति एवं विद्युत नीति आदि को ध्यान में रखते अपना निर्णय देता है। आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय—II में विनिर्दिष्ट की गई है। आयोग अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेता है तथा जहां तकनीकी सहायता की आवश्यकता समझी जाती है वहां आयोग अपने तकनीकी दल तथा उसके द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं से परामर्श लेकर अपना निर्णय देता है। जहां तक आन्तरिक निर्णय करने का सम्बन्ध है, इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन हेतु खड़ी रिपोर्टिंग पद्धति अपनाई जाती है तथा मुख्य निर्णय आयोग के स्तर पर लिए जाते हैं। तथापि नैतिक निर्णय, नियमों, विनियमों तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं।

आयोग अपने कार्य का संचालन, प्रशासन, वित्त एवं विधि प्रभाग, तकनीकी विश्लेषण प्रभाग तथा शुल्क एवं वित्तीय विश्लेषण प्रभाग के माध्यम से करता है। उपरोक्त तीनों प्रभाग क्रमशः सचिव, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) तथा कार्यकारी निदेशक (शुल्क) के अधीन कार्य करते हैं। सम्बन्धित प्रभागों के मामले उन प्रभागों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों द्वारा विचारित किए जाते हैं जो शाखा के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार सभी प्रभागों के प्रमुख दस्तावेज तथा रिपोर्ट, अध्यक्ष/आयोग को प्रस्तुत करते हैं। राज्य आयोग अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सुनवाई सहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को अपनाते हुए निर्णय लेते समय पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए।

अध्याय-4

आयोग के कृत्यों के निर्वहन हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड

आयोग की कार्य प्रणाली विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा राज्य की नितियों के अधीन विनियमित होती है। कुछेक मुख्य क्षेत्रों में विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन शुल्क निर्धारण तथा लाईसेंस जारी करने जैसे मुख्य कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शुल्क निर्धारण अथवा एतद् सम्बन्धी सभी मामलो का निपटारा भी अधिनियम में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति से 120 दिन की अवधि के भीतर निपटाए जाने अपेक्षित हैं। तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी विभागों के लिए कार्यालय नियमावली में विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु विहित मानक आयोग द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं। जहां तक विभिन्न व्यय स्वीकृति सम्बन्धी मानकों का सम्बन्ध है, आयोग द्वारा निधि नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया/प्रत्यायोजन के आधार पर आयोग, अध्यक्ष, सचिव तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को विभिन्न प्रकार के व्यय स्वीकृत करने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अध्याय-5

योजनाएं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गये संवितरणों को उपदर्शित करते हुए बजट विवरण

आयोग, वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बजट प्राप्त करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोग को मुख्य लेखा शीर्ष 2801-80-800-01-SOON-41 गैर योजना के अधीन 90.00 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। आयोग द्वारा बजट का आबंटन आगे नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई भी अधीनस्थ कार्यालय नहीं है आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: MPP-A (3) -7/2004 दिनांक 03-05-2007 के तहत स्थापित एवं संचालित अपने निधि नियमों के अधीन विनियमित होती है। आयोग के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्र पर तैयार किए गये हैं। आयोग के लेखे प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, आय तथा व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

आयोग की वर्ष 2015-16 वित्त वर्ष की कुल आय 422.68 लाख रुपये आंकी गई है। सम्बन्धित वर्ष के दौरान 371.81 लाख रुपये का व्यय हुआ इस प्रकार 31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आय तथा व्यय लेखा के अनुसार 445.73 लाख रुपये का आय आधिक्य हुआ।

5.1 आयोग की वित्तीय स्थिति

आयोग की 31.03.2016 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

लाख रुपयों में			
दायित्व		परिसम्पतियां	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
समूह निधि	1435.89	जमा परिसम्पतियां	31.12
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	107.40	निवेश	806.19
		अन्य वर्तमान परिसम्पतियां तथा अग्रिम	554.29
		हिमुडा को भूमि तथा भवन निर्माण हेतु क्रमशः 97.00 लाख तथा 403.00 लाख रुपये अग्रिम (500.00 लाख)	97.00
		प्रतिभूति राशि	0.57
		नगदी तथा बैंक शेष	54.12
योग	1543.29		1543.29

5.2 आयोग के लेखों को विधान सभा में प्रस्तुत करना

आयोग के वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखे निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित लेखे तथा एतद् सम्बन्धी लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकार को भेजी गई जैसा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निधि नियमों के नियम 7(4) द्वारा वांछित है।

अध्याय-6

वर्ष के दौरान आयोग की वैधानिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

आयोग के विधि प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई :-

6.1 राज्य आयोग, माननीय उच्च न्यायालय, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विवाद अधिनिर्णय।

आयोग के विनियमों को अन्तिम रूप देने तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों की जांच किए जाने के दौरान आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यरत अपने अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए विधि सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार करने, याचिकाओं/प्रतिशपथ-पत्र को तैयार तथा दायर करने सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त आयोग को लम्बित मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाने के साथ ही आवश्यकतानुसार विधि परामर्श प्रदान अथवा प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य भी करते हैं। न्यायालयों, न्यायाधिकरण तथा आयोग के समक्ष 01.04.2015 से 31.03.2016 तक लम्बित तथा निर्णीत याचिकाओं/दायर अपीलों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

न्यायालय मामलों का संक्षिप्त विवरण

I राज्य आयोग शिमला के समक्ष मामलों का विवरण

क्र० सं०	31.3.2015 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2016 को लम्बित मामले	टिप्पणी
01	20	55	75	60	15	विवरण पैरा 6.1.1 में

II माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला के समक्ष मामलों का विवरण

क्र० सं०	31.3.2015 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2016 को लम्बित मामले	टिप्पणी
01	11	01	12	02	10	विवरण पैरा 6.1.2 में

III माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मामलों का विवरण

क्र० सं०	31.3.2015 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2016 को लम्बित मामले	टिप्पणी
01	16	04	20	11	09	विवरण पैरा 6.1.3 में

IV माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, दिल्ली के समक्ष मामलों का विवरण

क्र० सं०	31.3.2015 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2016 को लम्बित मामले	टिप्पणी
01	03	02	05	शून्य	05	इन अपीलों में पक्षों द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई है, आयोग विवाचक प्राधिकारी होने के नाते इन अपीलों की पैरवी नहीं कर रहा है जिनकी पैरवी सम्बन्धित पक्षों द्वारा स्वयं की जा रही है जिसका विवरण पैरा 6.1.4 में दिया गया है।

V मध्यस्थ को भेजे गए मामलों का विवरण

क्र० सं०	31.3.2015 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2016 को लम्बित मामले	टिप्पणी
01	05	—	05	04	01	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त माननीय न्यायाधीश मुकुल मौदगिल को अधिनिर्णय हेतु

						दिनांक 10.12.2014 के आदेश द्वारा भेजे गए मामले, विवरण पैरा 6.1.5 में दिया गया है।
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

6.1.1 अधिनिर्णय—राज्य आयोग शिमला के समक्ष मामलों का विवरण

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का परीक्षण तथा छानबीन की जाती है। वर्ष के आरम्भ में 20 याचिकाएं लम्बित थी तथा 2015—16 के दौरान आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों से 55 याचिकाएं प्राप्त हुईं जिन में से 60 याचिकाओं का आयोग द्वारा निपटान/निर्णय प्रदान किया गया तथा 31.3.2016 तक 15 याचिकाएं निर्णय हेतु लम्बित पड़ी हैं। वर्ष के दौरान दायर, निर्णीत तथा लम्बित याचिकाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(क) आयोग के समक्ष दायर/निपटान किए गए मामले

क्र० सं०	याचिका संख्या	याचिकादाता	प्रत्यार्थी	ममले का विवरण	दायर करने की तिथि	निपटान की तिथि
1	याचिका संख्या 49 / 2015	एच0पी0एस 0ई0बी0एल सूर्यकांत जल ऊर्जा, निजी सीमित, माधापुर हैदराबाद— 500081	—	नान्ती जल विद्युत परियोजना (14 में वा) के सम्बन्ध में S/T शर्त पर 31.3.2016 तक विद्युत क्रय विस्तार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	31.03.15	01.04.15
2	याचिका संख्या 42 / 2015	एच0पी0एस 0ई0वी तथा मै0 शक्ति जल विद्युत, निजी समिति	—	उभराह जलविद्युत परियोजना (2.40 में०वा०) के सम्बन्ध में पार्टियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए 'SPPA' के अनुमोदन हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख)	18.03.15	02.04.15

				के अधीन याचिका		
3	याचिका संख्या 178/2014	श्री एल0 के0 महाजन खलिनी, शिमला-02	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	याचिका संख्या 116/2013 पर 2.12.13 को पारित हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की पालना हेतु	22.9.14	4.4.15
4	याचिका संख्या 33/2015	मै0 रजेजा जल ऊर्जा (पी) सीमित गुड़गांव	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 2007 के साथ पाठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 एवं 94 के अधीन याचिका	13.3.15	4.4.15
5	याचिका संख्या 219/2014	हि0प्र0 जल विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	—	वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तक की तृतीय नियन्त्रण अवधि हेतु जिला स्तर के कृत्यों पर वार्षिक निष्पादन समीक्षा याचिका	28.11.14	10.4.15
6	याचिका संख्या 58/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड शिमला-04	—	हि0प्र0 में 24x7 सभी को ऊर्जा प्रदान करने के तहत एल0ई0डी0 बल्बों के लिए डोमैस्टिक एफिशेंट लाइटिंग प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए याचिका	27.4.15	29.4.15
7	याचिका संख्या 56/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित तथा मै0 साहु जल विद्युत सीमित	—	जिला चम्बा में कुरथा लघु जल विद्युत परियोजना (5 में वा) के सम्बन्ध में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड तथा मै0 साहु जल ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड के मध्य निष्पादित “Interim PPA” की वैधता में 30.9.15 तक विस्तार किए जाने हेतु हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का पठन करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख)	22.4.15	29.4.15

				के अधीन याचिका		
8	याचिका संख्या 168 / 2014	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 सनशार्इन ऊर्जा सीमित	—	वे0ए0एल0एम0 (2.00 मे वा) के सम्बन्ध में संयुक्त याचिका	2.8.14	14.5.15
9	याचिका संख्या 17 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	—	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 2005 के तहत उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले आई0डी0सी0 प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए निर्देश जारी करने हेतु हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2012 के विनियम 24 का पठन करते हुए विनियम 22 के अधीन याचिका	20.2.15	23.5.15
10	याचिका सं0 62 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल जल परियोजनाएं (पी) सीमित	—	कुरेढ लघु जल विद्युत परियोजना (4.5 में वा) के सम्बन्ध में अनुपूरक पी0पी0ए0 के अनुमोदन हेतु आवेदन	8.5.15	23.5.15
11	याचिका सं0 63 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल जल परियोजनाएं (पी) सीमित	—	तुलंग लघु जल विद्युत परियोजना (3.0 मे वा) के सम्बन्ध में अनुपूरक पी0पी0ए0 के अनुमोदन हेतु आवेदन	8.5.15	23.5.15
12	याचिका सं0 68 / 2015	हि0प्र0 जल विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 कॉन्टिनेंटल इन्फ्राटैक	—	हरिपुर नाला जल विद्युत परियोजना (क्षमता मे 1.5 से 3.00 मे०वा० की वृद्धि) के सम्बन्ध में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा मै0 कॉन्टिनेंटल इन्फ्रा टैक (पी) सीमित के	14.5.15	25.5.15

		(पी) सीमित		साथ निष्पादित किए जाने वाले “SPPA” के अनुमोदन हेतु हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मार्ग दर्शन सिद्धान्तों का पाठन करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका		
13	पुनर्विचार याचिका सं0 30 / 2015	मै0 उसाका जल ऊर्जा (पी) सीमित इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली	हि0प्र0 राज्य जल विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	याचिका सं0 91 / 2013 में 31.10.13 को पारित आदेशों पर पुनर्विचार किए जाने हेतु CPC के नियम 1 के आदेश 47 का पाठ करते हुए तथा हि0प्र0 विद्युत विनियामक (COB) के विनियम 63 का पाठ करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन याचिका	7.3.15	4.6.15
14	याचिका सं0 193 / 2014	मै0 के0के0 के0 जल ऊर्जा सीमित डी0एल0एफ इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद हरियाणा	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	एपटैल द्वारा 17.10.14 को याचिका सं0 198 / 2013 तथा आई0ए0 संख्या 433 / 2013 में पारित आदेशों के अनुसरण में पारिणामिक आदेश जारी करने हेतु याचिका	21.10.14	11.6.15
15	याचिका सं0 167 / 2014	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड तथा मै0 नानल जल ऊर्जा सीमित	—	HYSRUND जल विद्युत परियोजना (3.00 मे वा) के सम्बन्ध में (REC Mechanism) के अधीन पी0पी0ए0 के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	2.8.14	18.6.15
16	याचिका सं0 34 / 2015	मै0 योगिन्द्रा पावर (लि0) VPO जलडी, तह0 एवं जिला	हि0प्र0 राज्य जल विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	याचिका सं0 178 / 12 में PPA हस्ताक्षरित किए जाने हेतु दिनांक 15.12. 13 को प्रदान किए गए अनुमोदन को निरस्त करने के लिए हि0प्र0	16.3.15	10.7.15

		कांगड़ा		विद्युत विनियामक आयोग (RPPO तथा इसकी पालना) विनियम 2010 तथा CPC की धारा 151 का पाठ करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 एवं 94 के अधीन याचिका		
17	याचिका सं0 70/2015	मै0 विनसम कपड़ा उद्योग सीमित, औद्योगिक क्षेत्र, साईं रोड बदी, सोलन—173205	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला—04	मै0 विनसम कपड़ा उद्योग सीमित द्वारा 3.5 मे वा क्षमता की मनौनी जल विद्युत परियोजना से ऊर्जा की व्हीलिंग, बैंकिंग तथा प्रयोग करते रहने एवं मौजूदा व्हीलिंग करार व अन्य मुद्दों के विनिश्चयन हेतु याचिका	15.5.15	10.7.15
18	याचिका सं0 36/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला—04	—	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु खर्च की वसूली) विनियम 2012 के लिए याचिका, विनियम 14 के अनुसार सर्विस कनैक्शन प्रभार शैड्यूल हेतु प्रस्ताव	18.3.15	16.7.15
19	याचिका सं0 82/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 कंचनजंगा ऊर्जा कं0 (पी) सीमित	—	हि0प्र0 जल विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 कंचनजंगा ऊर्जा कं0 के मध्य (24 में वा) बडागांव जल विद्युत परियोजना बारे हुए लघु अवधि PPA की वैधता अवधि को 31.3.16 तक बढ़ाने के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	4.7.15	16.7.15
20	याचिका सं0 69/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 ब्रुआ हाईड्रोवाट (P) औद्योगिक क्षेत्र बदी	—	हि0प्र0 राज्य जल विद्युत बोर्ड तथा मै0 ब्रूआ जल विद्युत परियोजना (9 में वा) के सम्बन्ध में निष्पादित किए जाने वाले “SPPA” के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	14.5.15	17.7.15

		सोलन				
21	याचिका सं० 81 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा बटोट जल ऊर्जा सीमित	—	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० बटोट जल ऊर्जा सीमित के मध्य बलिज का नाला (चरण-II) 3.5 मे वा की लघु जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में पूर्व निष्पादित PPA की वैधता अवधि को 30.6.15 तक बढ़ाने के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	2.7.15	17.7.15
22	याचिका सं० 134 / 2014	19 मै० सत्या साई मण्डी 2. मै० कांगड़ा हाईड्रो पावर, कांगड़ा 3. मै० अम्बे हाईड्रो प्रोजेक्ट, हमीरपुर 4. मै० विशाल हाईड्रो एन्टर० कांगड़ा	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2007 के विनियम संख्या 3(3) (नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत संग्रहण एवं संवितरण लाईसैंसधारकों द्वारा सह उत्पादन) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अधीन याचिका	25.6.14	20.7.15
23	याचिका सं० 87 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० साई इंजिनियरिंग फाऊंडेशन	—	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित तथा मै० साई इंजिनियरिंग फाऊंडेशन के मध्य शिमला जल विद्युत परियोजना (5 में वा) के सम्बन्ध में निष्पादित किए जाने वाले लघु/मध्यावधि “PPA” के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका	22.7.15	29.7.15
24	याचिका सं० 147 / 2014	हि०प्र० राज्य,	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड	16.11.2006 से लेकर 14.21 लाख रुपये पर	16.7.14	01.8.15

		अधीक्षण अभियन्ता, आई0पी0एच वृत नाहन के माध्यम से	सीमित तथा अन्य	13664951/- + 12% की दर से ब्याज के लिए हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 2004 के नियम संख्या: 3 व 4 (अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति करना लाईसैंस धारकों का कर्तव्य) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 तथा 57 के अधीन शिकायत		
25	ट्रू-अप याचिका सं0 32/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	—	दिनांक 27.4.2013 को जारी APR आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम (COB)2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(च) के अधीन याचिका	11.3.15	3.8.15
26	याचिका सं0 171/14 में पुनर्विचार याचिका सं0 60/2015	मै0 जे.पी.वी. एल.जे.यू. आई.टी. परिसर वाकनाघाट जिला सोलन (हि0प्र)	हि0प्र0 राज्य जल विद्युत बोर्ड, शिमला-04	जल विद्युत परियोजना बास्पा-II से नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 11-12 से वित्त वर्ष 13-14 के दौरान हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को बिजली विक्रय हेतु वास्तविक शुल्क सम्बन्धी याचिका संख्या 171/14 में हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 30.3.15 को पारित आदेश पर पुनर्विचार के लिए आवेदन	30.4.15	4.8.15
27	याचिका सं0 88/2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 शिवा एनर्जी स्रोत (पी) सीमित	—	कोटगड जल विद्युत परियोजना (3.50 मे वा) के सम्बन्ध में हि0प्र0 राज्य जल विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 शिवा एनर्जी स्रोत (पी) सीमित के मध्य निष्पादित किए जाने वाले “PPA” के अनुमोदन के लिए विद्युत	25.7.15	7.8.15

				अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका		
28	पुनर्विचार याचिका सं० 77 / 2015	हि०प्र० राज्य जल विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	—	तृतीय एम.वाई.टी. नियन्त्रण अवधि (वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 19) के प्रथम APR आदेश तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए शुल्क विनिश्चयन बारे 10.4.2015 को पारित आदेश के सम्बन्ध में हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग के (COB) विनियम 63(1) तथा (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन पुनर्विचार याचिका	17.6.15	18.8.15
29	याचिका सं० 55 / 2015	मै० मनीकरण पावर लिमिटेड ए-49, तृतीय तल, सैक्टर 8, नई दिल्ली-110075	मै० जे.पी.पी. एल., सैक्टर 128, नोयडा-301204	लघु अवधि अनुबन्ध दिनांक 17.6.14 के अधीन फर्म आधार पर विद्युत क्रय हेतु मुआवजा तथा सरचार्ज की अदायगी करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन याचिका	9.4.15	31.8.15
30	याचिका सं० 12 / 2012	श्री पी.एन. भारद्वाज ARCDI A धर्मपुर सोलन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एवं अन्य	गांधी ग्राम में 33 / 11 के वी S/S मी० के निर्माण करने के सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(1) व धारा 57(1) के अधीन याचिका	8.2.12	3.9.15
31	याचिका सं० 99 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	मै० केस्टा हाईड्रोपावर (पी) सीमित SCO-858 11वां तल चण्डीगढ़ 160101	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० केस्टा हाईड्रोपावर (पी) सीमित के मध्यस केस्टा जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में निष्पादित PPA के अनुमोदन हेतु हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मार्ग	28.8.15	11.9.15

				दर्शक सिद्धान्तों सहित पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका		
32	याचिका सं० 101 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	मै० प्लोजन नवीकरणीय एनर्जी (पी) सीमित	जेयल विद्युत परियोजना (1.2 मे वा) के सम्बन्ध में (REC मैकेनिज्म के अन्तर्गत) PPA के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका	28.8.15	16.9.15
33	याचिका सं० 198 / 2014	मै० जल शक्ति सीमित मकान नं० 135 अप्पर जुलकारी चम्बा	हि०प्र० राज्य एवं अन्य	ए.पी.टी.ई.एल आदेश दिनांक 18.9.2009 के अनुसरण में आयोग द्वारा 9.2.2010 को पारित आदेशों के क्रियान्वयन हेतु हि०प्र० विद्युत विनियोग विनियम सहित पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82, 84(च) के अधीन याचिका	3.11.14	19.9.15
34	याचिका सं० 105 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० जी.सी. हाईड्रोपावर (पी) सीमित	—	(REC मैकेनिज्म के अधीन) जोगिनी-II जल विद्युत परियोजना (5.00 मे वा) के सम्बन्ध में SPPA के अनुमोदन तथा उसकी सीमा अवधि में विस्तार हेतु संयुक्त याचिका	23.9.15	3.10.15
35	याचिका सं० 107 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा गिन्नी ग्लोबल (पी) सीमित	—	बलसियों जल विद्युत परियोजना (5.00 मे वा) के सम्बन्ध में SPPA के अनुमोदन तथा उसकी सीमा अवधि में विस्तार हेतु संयुक्त याचिका	24.9.15	3.10.15
36	याचिका सं० 106 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० के.के. हाईड्रोपावर	—	बड़ागांव जल विद्युत परियोजना (4.90 में वा) के सम्बन्ध में SPPA के अनुमोदन तथा याचिका संख्या: 193 / 2014 में 11.6.2015 को पारित	23.9.15	9.10.15

		सीमित		हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की अनुपालना में शुल्क वृद्धि किए जाने हेतु संयुक्त याचिका		
37	याचिका सं0 113 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा साहू हाईड्रोपावर (वि) सीमित	—	कुरुथा लघु जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 साहू हाईड्रोपावर (नि) सीमित के मध्य निष्पादित लघु अवधि PPA की वैधता अवधि में 31.3.16 तक विस्तार किए जाने हेतु हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों सहित पठित विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 86(1)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका	29.10.15	16.11.15
38	पुनर्विचार याचिका सं0 90 / 2015	मै0 भवानी नवीकरणीय एनर्जी (नि) सीमित, डी-21 प्रथम तल पंचशील एन्कलेव नई दिल्ली-110017	—	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 2013 (नवीकरणीय एनर्जी स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन तथा शुल्क विनिश्चयन हेतु शर्तें एवं निबन्धन), विनियम 2012 बढ़े हुए अवमूल्य लाभ और पूंजीगत उपदान सम्बन्धी हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 30.6.15 को पारित आदेशों पर पुनर्विचार किए जाने हेतु याचिका	29.7.15	19.11.15
39	याचिका सं0 15 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित तथा भवानी नवीकरणीय एनर्जी (नि) सीमित, सुंगल	—	बिनवा-IV जल विद्युत परियोजना (4 में वा) के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य निष्पादित किए जाने वाले PPA हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए संयुक्त याचिका	11.2.15	9.12.15

40	याचिका सं० 86 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	—	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए औसत पूलड क्रय लागत विनिश्चयन	20.7.15	7.12.15
41	याचिका सं० 131 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० दार्जिलिंग पावर, सीमित	—	शौंग जल विद्युत परियोजना (3.00 मे वा) के सम्बन्ध में हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० दार्जिलिंग पावर, सीमित द्वारा निष्पादित लघु अवधि PPA के अनुमोदन हेतु हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक प्रारूप के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के तहत याचिका	30.11.15	28.12.15
42	याचिका सं० 135 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० शक्ति हाईड्रो विद्युत कें० (लि) सीमित	—	चच्चोट जल विद्युत परियोजना (3.50 मे वा) के सम्बन्ध में हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० शक्ति हाईड्रो विद्युत कें० (नि) सीमित द्वारा निष्पादित “Suppl. PPA” के अनुमोदन हेतु हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग के मार्गदर्शक प्रारूप सहित पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	20.12.15	28.12.15
43	याचिका सं० 133 / 2015	मै० साराबाई एन्डर प्राईजिस (नि) सीमित, जगमोहन चौहान एवं कें० माल, सोलन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	2014 की याचिका संख्या: 226 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचीबद्ध करने के लिए सी.पी.सी. की धारा 151 के अधीन याचिका	3.12.15	6.1.16
44	याचिका सं० 94 / 2015	बी.बी.एन. इन्ड. एसोसिएशन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 तथा हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग	12.8.15	7.1.16

		ई.पी.आई.पी. झार माजरी बंदी	सीमित	(विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) विनियम 2005, यथा अद्यतन संशोधित, के अधीन याचिका		
45	याचिका सं० 102 / 2015	मै० पतिकारी पावर(नि) सीमित, नवबहार भूमिया रोड छोटा शिमला-02	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	दिनांक 5.7.2004 के “PAA” की शर्तों एवं निबन्धनों के उल्लंघन में सितम्बर 2003 के दौरान विद्युत आपूर्ति हेतु मासिक बिलों से प्रत्यर्थी द्वारा असंवैधानिक ए जल धवि☺ काटे गए `25,44,000 / – को 18% मासिक ब्याज सहित लौटाने सम्बन्धी मै० पतिकारी जल विद्युत परियोजना (16 में वा) तथा हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य उपजे विवाद बारे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन याचिका	7.9.15	13.1.16
46	याचिका सं० 2 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा कार्यपालक अभियन्ता SMIP.DI Vसिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग, जवाली	—	बगरुद जल विद्युत परियोजना (0.240 मे वा) के सम्बन्ध में हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा कार्यपालक अभियन्ता, SMIP-Div. सिंचाई ए जल स्वास्थ्य विभाग जवाली के मध्य निष्पादित किए जाने वाले PPA के अनुमोदन हेतु हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी मार्ग दर्शक प्रारूप के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	19.1.16	12.2.16
47	याचिका सं० 3 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	—	शंशा लघु जल विद्युत परियोजना (4 मे वा) के सम्बन्ध में हि०प्र० विद्युत	19.1.16	12.2.16

		तथा शंशा हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट सहकारी सोसाईटी लाहौल स्पिति		बोर्ड सीमित तथा मै0 शंशा हाईड्रोपावर परियोजना सहकारी सोसाईटी सीमित के मध्य निष्पादित किए जाने वाले लघु/मध्यावधि 'PPA' के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन याचिका		
48	याचिका सं0 103 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	—	लघु अवधि ओपन एक्सैस उपभोक्ताओं द्वारा हि0प्र0 राज्य से/राज्य के बाहर से बिजली क्रय करने पर अतिरिक्त प्रभार के विनिश्चयन हेतु याचिका	14.9.15	18.2.16
49	सूओ.मोटो याचिका सं0 104 / 2015	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (सूओ.मोटो)	—	सौर ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में आदर्श ऊर्जा क्रय अनुबन्ध	21.9.15	29.2.16
50	याचिका सं0 96 / 2015	मै0 हरिसंज हाईडल कंस्ट्रक्शन कं0 (नि) सीमित	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	दिनांक 6.7.2015 को जारी नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगाने तथा वर्ष 2008-2009 से 2014-2015 में अर्न्त-सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अनन्तिम एवं वास्तविक ORM प्रभारों पर पैनेल्टी लगाने से प्रत्यर्थी को रोकने की प्रार्थना सहित हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग, विनियम 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 व 94 के अधीन याचिका	17.8.15	15.3.16
51	याचिका सं0 4 / 2016	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 मानक पावर सिस्टम (नि) सीमित	—	राणा जल विद्युत परियोजना (1.20 मे वा) के सम्बन्ध में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित तथा मै0 मानक पावर सिस्टम (नि) सीमित के मध्य निष्पादित किए जाने	9.3.16	16.3.16

				वाले “PPA” के अनुमोदन के लिए, हि0प्र. विद्युत विनियामक आयोग के मार्ग दर्शन प्रारूप के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका		
52	याचिका सं0 53 / 2015	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 नेरी हाईड्रोपावर (नि) सीमित		नेरी हाईड्रोपावर (5.0 मे वा) के सम्बन्ध में हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित तथा मै0 नेरी हाईड्रोपावर (नि) सीमित के मध्य निष्पादित किए जाने वाले “PPA” के अनुमोदन के लिए, हि0प्र. विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका	4.4.15	31.3.16
53	याचिका सं0 5 / 2016	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 कपिल मोहन एवं एसोसिएट्स हाईड्रोपावर (नि) सीमित	—	ब्यास कुण्ड (9 में वा) जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में (REC मैकेनिज्म के अधीन) लघु अवधि “PPA” की वैधता को 31.3.2017 तक बढ़ाए जाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	21.3.16	31.3.16
54	याचिका सं0 6 / 2016	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै0 कुरमी एनर्जी (नि) सीमित	—	कुरमी जल विद्युत परियोजना (8 मै0 वा) की लघु अवधि PPA की वैधता को 31.3.2017 तक बढ़ाए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	21.3.16	31.3.16
55	याचिका सं0 7 / 2016	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	—	कुट जल विद्युत परियोजना (24 मे वा) के सम्बन्ध में लघु अवधि	21.3.16	31.3.16

		तथा कुट एनर्जी (लि०) सीमित		PPA की वैधता अवधि में 31.3.2017 तक विस्तार किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका		
56	याचिका सं० 8 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा जी सी हाईड्रोपावर (लि) सीमित	—	जेगिनी-II जल विद्युत परियोजना (5 मे वा) के सम्बन्ध में (REC मैकेनिजम के अधीन) लघु अवधि PPA की वैधता को 30.09.2016 तक बढ़ाए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	21.3.16	31.3.16
57	याचिका सं० 10 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० साईं इंजिनियरिंग फाऊंडेशन	—	शिमला जल विद्युत परियोजना (5 मे वा) के सम्बन्ध में लघु अवधि बिजली क्रय अनुबन्ध की वैधता को 30.6.2016 तक बढ़ाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	22.3.16	31.3.16
58	याचिका सं० 11 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० तेजाशर्निका हाईड्रो एनर्जी (लि) सीमित	—	अप्पर ज्वायनर जल विद्युत परियोजना (12 मे वा) के सम्बन्ध में लघु अवधि PPA की वैधता में 31.3.2017 तक विस्तार किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	22.3.16	31.3.16
59	याचिका सं० 12 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० सूर्यकान्ता हाईड्रो एनर्जी (लि) सीमित	—	नान्ती जल विद्युत परियोजना (14 मे वा) के सम्बन्ध में लघु अवधि PPA की वैधता में 30.9. 2016 तक विस्तार किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन	22.3.16	31.3.16

				याचिका		
60	याचिका सं० 13 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा गंगदरी हाईड्रो (लि) सीमित	—	जोगिनी जल विद्युत परियोजना (16 मे वा) के सम्बन्ध में लघु अवधि PPA की वैधता में 31.3. 2016 तक विस्तार किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	22.3.16	31.3.16
61	याचिका सं० 14 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मैं० रंगाराजू वेयर हाऊसिंग (लि) सीमित	—	सुमेज जल विद्युत परियोजना (14 मे वा) के सम्बन्ध में लघु अवधि PPA की वैधता में 30.6. 2016 तक विस्तार किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के तहत याचिका	22.3.16	31.3.16

(ख) आयोग के समक्ष 31.3.2016 तक निपटान हेतु लम्बित मामले

क्र० सं०	याचिका संख्या	वादी/याचिका दाता	प्रतिवादी/ प्रत्यार्थी	विवरण	आरम्भ की तिथि
1	याचिका सं० 84 / 2012	मैं० JPV L JUIT परिसर वाकनाघाट जिला सोलन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-04	अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील सं० 178 / 2010, बकाया सम्बन्धी दिनांक 19.4. 12 को जारी आदेश के अनुसरण में बास्पा चारण-II से वित्त वर्ष 2003-04 से 2010-11 के दौरान हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को बेची गई बिजली के लिए ब्याज बकाया की वास्तविक राशि निर्धारित करने हेतु याचिका	4.5.12
2	याचिका सं० 29 / 2010 में एम०ए० सं० 112 / 2013	मैं० डी.एस. एल. हाईड्रो पावर सीमित, एम्पायर	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनंतिम रूप से अनुमत शुल्क `2.95 प्रति कि० वा के सम्बन्ध में शुल्क के	23.8.13

		हाऊस नं० 214 डा० डी. एल. रोड फोर्ट मुम्बई 40001		पुनर्निर्धारण हेतु याचिका	
3	याचिका सं० 149 / 2013	मै० ओम हाईड्रो पावर सीमित प्लाट नं० 705, बंजारा हिल्स हैदराबाद 500034	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग (जिला लाईसंसधारियों द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से PP तथा सह-उत्पादन) विनियम 2007 सहित पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62, 86 तथा 94 के अधीन इस याचिका को स्वीकार करने के अनुरोध तथा तदानुसार शुल्क निर्धारित किए जाने हेतु याचिका	30.12.13
4	याचिका सं० 109 / 2015 (संशोधित)	मै० ननाल हाईड्रोपावर कंसल्टैंसी (लि) सीमित, टूटीकंडी, शिमला-04	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग (जिला लाईसंसधारियों द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत प्रापण एवं सह उत्पादन) विनियम 2007 के विनियम 3(3) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अधीन याचिका	26.10.15
5	याचिका सं० 124 / 2015	इण्डियन विंड पावर एसोसिएशन, 513-514, 5वां तल, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एवं ओ.आर.एस.	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग (आर.पी.पी.ओ एवं इसका कार्यान्वयन) विनियम 2010 के विनियम 3, 4, 5 और 9 एवं उत्तरवर्ती संशोधन सहित पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ज) के अधीन हि०प्र० राज्य में अनिवार्य अस्तित्व पर लगाए गए आर.पी.पी.ओ. के कार्यान्वयन हेतु निर्देश प्रदान किए जाने के लिए याचिका	3.11.15
6	याचिका सं० 128 / 2015	मै० पुरी आयल मिल्लि सीमित, ज्योतिसिखर बिल्डिंग, 8, जिला केन्द्र जनकपुरी, नई	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड शिमला-04	दिनांक 19.9.2009 को जारी अपील आदेश के अनुसरण में आयोग द्वारा 09.02.2010 को पारित आदेश सहित तथा हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2007 के (जिला लाईसंसधारी द्वारा	27.11.15

		दिल्ली 110058		नवीकरणीय स्रोतों से बिजली प्रापण तथा सह-उत्पादन) विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62, 86(1)(ख) तथा 94(1) के अधीन परियोजना आधारित पूंजीगत लागत एवं प्लांट लोड फैक्टर के दृष्टिगत शुल्क को पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु याचिका	
7	याचिका सं० 130 / 2015	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	—	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 64 व 86 के अधीन, तृतीय एम.वाई.टी. नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19) की वित्त वर्ष 2015-16 के लिए द्वितीय वार्षिक निष्पादन समीक्षा याचिका	30.11.15
8	ट्रू-अप याचिका सं० 1 / 2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	—	द्वितीय नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2014 के लिए ट्रू-अप याचिका	6.1.16
9	फाईलकरण सं० 6 / 2016	हिमाल्या पावर प्रोजेक्ट्स एंज, एसोसिएशन, ग्याम्बा हाऊस, लेन-IV न्यू शिमला-09	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	आर.पी.पी. क्रय नीति 2015 बारे प्रत्यार्थी बोर्ड द्वारा दायर मामले पर दिनांक 24.07. 2015 को पारित आदेश पर पुनर्विचार किए जाने हेतु, हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग(COB) विनियम 2005 के विनियम 63 सहित CPC नियम 1, आदेश 47 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	3.2.16
10	फाईलकरण सं० 8 / 2016	मै० फोरसीज्जे पावर (लि) सीमित, 2015-2017, सोमदत्त चैंबरस-11, 9	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	पी.पी.ए. में नाम परिवर्तित किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग के विनियम 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 व 94 के अधीन	3.2.16

		नई दिल्ली 110066		याचिका	
11	फाईलकरण सं0 9/2016	मै0 जल शक्ति सीमित, मकान नं0 135 अप्पर जुल्कारी चम्बा	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	हि0प्र0 विनियामक आयोग (जिला लाईसैंसधारकों द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से बिजली प्रापण तथा सह-उत्पादन) विनियम 2007 के प्रथम संशोधन सहित पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 व 86 तथा 94 के अधीन इस आशय से याचिका कि संशोधन उपरान्त किए गए आवेदनों बारे समुचित निर्देश/आदेश जारी किए जाएं।	3.2.16
12	फाईलकरण सं0 12/2016	मै0 गिन्नी ग्लोबल (लि) सीमित, 2 रा तल, शांति चैम्बर 11/16 बी पूसा रोड नई दिल्ली 110005	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	(तराईला 5 मे वा जल विद्युत परियोजना) सम्बन्धी पी.पी.ए के खण्ड 13.1 बारे सोहार्दपूर्वक विचार विमर्श की विफलता तथा दिनांक 30.8. 14 और 15.11.14 के आदेशों के बाद खण्ड 13.1 के अधीन उपलब्ध उपायों के निःशेष उपरान्त मुख्य याचिका को प्रवर्तित किए जाने हेतु सी.पी. सी. की धारा 151 के अधीन याचिका	11.2.16
13	फाईलकरण सं0 22/2016	मै0 विनसम टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज़ सीमित, 1, इंड. एरिया साई रोड बदी, सोलन- 173205	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला-04	दिनांक 30.3.2000 को 2.5 मे वा क्षमता के लिए मूल व्हीलिंग अनुबन्ध में जो शर्तें और निबंधन निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर 3.5 मे0वा की अभिवृद्धित क्षमता हेतु अनुपूरक व्हीलिंग अनुबंध किए जाने तथा इस परियोजना को वाणिज्यिक स्तर पर चलाए जाने के लिए हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन तथा शुल्क निर्धारण किए जाने हेतु शर्तें एवं निबंधन) विनियम 2012 यथा	16.3.16

				संशोधित पैरा 16(3)(ज) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(च) के अधीन याचिका	
14	याचिका सं० 15/2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा मै० एलियो मनाली हाईड्रोपावर (नि) सीमित	—	एलियों-II जल विद्युत परियोजना (4.80 मे वा) के सम्बन्ध में वैधता अवधि में 30.3.2017 तक विस्तार किए जाने हेतु हि०प्र० विनियामक आयोग के मार्गदर्शक प्रारूप सहित पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	31.3.16
15	याचिका सं० 9/2016	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित तथा मै० दार्जिलिंग पावर सीमित	—	शौंग जलविद्युत परियोजना (3 मे वा) के सम्बन्ध में पी.पी.ए की अवधि में 30.9.2016 तक विस्तार किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन याचिका	21.3.16

6.1.2 उच्च न्यायालय हि०प्र० शिमला के समक्ष याचिकाओं का विवरण

वर्ष के आरम्भ में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 11 याचिकाएं विचाराधीन थी तथा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 1 याचिका दायर की गई जिन में से न्यायालय द्वारा 2 याचिकाओं पर अपना निर्णय/निपटान किया गया। दिनांक 31.3.2016 तक 10 याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर /निर्णीत/लम्बित पड़ी याचिकाओं/अपीलों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) उच्च न्यायालय द्वारा 31.3.2016 तक निपटाई गई अपीलें

क्र० सं०	अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	निपटान की तिथि
1	सिविल याचिका सं० 9983/2014	मै० रेडियंट कास्टिंग लिमिटेड, गांव झार माजरी, बदी, जिला सोलन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	30.12.14	14.3.16
2	सिविल याचिका सं० 1045/2015	मै० करण पोलीपैक प्राईवेट लिमिटेड, एवं मै० करण सिंथैटिक, प्राईवेट	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग एवं हि०प्र० राज्य विद्युत राज्य विद्युत	17.1.15	14.3.16

		लिमिटेड, गांव गोयल जामला डाकघर नालागढ़ जिला सोलन	बोर्ड सीमित, शिमला-04		
--	--	-----------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

(ख) उच्च न्यायालय हि0प्र0 शिमला में दिनांक 31.3.2016 तक लम्बित अपीलें

क्र० सं०	याचिका संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि
1	सिविल याचिका संख्या 2420 / 2008	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड (लि) शिमला-04	मैसर्ज सुपर प्लेटेक्स, इन्डस्ट्रीयल एरिया सैक्टर-1 परवाणु	18.11.08
2	सिविल याचिका संख्या 7939 / 2012	हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग एवं हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-04	5.9.12
3	सिविल याचिका संख्या 10556 / 12	मैसर्ज साहु हाईड्रो पावर प्लाट नं0 103ए जुबली हिल्ज हैदराबाद	हिमाचल प्रदेश सरकार	14.12.12
4	सिविल याचिका संख्या 6648 / 2013	मैसर्ज काला अम्ब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काला अम्ब नाहन	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-02	20.8.13
5	सिविल याचिका संख्या 9843 / 2013	श्री पूर्ण देव पुत्र स्व0 श्री निक्कुराम, जिमीदारा हाऊस समरहिल, शिमा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-02	24.12.13
6	सिविल याचिका संख्या 1996 / 2014	मैसर्ज अम्बा मैटलज प्लाट नं0 6-A इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-II काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-02	24.3.14
7	सिविल याचिका संख्या 2181 / 2014	मैसर्ज अम्बा शक्ति इस्पात (लि), ग्राम खेरी त्रिलोकपुर, काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-02	4.4.14
8	सिविल याचिका संख्या 2357 / 2014	मैसर्ज काला अम्ब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, त्रिलोकपु, रोड काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-02	9.4.14
9	सिविल याचिका संख्या	मैसर्ज अम्बूजा सिमिंट	हिमाचल प्रदेश राज्य	14.11.14

	संख्या 1539 / 2015	(लि), दाड़लाघाट, अर्की, जिला सोलन	विद्युत बोर्ड, सीमित, विद्युत एवं अन्य	
10	सिविल याचिका संख्या 2123 / 2015	मै० जेपी हिमाचल सीमेंट प्लांट एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, एवं अन्य	1.4.15

6.1.3 अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष अपीलों का विवरण

वर्ष के आरम्भ में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष 16 अपीलें विचाराधीन थी। वित्त वर्ष 2015—16 के दौरान विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 4 अपीलें न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गईं जिन में से न्यायाधिकरण द्वारा 11 याचिकाओं का निर्णय/निपटान किया गया तथा दिनांक 31.3.2015 तक 9 अपीलें लम्बित पड़ी हैं। वर्ष के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर/निर्णय तथा लम्बित अपीलों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(क) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 31.3.2016 तक निपटाई गई अपीलों का विवरण

क्र० सं०	अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ तिथि	निपटान तिथि
1	अपील सं० 239 / 2014	मै० गंगधारी हाईड्रो पावर (प्रा. लि.) एवं अन्य, अदर सहकारी सोसाईटी, कावरुई हिल्ज, माघापुर हैदराबाद—500081	हि०प्र० विद्युत विनियाम आयोग तथा हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला—02	15.9.14	18.5.15
2	अपील सं० 73 / 2014 तथा आई.ए सं० 142 / 14 व 197 / 14	मै० आदित्या इंडस्ट्रीज सीमित, गांव रामपुर जट्टां काला अम्ब, जिला सिरमौर, हि०प्र०	हि०प्र० विद्युत विनियाम आयोग तथा हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	9.9.15
3	अपील सं० 54 / 2014 तथा डी.एफ. आर. सं० 3163 / 14	ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन सरगां—143, पारले (ईस्ट) मुम्बई	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला एवं अन्य	27.3.15	10.12.15
4	आई.ए. सं० 414 / 14 अपील सं०	मै० सूरज फैब्रिक इंडस्ट्री सीमित, एलीगेंट टावर्ज,	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग तथा	25.4.14	18.12.15

	194 / 14	224-ए, कोलकाता-17	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला		
5	आई.ए. सं0 415 / 14 अपील सं0 192 / 14	मै0 एस.पी.एस स्टील रोलिंग मिल्ल सीमित, एलिगैंट टावर, 224-ए कोलकाता-17	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	18.12.15
6	अपील सं0 195 / 14	मै0 हिम कैमिकल लि0 गांव खेड़ा नालागढ़ जिला सोलन	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	18.12.15
7	आई.ए. सं0 417 / 14 अपील सं0 188 / 14	मै0 हाई-टेक इंडस्ट्रीज़ सीमित काला अम्ब, तह0 नाहन, जिला सिरमौर	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	18.12.15
8	आई.ए. सं0 418 / 14 अपील सं0 190 / 14	मै0 पार्वती स्टील एण्ड एलौएज़ 348, प्रथम तल, पितमपुरा दिल्ली	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	18.12.15
9	आई.ए. सं0 416 / 14 अपील सं0 189 / 14	मै0 एशियन कंकरीट एवं सीमेंट (प्रा.लि.) सी.एस.एफ-270, मनसा देवी रोड़ मनीमाजरा, चण्डीगढ़	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	18.12.15
10	अपील सं0 191 / 14	मै0 एकरोन इंडिया (प्रा.लि.) गांव व डाकघर निहालगढ़ पौंटा साहिब सिरमौर	हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित शिमला	25.4.14	18.12.15
11	आई.ए. सं0 385 / 14 डी.	मै0 उसाका पावरज़ (प्रा.लि.) 240, ओखला	हि0प्र0 विद्युत विनियामक	14.10.15	16.2.16

	एफ.आर. सं० 1570 / 15	इंडस्ट्रीयल एस्टेट फेस-III, ई दिल्ली-110020	आयोग एवं अन्य		
--	-------------------------	---------------------------------------------------	---------------	--	--

(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 31.3.2016 तक लम्बित अपीलें

क्र० सं०	अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ तिथि
1	अपील सं० 57 / 2014	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियाम आयोग शिमला-02	7.3.14
2	अपील सं० 256 / 2014 तथा आई.ए. सं० 422 / 2014	मै० पटिकारी पावर (प्रा०) सीमित, पहला घर, भूमिया एस्टेट, शिमला-02	हि०प्र० विद्युत विनियाम आयोग, हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा अन्य	11.11.14
3	अपील सं० 22 / 2015 तथा आई.ए. सं० 20 / 2015	मै० धर्मशाला हाईड्रो पावर, (लि) प्लाट 30-ए जुबली हिल्ज़, हैदराबाद	हि०प्र० विद्युत विनियाम आयोग तथा हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड	10.12.14
4	अपील सं० 15 / 2015 तथा आई.ए. सं० 17 / 2015	मै० हरिसन हाईडल, कॉन्स० कं० (प्रा०) सीमित, अखाड़ा बाजार कुल्लू	हि०प्र० सरकार तथा अन्य	13.1.15
5	अपील सं० 8 / 2015 तथा आई.ए. सं० 10 / 2015	मै० एसैन्ट हाईड्रो प्रोजैक्ट सीमित, 6 शिव वस्तु, बिले पारले (इस्ट) मुम्बई-57	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	13.1.15
6	अपील सं० 9 / 2015 तथा आई.ए. सं० 11 / 2015	मै० गिन्नी ग्लोबल (प्रा०लि), पूसा रोड़, नई दिल्ली	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	13.1.15
7	अपील सं० 193 / 2015	मै० के०के०के० हाईड्रो पावर सीमित, 1-41, डी. एल.एफ.इड-एरिया, फेस-1, फरीदाबाद, हरियाणा-121003	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	14.10.15
8	अपील सं० 38 / 2016 एवं आई.ए. सं०	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग	28.11.15

	413 / 2015			
9	अपील सं० 295 / 2015	मै० मणिकरण पावर, लिमिटेड, डी-21, कॉरपोरेट पार्क, सैक्टर-21, द्वारका, नई दिल्ली-110075	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य	11.1.16

6.1.4 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अपीलों का विवरण

वर्ष आरम्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष 3 मामले लम्बित थे तथा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन 2 सिविल अपीलें दायर की गईं तथा 31.3.2016 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपील पर निर्णय/निपटान नहीं किया गया। यद्यपि आयोग द्वारा एक अपील (सिविल अपील संख्या 8002-8003/2015) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष के दौरान लम्बित मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	सिविल अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	टिप्पणी
1	सिविल अपील सं० 4585/12 तथा आई.ए. सं० 2/2012	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड (लि) शिमला-04	मैसर्ज जे.पी. वी.एल. ज्यूट कम्पलैक्स वाकनाघाट, सोलन	21.5.12	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।
2	सिविल अपील सं० 8025/14	मैसर्ज गिन्नी ग्लोबल(लि) नई दिल्ली	हि०प्र० विनियामक आयोग तथा अन्य	5.9.14	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।
3	सिविल अपील सं० 8369/14	मैसर्ज जे.पी. वी.एल. ज्यूट कम्पलैक्स, वाकनाघाट, सोलन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा अन्य	19.9.14	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।
4	सिविल अपील सं० 3326-3345/15	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, शिमला-04	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग, शिमला-04	17.1.15	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।

5	सिविल अपील सं० 8002-8003 / 15	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग, शिमला-02	मै० बटोट हाईड्रो पावर, (लि०) तथा हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	1.5.15	आयोग द्वारा अपैक्स कोर्ट के समक्ष दायर की गई अपील
---	-------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------

6.1.5 आयोग द्वारा मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजे गए विवाद

रिपोर्टाधीन वर्ष के आरम्भ में मध्यस्थ के पास 4 विवाद लम्बित पड़े थे। इसके अतिरिक्त एक विवाद विवाचक के अधिनिर्णय हेतु भेजा गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(क) 31.3.2016 तक विवाचकों को भेजे गए/निपटाए गए विवादों का विवरण

क्र० सं०	अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	विवरण	मध्यस्थता हेतु आदेश	अधिनिर्णय तिथि
1	याचिका सं० 63 / 12	मै० साई इंजिनियरिंग फाऊंडेशन, न्यू शिमला	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04	सतलुज नदी की सहायक नदी टिटानग (800 कि० वाट) परियोजना के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक तथा वैधानिक विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(एफ) के अधीन याचिका	2.8.13	9.10.15
2	याचिका सं० 3 / 14	मैसर्ज हिमालयन क्रेस्ट पॉवर प्रा० (लि) गांव मानाल सतौन सिरमौर	हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लि० शिमला-4	गिरी नदी की सहायक नदी गारियों का खाला, 3 में वा० जल विद्युत परियोजना चांदनी से सम्बन्धित पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक तथा	24.12.14	27.9.15

				वैधानिक विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(एफ) के अधीन याचिका		
3	याचिका सं० 4 / 14	मैसर्ज हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा. लि.) गांव मानाल सिरमौर	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लि० शिमला-4	गिरी नदी की सहायक नदी गारियों का खाला, 3 में वा. जल विद्युत परियोजना चांदनी से सम्बन्धित पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक तथा वैधानिक विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1.)(एफ) के अधीन याचिका	24.12.14	27.9.15
4	याचिका सं० 5 / 14	मैसर्ज हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा. लि.) सिरमौर	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लि., शिमला-4	गिरी नदी की सहायक नदी शाबरे का खाला, 3 मे.वा. मानाल जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक विवादों के अधिनिर्णय हेतु मामला विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(एफ) के अधीन याचिका	24.12.14	27.9.15

(ख) 31.3.2016 तक मध्यस्थों के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित विवाद मामले

क्र० सं०	ममला संख्या	वादी	प्रतिवादी	विवरण	मध्यस्थता हेतु आदेश	टिप्पणी
1	याचिका सं० 69 / 14	मै० जे.पी.वी. एल. ज्यूट, कम्पलैक्स वाकनाघाट, सोलन	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित शिमला-04 तथा अन्य	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(एफ) के साथ पठित सी.बी.आर. 2005 के विनियम संख्या 68 के अधीन याचिका	10.12.14	मामला अधिनिर्णय हेतु मा० न्यायाधीश मुकुल मुदगल, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया ।

6.2 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी विनियम, संशोधन तथा अधिसूचनाएँ

6.2.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए

क्रं सं	विनियम, वित्त वर्ष 2015-16	तिथि
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित करना तथा शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम-2016	11.04.2015
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015	27.07.2015
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग आधारित छत के उपर सोलर पी.वी. ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2015	31.07.2015
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मान्यता प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए शुल्क तथा प्रभारों का विनिर्धारण) आदेश, 2015	14.08.2015
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015	21.09.2015

6	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2015	19.10.2015
7	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015	28.11.2015
8	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	23.12.2015
9	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	08.01.2016
10	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाओं को अधिकृति हेतु तथा लाईसेंसधारकों को वितरण हेतु शुल्क एवं शर्तों का निर्धारण) आदेश 2016	08.03.2016
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय अनिवार्यता तथा इसकी अनुपालना) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	30.3.2016

6.2.2 आयोग द्वारा विनियमों का सार संग्रह चौथे संस्करण निकाला गया है जिसमें मई 2012, जो तृतीय संस्करण के प्रकाशन की तिथि है, से लेकर 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान बनाए गए विनियमों के मूल पाठ को शामिल किया गया है।

6.2.3 आयोग द्वारा प्रवृत्त विनियमों को भी अद्यतन बनाया गया है और उन्हें निम्नलिखित प्रकार से संकलित किया गया है :-

1. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमन सार-संग्रह खण्ड-1 (जनवरी 2001 से दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान अनिरक्षित तथा अद्यतन विनियमों सहित उनके अधीन जारी किए आदेश तथा अधिसूचनाएं शामिल हैं।
2. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमन सार-संग्रह खण्ड-II (जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान अनिरक्षित तथा अद्यतन विनियमों सहित उनके अधीन जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश शामिल हैं)
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमन सार-संग्रह, खण्ड-III जिसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क जमा करने हेतु मार्ग दर्शन तथा प्रपत्र) विनियम 2005 सहित उसके अधीन जारी किए गए आदेश एवं अधिसूचनाएं शामिल हैं।

आयोग द्वारा अब तक अधिसूचित सभी विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

6.2.4 कोड तथा मानक

(क) आयोग आपूर्ति एवं मानक कोड के कार्यान्वयन की दिशा में सदैव सक्रिय रहा है विभिन्न उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता प्रतिनिधियों तथा वितरण लाइसेंसधारी से प्राप्त सुझाव के आधार पर हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आपूर्ति कोड (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014, दिनांक 11.6.2014 जारी किया गया है जिसके द्वारा विद्यमान हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

6.2.5 विद्युत क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (क) (विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में निहित प्रावधानों के अधीन शुल्क निर्धारण करना होता है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य के वितरण लाइसेंसधारी होने के नाते विद्युत उत्पादक कम्पनियों के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना वांछित है। वर्ष के दौरान प्राप्त विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन तथा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण विद्युत क्रय अनुबन्ध की सूची नीचे दी जा रही है:—

आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की सूची दी जा रही है :—

(क) नवीकरण प्रमाण पत्र तथा तंत्र के अधीन (5 मे. वा. तक) कार्यान्वित क्रय अनुबन्ध/विशेष क्रय अनुबन्ध

क्र० सं०	याचिका संख्या	परियोजना	संस्थापित क्षमता मे. वा.	स्थल/ जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	पी.पी.ए अनुमोदन तिथि
1	61/2015	कॉलम जल विद्युत परियोजना	2.00	चम्बा	मै0 सनशाईन जल विद्युत सीमित 215-216 साहिल प्लाजा, डलहौजी रोड़, पठानकोट-145001	04.05.15
2	63/2015	टुलांग जल विद्युत परियोजना	3.00	चम्बा	मै0 हिमाचल जल विद्युत परियोजना (प्रा0) सीमित बुडलैड हाऊस, न्यु लैण्ड एस्टेट सर्कुलर रोड़, शिमला-171001	23.05.15
3	62/2015	कुठेड, जल विद्युत परियोजना	3.00	चम्बा	मै0 हिमाचल जल विद्युत परियोजना (प्रा0) सीमित बुडलैड हाऊस, न्यु लैण्ड एस्टेट सर्कुलर रोड़	23.5.15

					शिमला-171001	
4	68 / 2015	ळरिपुर नाला जल विद्युत परियोजना	3.00	कुल्लू	मै0 कॉन्टीनैटेल इन्फ्रा-टैक प्रा0 लि0, 203ए मैरिडियन प्लाजा अमीरपुर, हैदराबाद	25.5.15
5	72 / 2015	हाईसरूड जल विद्युत परियोजना	3.00	चम्बा	मै0 नानल हाईड्रोपावर कसल्टैसी (प्रा0लि0)वरदान भवन, गीता मन्दिर के नीचे टूटी कंडी, शिमला-171004	18.6.15
6	81 / 2015	बलीजका नाला जल विद्युत परियोजना	3.50	चम्बा	मै0 बटोट हाईड्रोपावर लि0 26, गोबिन्द महल, 86-बी नेताजी सुभाष रोड मैरीनड्राईव, मुम्बई-400002	17.7.15
7	88 / 2015	भोटा गाड एस.एच.ई. पी.	3.50	शिमला	मै0 शिखा एनर्जी स्रोत प्रा0लि0 19 / 7 पुराना बस स्टैण्ड, गांधी चौक हमीरपुर	7.8.15
8	101 / 2015	जेपल जल विद्युत परियोजना	1.20	कुल्लू	मै0 फलोजैन नवीकरणी ऊर्जा प्रा0लि0, 137, प्रीतम नगर तहसील बटियात, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)	16.9.15
9	99 / 2015	केस्टा जल विद्युत परियोजना	4.50	कुल्लू	मै0 केस्टा हाईड्रोपावर प्रा0लि0 एस.सी.ओ. 858, 2 रा तल एन.ए. सी. मनीमाजरा चण्डीगढ़-160101	11.9.15
10	105 / 2015	जेगिनी-II जल विद्युत परियोजना	5.00	शिमला	मै0 जी.सी. हाईड्रोपावर (प्रा0लि0) तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)	3.10.15
11	107 / 2015	बलसियों जल विद्युत	5.00	चम्बा	मै0 गिन्नी ग्लोबल प्रा0लि0, 2 रा तल,	3.10.15

		परियोजना			शांति चैम्बर, 1126 बी पूसा रोड नई दिल्ली-110005	
12	106 / 2015	बड़ागांव जल विद्युत परियोजना	4.90	कुल्लू	मै0 के.के.के हाईड्रो पावर लि0, 1-41, डी. एल.एफ. औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1 फरीदाबाद हरियाणा	9.10.15
13	113 / 2015	कुरथा जल विद्युत परियोजना	5.00	चम्बा	मै0 साहू हाईड्रो पावर प्रा0लि0 गांव व डाकघर सरोल, तहसील एवं जिला चम्बा-176310 (हि0प्र0)	16.11.15
14	131 / 2015	शौंग जल विद्युत परियोजना	3.00	किन्नौर	मै0 दार्जिलिंग पावर, लि0, 214 एम्पायर हाऊस, डाँ0 डी.एन. रोड फोर्ट मुम्बई-400001	28.11.15
15	135 / 2015	चच्चोट जल विद्युत परियोजना	3.50	मण्डी	मै0 शक्ति हाईड्रो इलैक्ट्रिक कम्पनी प्रा0लि0, डी-126, 3रा तल, डीफैस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024	28.12.15
16	52 / 2016	बगरोड़ जल विद्युत परियोजना	0.240	कांगड़ा	मै0 कार्यपालक अभियंता, सिद्धथा मध्यम सिंचाई परियोजना (SMIP) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, डिविजन, ज्वाली, जिला कांगड़ा	12.2.16
17	3 / 2016	शंशा एस. एच.ई.पी.	4.00	लाहुल स्पिति	मै0 शंशा हाईड्रोपावर परियोजना सहकारी सोसायटी लि0, गांव शंशा, तहसील केलांग, जिला लाहुल स्पिति (हि0प्र0)	12.2.16
18	4 / 2016	राणा जल विद्युत	1.20	मण्डी	मै0 मानक पावर सिस्टम, प्रा0लि0, गांव	16.3.16

		परियोजना			घमरैहर, डाकघर जल पहर, जिला मण्डी-175015 (हि0प्र0)	
19	53 / 2015	नेरी जल विद्युत परियोजना	5.00	मण्डी	मै0 नेरी हाईड्रो परियोजना प्रा0लि0, गांव व डाकघर मझारन, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)	31.8.16
20	8 / 2016	जेगिनी-II जल विद्युत परियोजना	5.00	शिमला	मै0 जी.सी. हाईड्रोपावर प्रा0लि0, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)	31.3.16
21	10 / 2016	शिमला जल विद्युत परियोजना	5.00	शिमला	मै0 साई इंजिनियरिंग फाऊंडेशन, साई भवन, सैक्टर-IV, शिमला-9	31.3.16

(ख) नवीकरण प्रमाण पत्र तंत्र के अधीन (5 से 25 मे. वा.) कार्यान्वित विद्युत क्रय अनुबन्ध/विशेष विद्युत क्रय अनुबन्ध

क्र. सं	लघु विद्युत परियोजना	संस्थापित क्षमता मे. वा. में	स्थान/ जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	69 / 2015	ब्रूआ जल विद्युत परियोजना	9.00 किन्नौर	मै0 ब्रूआ हाईड्रोवाट (प्रा0 लि0) प्लॉट नं0 2, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी जिला सोलन (हि0प्र0)	17.7.15
2	82 / 2015	बड़ागांव जल विद्युत परियोजना	24.00 कुल्लू	मै0 कंचनजंगा पावर कम्पनी प्रा0 लि0, यूनिट नं0 307, 3 रा तल कारपोरेट एवं	16.7.15

				जसोला, नई दिल्ली 110076	
3	6 / 2016	कुरमी जल विद्युत परियोजना	8.00 शिमला	मै० कुरमी एनर्जी प्रा०लि०, पंजीकरण कार्यालय मकान नं० 99, सैक्टर-3, न्यू शिमला-171009, हि०प्र०	31.3.16
4	5 / 2016	ब्यास कुण्ड जल विद्युत परियोजना	9.00 कुल्लू	मै० कपिल मोहन एण्ड एसोसिएट्स हाईड्रोपावर, प्रा०लि०, मकान नं० 99, सैक्टर-3, न्यू शिमला, शिमला-171009 (हि०प्र०)	31.3.16
5	11 / 2016	अप्पर जोयनर जल विद्युत परियोजना	12.00 चम्बा	मै० तेजाशर्निका हाईड्रो एनर्जीज प्रा०लि० प्लॉट 1367, रोड़ नं० 45, जुब्ली हिल्ज, हैदराबाद-500033	31.3.16
6	12 / 2016	नंती जल विद्युत परियोजना	14.00 शिमला	मै० सूर्यकान्ता हाईड्रो एनर्जीज प्रा०लि०, मकान नं० 8-2'603 / 1-10, 2 रा तल, श्री वैकटेश्वरा मिलयम, कृष्णापुरम, रोड़ नं० 10, बंजारा हिल्ज हैदराबाद 500034	31.3.16
7	7 / 2016	कुट जल विद्युत परियोजना	24.00 शिमला	मै० कुट एनर्जी प्रा०लि० मकान नं० 99, सैक्टर-3, न्यू शिमला, शिमला 171009 (हि०प्र०)	31.3.16
8	13 / 2016	जेगिनी जल विद्युत परियोजना	16.00 शिमला	मै० गैगदरी हाईड्रोपावर प्रा०लि० प्लॉट -5, अक्षय आर्केड 3 रा तल, अमर सहकारी सभा एस.बी.एच. बैंक के ऊपर कावरुई हिल्ज माधापुर हैदराबाद 500081	31.3.16
9	14 / 2016	सुमेज जल विद्युत परियोजना	14.00 शिमला	मै० रंगा राजू वेयरहाऊसिंग प्रा०लि०, रोड़ संख्या-45 जुबिली हिल्ज हैदराबाद 500033	31.3.16

6.2.6 दस्तावेजों की जांच/ उन पर टिप्पणियां

सी.ई.आर.सी.एफ.ओ.आर. ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई तथा उन पर अपनी टिप्पणियां/राय प्रदान की गई।

6.2.7 कास्ट डाटा अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तुत ई.सी.वी., एच.वी. तथा एल.टी. उपकरणों सम्बन्धी डाटा बुक की जांच की गई तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.2.8 नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व

नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोगों द्वारा विनियम बनाए गए तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र के लिए रूप रेखा आदेश जारी किए गये। इस आयोग द्वारा भी केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोग (पुनः संगठनों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्तों) विनियम, 2010 अपनाए गये। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व तथा इसका अनुपालना) विनियम, 2010 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011-12 से 2021-22 के सम्बन्ध में विद्युत लाईसेंसधारी के साथ-साथ बन्द अथवा खुली पहुँच उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं को निम्न तालिका के अनुसार गैर सौर तथा सौर ऊर्जा की मात्रा दायित्व तथा इसकी अनुपालना विनिर्दिष्ट की गई है।

नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व हेतु न्यूनतम प्रतिशतता

वर्ष	नवीकरणीय स्रोतों से कुल उपयोग की क्रय मात्रा (प्रतिशतता में ऊर्जा किलोवाट आवर में)	
	कुल नवीकरणीय विद्युत क्रय की प्रतिशतता	कुल क्रय में से नवीकरणीय सौर ऊर्जा क्रय दायित्व की प्रतिशतता
2013-14	10.25	0.25
2014-15	10.25	0.25
2015-16	11.25	0.25
2016-17	12.25	0.25
2017-18	13.50	0.50
2018-19	14.75	0.75
2019-20	16.00	1.00

2020-21	17.50	2.00
2021-22	19.00	3.00

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नवीकरणीय गैर सौर ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO) प्राप्त किया जा चुका है तथा राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन से सिंगरौली सौर ऊर्जा संयम तथा भारत सोलर एर्नेजी कार्पोरेशन (SECI) से सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा पूरी की गई अनुपालना का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

1	कुल नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व	10.25%
	नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (सौर) की प्रतिशतता	0.25%
	नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (गैर सौर) की प्रतिशतता	10.00%
2	कुल आर.पी.ओ. उपलब्धि प्रतिशतता में	कुल ऊर्जा खपत की प्रतिशतता 16.37% अथवा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व लक्ष्य का 159.7%
	गैर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धि प्रतिशत में	163.37 (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का)
	सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धि प्रतिशत में	12.96 (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का)

आयोग द्वारा उत्तरदायी संस्थाओं, विशेष रूप से राज्य के वितरण लाईसैंसधारी द्वारा की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व की अनुपालना पर निरन्तर संवीक्षा की जा रही है।

6.3 शुल्क सम्बन्धी आदेश

क्र.	विवरण	जारी करने की
------	-------	--------------

सं.		तिथि
1	सौर पी.वी. परियोजनाओं के लिए लगाए जाने वाले सामान्य शुल्क का निर्धारण	08.09.2015
2	तृतीय एम.वाई.टी. नियन्त्रण अवधि (वित्त वर्ष 2015-19) के प्रथम वार्षिक निष्पादन पुनरीक्षण आदेश तथा वित्त वर्ष 2016 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित हेतु शुल्क विनिर्धारण	10.04.2015

6.4 वेबसाइट

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमों के अधीन महत्वपूर्ण सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://hperc.org> में समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों को सुलभ, विस्तृत प्रचार-प्रसार व पारदर्शिता सहित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

6.5 समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र में घटित होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

6.6 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

6.6.1 उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उप धारा (5) के साथ पठित धारा (8) के अधीन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम के दिशा निर्देश) विनियम, 2003 अधिसूचित किए गये हैं। विनियम 3, के अधीन वितरण लाईसैंसधारी अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कसुम्पटी में एक तीन सदस्यीय फोरम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता, विद्युत आपूर्ति में कमी अथवा दोष, अनुचित व्यापार पद्धति, लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत लाईनों तथा समवर्गी सेवाओं आदि के लिए अधिक प्रभार तथा मूल्य वसूली सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु फोरम में शिकायत दायर कर सकता है।

फोरम में कुल तीन सदस्य हैं, जिन में से दो सदस्यों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने अधिकारियों में से की जाती है जबकि एक स्वतन्त्र सदस्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नामित किया जाता है।

फोरम के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फोरम के निर्णय के विरुद्ध 40 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष अपील दायर कर सकता है। फोरम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.03.2015 तक 60 शिकायतें लम्बित थी तथा वर्ष के दौरान 80 शिकायतें प्राप्त हुई तथा वर्ष के दौरान 25 शिकायतों का निपटारा किया गया, 31 मार्च, 2016 तक 48 शिकायतें लम्बित थी।

6.6.2 विद्युत ओमड्समैन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियम, 2004 के अधीन विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायतों निवारण हेतु इसके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ता की शिकायतों का फोरम द्वारा निवारण न किए जाने अथवा उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत कर सकता है तथा विद्युत ओमबड्समैन शिकायतों पर सहमति, समझौता अथवा मध्यस्थता अथवा विनियमों के अनुसार निर्णय देकर मामलों का निपटारा कर सकता है। ओमबड्समैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 तथा 13 के अधीन विवादों की सहमति व अधिनिर्णय देकर उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई है। विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत किसी शिकायत के सम्बन्ध में इसकी प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के अन्दर अपना अधिनिर्णय देना होगा तथा उसका अधिनिर्णय, अनुबन्ध तथा आवेदन के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तथा आयोग इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा। 31 मार्च, 2016 को श्री आशोक कुमार विद्युत ओमबड्समैन के रूप में कार्याभार सम्भाल रहे थे। ओमबड्समैन की रिपोर्ट के अनुसार 31.3.2016 तक विद्युत ओमबड्समैन के पास 9 मामले लम्बित थे। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 19 अतिरिक्त प्रतिवेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई जिन में से 18 याचिकाओं का 31.3.2016 तक निपटारा किया जा चुका है। 31 मार्च, 2016 तक 10 शिकायतें लम्बित पड़ी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को कुशल, विश्वसनीय तथा विद्युत की गुणवत्ता वाली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा वितरण निष्पादन मानक विनियम, 2010 अधिसूचित किए गये हैं, जिसमें फयुज आफ/फाल्ट कॉलज, ओवरहेड लाईन, केबल ब्रेक डाउन, खराब वितरण ट्रांसफार्मों को बदलना, मीटर सम्बन्धी शिकायतें, बन्द/खराब तथा जले हुए मीटर बदलना, मीटर/सेवा लाईनों को स्थानान्तरित करना, बोल्टेज समस्या, शैडयूल्ट ऑउटेजिज आदि जैसी उपभोक्ता सम्बन्धी सेवाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनियमों में उपभोक्ताओं तथा फिल्ड स्टाफ की सुविधा के लिए

वितरण लाईसैंसधारी द्वारा “उपभोक्ता शिकायत निवारण नियमावली पद्धति” बनाने तथा इसे प्रकाशित करने का प्रावधान भी समाविष्ट है। यदि वितरण लाईसैंसधारी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों को पूरा करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन्हें पहुँची हानि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु आयोग के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।

6.7 समन्वय फोरम की सदस्यता

अन्य यूटिलिटीज के साथ गतिशील तालमेल तथा विनियामकों द्वारा समान सुधार नीति अपनाने के लिए आयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर निम्नलिखित फोरम में अपनी सदस्यता के माध्यम से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होता है:-

6.7.1 आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम (SAFIR)

अन्तर्राष्ट्रीय यूटिलिटी विनियमन फोरम के अधीन कार्यरत आधारभूत संरचना विनियम हेतु दक्षिण एशिया फोरम मई, 1999 को विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत तथा पाकिस्तान के आधारभूत संरचना, विनियामकों का नेटवर्क शामिल है। इसके अन्तर्गत विद्युत, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, जल, परिवहन आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में अनुसंधान, विनियामक सुधार प्रक्रिया तथा अनुभव से सम्बन्धित डाटा बैंक उपलब्ध करना तथा ज्ञान एवं प्रवीणता का लाभकारी आदान-प्रदान आरम्भ करना सम्मिलित है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर फोरम की बैठक में भाग लिया गया।

6.7.2 भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR)

भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) एक पंजीकृत संस्था है जिसका गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। इसकी सदस्यता शुल्क पर आधारित है। FOIR का उद्देश्य विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता विकसित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा, उपभोक्ता समयक संस्थाओं का विकास, विनियामक संस्थाओं, यूटिलिटीज व अन्य लाभार्थियों में मानवीय तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास, विनियामक विधियों तथा प्रथा को सूचनात्मक आधार प्रदान करना, विनियामक मितव्ययता, स्वतन्त्र विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है, जिसमें विभिन्न मामलों में विचार-विमर्श किया जाता है। आयोग द्वारा संस्थागत सदस्य के रूप में दिनांक 26 मई, 2001 को इसकी सदस्यता ग्रहण की गई। फोरम के सदस्य शासकीय निकाय में अवैतनिक हैसियत से नियुक्ति के पात्र हैं। शासकीय निकाय को सचिवालय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। FOIR की सर्वोच्चसत्ता सामान्य निकाय में निहित है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक

बार सम्भवतः जून माह में होती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय-समय फोरम की बैठकों में भाग लिया गया।

6.7.3 विनियामकों का फोरम (FOR)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (2) के उपबन्धों के अधीन विनियामकों के फोरम का गठन 16 फरवरी, 2005 को किया गया था। विद्युत क्षेत्र में अधिकतर निश्चितता प्राप्त करने के उद्देश्य से फोरम पूरे देश में तालमेल स्थापित करके विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यों में एकरूपता लाने की दिशा में कार्य करने हेतु उत्तरदायी है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCS) के अध्यक्ष शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान विनियामकों के फोरम (FOR) की कम से कम दो बार बैठक होती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर फोरम की बैठकों में भाग लिया गया।

6.8 कम्प्यूटरीकरण

आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी क्षमता तथा संगति के दृष्टिगत डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। इन्हें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान-प्रदान प्राथमिकता तथा विश्वसनीय रूप में बिना कागज़ के प्रयोग से किया जा सके। कार्यालय में आवश्यक पेरिफेरियल हार्डवेयर सहित मानक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाए गये हैं।

6.9 पुस्तकालय

आयोग से सम्बन्धित पुस्तकें, विधिजर्नल तथा अन्य दस्तावेज अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुस्तकालय के लिए क्रय किये गये।

अध्याय—7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति निर्माण या कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श अथवा उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

आयोग द्वारा अपने आवश्यक कार्यों के निर्वहन के लिए अधिनियम में विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, परन्तु उसके द्वारा बनाये जाने वाले विनियामक प्रारूप उपबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया अपना कर आम जनता के सुझाव लेने अनिवार्य होंगे, तथा ऐसे विनियम, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अध्याधीन होंगे। आयोग द्वारा अपने सभी प्रकार के कृत्यों के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाते हुए सभी को सुनने के अवसर प्रदान करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं के अधिकतम वर्गों के विचारों तथा हितों की उचित पैरवी हो रही है, जिन्हें उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से इसकी कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय-8

परामर्श प्रदान करने हेतु गठित समितियां तथा अन्य निकाय

राज्य आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अधीन एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राज्य सलाहकार समिति के 21 सदस्य हैं जैसा कि परिशिष्ट-IV पर दर्शाया गया है। समिति के सदस्य वाणिज्य, कृषिश्रम, परिवहन, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन तथा विद्युत, क्षेत्र पर अकादमिक तथा अनुसंधान निकायों, उद्योग जैसे समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव समिति के पदेन सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष तथा सचिव, राज्य सलाहकार समिति के भी क्रमशः अध्यक्ष तथा सचिव हैं। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित मामलों में आयोग को विचार-विमर्श हेतु अपना परामर्श प्रदान करती है :-

- i) नीति सम्बन्धी मुख्य प्रश्न।
- ii) लाईसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणात्मकता निरन्तरता तथा सीमा से सम्बन्धित मामले।
- iii) लाईसेंसधारी द्वारा अपने लाईसेंस के अनुरूप शर्तों तथा अपेक्षाओं की अनुपालना।
- iv) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा।
- v) विद्युत आपूर्ति तथा संस्थाओं द्वारा निष्पादन का समग्र मानकीकरण।

अध्याय—9

विभागों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं का संक्षिप्त पर्यवलोकन

9.1 हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम, (1948) के उपबन्धों के अधीन 1971 में किया गया था। तत्पश्चात बाढ़ नियंत्रण तथा लघुसिंचाई कार्य के अतिरिक्त बहु-उद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग के समस्त कार्य जैसे विद्युत उत्पादन, जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कार्य बोर्ड को स्थानान्तरित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण का कार्य 10 जून, 2010 तक किया गया जब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131(2), 132, 133 तथा अन्य प्रयोज्य उपबन्धों के अधीन विद्युत उत्पादन, वितरण तथा विपणन सम्बन्धी कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हस्तांतरित किए गये तथा हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर रिफॉर्म स्कीम, 2010 के अधीन विद्युत की संचारण द्वारा निकासी सम्बन्धी कार्य हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को हस्तांतरित किए गये। राज्य क्षेत्र में नयी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही एक पृथक उत्पादन कम्पनी की स्थापन की जा चुकी थी।

अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, दिनांक 15 जून, 2009 को जारी अधिसूचना संख्या: एम पी पी-ए(3)-1/2001-IV के अनुसार कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, अधिकार, दायित्व, भार, कार्यवाहियां तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित किए गये। इसके साथ ही अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानान्तरण स्कीम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या: एम पी पी-ए(3)-1/2001-IV दिनांक 10 जून, 2010 के अनुसार उल्लिखित कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, अधिकार आदि जो पूर्व में सरकार में निहित थे, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाने जानी वाली नई सत्ताओं में पुनः निहित की गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत उत्पादन, विद्युत संचारण एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों को उसमें पुनः निहित करने के उद्देश्य से कार्य करने हेतु 10 जून, 2010 को अस्तित्व में आया। विद्युत अधिनियम, 2003 भी धारा 14 के प्रथम उपबन्ध अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण तथा आपूर्ति के सम्बन्ध में एक मान्य लाइसेंसधारी है।

पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य सौंपा गया है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश राज्य में विपणन के साथ-साथ विद्युत वितरण प्रणाली के विकास, (नियोजन, रूपांकन

तथा निमार्ण) संचार तथा रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया है। राज्य का नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं की पहचान तथा अन्वेषण का कार्य भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है। तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों का स्वामित्व तथा संचालन का रख-रखाव भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया है तथा वह राज्य क्षेत्र में नए उत्पादन परियोजनाओं के निष्पादन कार्य को भी जारी रख सकता है यदि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आबंटित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की केन्द्र क्षत्रीय स्टेशनों में भी विद्युत की भागीदारी है जबकि वह राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पड़ोसी राज्यों से भी विद्युत आयात करता है।

विद्युत बोर्ड के संचालन, रख-रखाव तथा वितरण सम्बन्धी कार्य, 'उत्तर', 'मध्य', तथा 'दक्षिण' नामक तीन संचालन प्रभागों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रत्येक इ एच वी प्रभाग (पद्धति संचालन प्रभाग से नामित) मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करता है। तीनों संचालन प्रभागों के अन्तर्गत 12 संचालन वृत्त शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, राज्य के 12 जिलों के सुनिश्चित क्षेत्र के अनुसार नहीं हैं। विकट भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु एवं बिखरे और दूरदराज के क्षेत्र में बसने वाली जनसंख्या के बावजूद राज्य द्वारा शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में सन् 1988 में शतप्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

9.2 हिमाचल प्रदेश पावर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय तथा पांचवें उपबन्धों के अधीन एक मान्य लाइसेंसधारी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड का गठन, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या: एम पी पी-ए-(1)4/2006-लूज दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को अधिसूचित आदेश द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर को जारी पूर्व अधिसूचना के साथ पठित अधिसूचना संख्या एम पी पी-ए-(1)4/2006-लूज दिनांक 3 दिसम्बर, 2008 के द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्य/व्यवसाय सौंपे गये थे:

1. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाले उप-स्टेशनों के निर्माण सम्बन्धी सभी प्रकार के नये कार्य।
2. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाइनों के निर्माण/बिछाने सम्बन्धी सभी नये कार्य।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा योजना के अधीन वित्त-पोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं, जिनके साथ अभी तक ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किए गये हैं, नये

कार्यों सहित संचारण-तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत की निकासी हेतु राज्य के लिए संचारण मास्टर योजना का निर्माण, आधुनिकीकरण तथा निष्पादन।

4. सी टी यू सी इ ए, ऊर्जा मंचालय, राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ संचारण सम्बन्धी योजना तथा समन्वय सम्बन्धी सभी मामले।
5. संचारण सम्बन्धी सभी मामलों में आई पी पी एस/सी पी एस यू/राज्य पी एस यू/ अन्य विभागों अथवा संगठनों अथवा केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के साथ योजना बनाना तथा समन्वय स्थापित करना।
6. अन्य मामला सम्बन्धी सभी विषय जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निगम को सौंपे जाएं।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने दिनांक 10 जून, 2010 के आदेश के द्वारा राज्य संचारण युटिलिटी घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2010 को जारी अपने आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को एक मान्य “संचारण लाइसेंसधारी” के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2011 से पूर्व संचारण शुल्क, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर लागू होने वाली शुल्क आदेश के एक भाग के रूप में निर्धारित किया जाता था।

पावर ग्रिड ऑफ इंडिया द्वारा स्वामित्व प्राप्त तथा संचालित लाईनों के समन्वय, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा पावर कौम (पंजाब राज्य बिजली बोर्ड) सहित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्व वाली 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों का संचालन एवं रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा जारी अपनी समसंख्या दिनांक 10 जून, 2010 के साथ पठित पूर्व अधिसूचना सहित अपनी अधिसूचना संख्या एम पी पी-ए(3)-1/2001-IV दिनांक 21 जून, 2010 के द्वारा इनका स्वामित्व भी हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया।

9.3 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से सम्बन्धित जल विद्युत के सभी पहलुओं के विकास, योजना, प्रोत्साहन तथा संगठन के उद्देश्य से दिसम्बर, 2006 में हिमाचल प्रदेश विद्युत

निगम लिमिटेड निगमित किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में हिमाचल प्रदेश सरकार की 60% तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 40 प्रतिशत भागीदारी है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड का लक्ष्य है मेगावाट कि मार्च, 2017 तक 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वर्ष 2022 तक 5000 में वा विद्युत उत्पादन का दोहन किया जाए ताकि विद्युत उत्पादन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की खुशहाली में योगदान प्रदान किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में 450 मेगावाट शॉगटोंग कड़छम, 100 मेगावाट सैंज, 111 मेगावाट सावड़ा कुड्ड, 243 मेगावाट काशंग, 42 मेगावाट चिढ़गांव मझगांव तथा 40 मेगावाट रेणुका जी जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर निष्पादन कार्य चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के समक्ष यह चुनौती है कि वह अपनी सभी प्रकार की तकनीकी तथा संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करके एन.टी पी.सी, एन.एच.पी. सी तथा एस.जे.वी.एन.एल जैसी ख्यातिप्राप्त उत्पादन कम्पनियों के समक्ष एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में विकसित करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य तथा ख्यातिप्राप्त तकनीकी मानवशक्ति के द्वारा विभिन्न विभागों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जल विद्युत विकास के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड युष्मीय, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत मुख्यतः सौर ऊर्जा, जैसी अन्य विद्युत विकास गतिविधियों के क्षेत्र में भी अपने कार्य में विविधता लाने का इच्छुक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की प्रगति एवं खुशहाली के दृष्टिगत, विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने, पर्यावरण तथा पारिस्थितिक सन्तुलन सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा परियोजनाओं के सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु एक दीर्घकालीन निगमित योजना तैयार की जाए।

9.4 हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी

हिमाचल प्रदेश में राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की स्थापना सन् 2002 में की गई थी तथा उसी समय से इसका संचालन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा किया जाता रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ही राज्य में उत्पादन तथा संचारण को प्रतिस्पर्धात्मक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न युटिलिटी स्थापित की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वितरण व्यवसाय में राज्य में एक मात्र युटिलिटी का कार्य करता रहा। राज्य संचारण युटिलिटी के स्वामित्वाधीन पूर्व में वर्गीकृत अन्तरराज्यीय संचारण लाईनें, एच वी/ई. एच.वी. अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिन्हें अब एच. वी/ई.एच.वी संचारण लाईनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः क्षेत्र के अन्य कई राज्य जहां राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य राज्य संचारण युटिलिटी को सौंपे गये हैं, वहीं

हिमाचल प्रदेश में यह कार्य अन्यथा रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास ही रखे गये हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्यों एवं कर्तव्यों के कुशल एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए गये हैं कि राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को स्वतंत्र रूप में कार्य करने हेतु कार्यशील स्वायत्तता प्रदान की जाए।

इसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश एम पी पी-बी (13)-2/2010 दिनांक 8.11.2010 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को एक स्वतन्त्र सत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से “हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी” की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाएँ दिनांक 17 जून, 2012 से सेकेन्डमेन्ट आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी को प्रदान की गई है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी द्वारा दिनांक 17 जून, 2012 से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एक मात्र डी आई एस सी ओ एम होने के नाते तथा उसके द्वारा एक लम्बी अवधि तक राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य किए जाने वाले दोनों कारणों से राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित करने में जटिलता उत्पन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में अपनाए गये राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी के साथ) तथा ए एल डी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) की एक मात्र समन्वित पहल से परिवर्ती चरण में कठिनाई होने की सम्भावना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ए एल डी सी तथा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की सुविधाएँ एक ही परिसर में अवस्थित हैं ; राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य संचालन हेतु वांछित आवश्यक परिसम्पत्तियाँ अभी तक भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की आवश्यक आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जायें ताकि वह अधिनियम के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसके साथ ही, जल विद्युत परियोजनो के क्षेत्र में आई अत्याधिक वृद्धि तथा राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा खुली पहुँच की ओर प्रवृत्त होने के कारण राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है,

क्योंकि अधिनियम के अधीन इसे ऊर्जा प्रणाली समन्वित के संचालन हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है।

9.5 ऊर्जा निदेशालय (DOE)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2009 में जल विद्युत विकास तथा परियोजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों के समाधान हेतु ऊर्जा निदेशालय की स्थापना एक एकाकी सम्पर्क स्थल के रूप में की गई। ऊर्जा निदेशालय के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है :-

1. राज्य की आपार जल विद्युत सम्भावना के सर्वोत्तम दोहन, विकास तथा प्रोत्साहन हेतु निदेश जारी करना तथा प्रेरक ढांचा उपलब्ध कराना।
2. कार्यक्रमों/नीतियों का समन्वय/सुविधाएं प्रदान करना ताकि ऊर्जा के संरक्षण के साथ-साथ इसका कुशल प्रयोग भी किया जा सके।
3. राज्य की मुफ्त/इक्वटी विद्युत की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना। ऊर्जा निदेशालय राज्य के विद्युत विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों द्वारा अपना सहयोग प्रदान कर रहा है :-
 - i हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन।
 - ii परियोजनाओं के कार्यान्वयन की संवीक्षा।
 - iii टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेन्स प्रदान करना।
 - iv हिमाचल प्रदेश के विद्युत भाग का विक्रय।
 - v ऊर्जा परिरक्षण तथा कार्यकुशलता उपायों को प्रोत्साहित करना।
 - vi जल विद्युत संयंत्रों की गुणवत्ता तथा सुरक्षा पहलुओं की संवीक्षा।

9.6 हिम ऊर्जा

हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु हिम ऊर्जा राज्य की नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा राज्य/केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग में सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार के एम एन आर इ द्वारा हिमाचल प्रदेश को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया गया है। हिमऊर्जा के कार्य निम्नलिखित है :-

1. सौर ऊर्जा साधनों का प्रापण, उपलब्धता एवं उनकी स्थापना।
2. विभिन्न उपलब्ध स्कीमों के अधीन भारत सरकार के एम एन आर इ को परियोजना मोड के अधीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजना।
3. भारत सरकार के जे एन एन एस एम तथा एम एन आर इ की अन्य स्कीमों के अधीन लाभान्वितों को उपदान प्रदान करवाना।

4. राज्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करना तथा राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के प्रयोग, प्रोत्साहन तथा विकास हेतु नीति अपनाना।
5. हिमऊर्जा एम एच इ पी से विश्वसनीय तथा गुणवत्ता वाली निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
6. विद्युत परियोजनाओं की पहचान तथा आबंटन के लिए पारदर्शी नीति बनाना।
7. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी द्वारा लघु जल विद्युत सम्भावनाओं का दोहना।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को राजगार सुनिश्चित करना।
9. एस सी एस पी के अधीन अनुसूचित जाति बहुल गांवों में एस पी वी स्ट्रीट लाईटें लगाना सुनिश्चित करना।
10. ऊर्जा के सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में संसाधन मूल्यांकन तथा सम्भावनाओं के अनुमान के बारे में अध्ययन करना।
11. स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों को उपदान के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी मामलों का संचालन करना।
12. टेक तथा इन्टरकनेक्शन प्वाइंट के अनुमोदन हेतु एच पी टी सी एल तथा डी ओ ई, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सुविधाएं प्रदान करना।
13. वैधानिक तथा गैर वैधानिक क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से सम्पर्क करना।
14. नवीकरणीय ऊर्जा उपायों के सम्बन्ध में धन उपलब्ध करवाने के बारे में जनजातीय विभाग तथा समाजिक न्याय विभाग के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
15. विभिन्न सरकारी विभागों स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की संवीक्षा करना।
16. नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके विकास हेतु विभिन्न साधनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

9.7 मुख्य विशेषताएं

9.7.1 उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में कुल 23000 मेगावाट जलविद्युत सम्भावना चिन्हित की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश में जलविद्युत राज्य का दर्जा हासिल करने तथा राज्य में उपलब्ध अपार जलविद्युत सम्भावना के दोहन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, राज्य, केन्द्र, संयुक्त तथा निजी चारों को शामिल करके एक नीति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 5 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं को राज्य तथा निजी क्षेत्र के अधीन

कार्यान्वयन हेतु हिमऊर्जा को सौंपे गये हैं। 23000 मेगावाट चिन्हित जल विद्युत सम्भावना में से 9437.47 मेगावाट विद्युत दोहन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा 12408.99 मेगावाट औसत क्षमता विभिन्न क्षेत्रों के अधीन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 992.5 मेगावाट सम्भावना क्षमता विवादाधीन अथवा रद्द की गई है, जबकि 755 मेगा वाट सम्भावना पर्यावरण के अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी गई है।

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अधीन जलविद्युत विकास की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की स्थिति									
क्रं सं	क्षेत्र		चालू	निर्माणाधीन	क्लीयरेंस स्तर पर	जांच के अधीन	विवादास्पद	छोड़ दी गई	कुल योग
			क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में
1.	हिमऊर्जा	राज्य	2.37	0.00	14.50	0	0.00	0.00	16.87
		निजी	245.75	153.15	428.15	393.68	0.00	0.00	1220.73
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (लि)	5 मे. वा तक	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
		5 मे. वा.	466.45	100	0.00	85.5	00	0.00	651.95
3.	एच पी पी सी एल		0.00	856.00	1285.00	963.00	20.00	20.00	3124.00
4.	केन्द्रीय तथा संयुक्त		6675.73	1600.00	66.00	588.00	0.00	0.00	8929.73
	यमुना परियोजना हिमाचल का भाग		131.57	—	—	—	—	—	131.57
5.	रंजीत सागर डैम (हिमाचल का भाग)		27.60	—	—	—	—	—	27.60

6.	निजी		1862.07	781.43	829.20	3089.50	20.00	735.00	7317.20
योग			9432.64	3490.85	2622.85	5119.68	40.00	755.00	21440.75
विचाराधीन शेष सम्भावना									4820.61
कुल योग									26261.36

9.7.2 नेटवर्क

अन्तरंग राज्य संचारण एवं वितरण नेटवर्क के अन्तर्गत 220 के वी, 132 के वी, 66 के वी, 33 के वी, 11 के वी तथा 0.4/0.23 के वी बोल्टेज समाविष्ट है। नेटवर्क के अधीन विभिन्न बोल्टेज स्तरों के अन्तर्गत लगभग 96828.013 किलोमीटर लम्बी विद्युत लाइनो का नेटवर्क शामिल है। बोल्टेज बार लाइनों की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है :-

इ एच टी लाइन की लम्बाई

220 के वी	132 के वी	66 के वी	कुल
422.49 के वी	1419.22 कि. मी.	405.12 कि. मी.	2246.8 कि. मी.

एच टी लाइन की लम्बाई का विवरण

33 के वी	22 के वी	15 के वी	11 के वी	2.2 के वी	योग
3148.068 कि. मी	7247.386 कि. मी.	107.812 कि. मी.	22201.903 कि. मी.	52.186 कि. मी.	32757.355 कि.मी.

एच टी लाइन की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण

एल टी लाइन (0.4/02 के वी)	वितरण उप-केन्द्र	
	संख्या	के वी ए
61716.839 कि. मी.	28539	2371703.80

संचारण / वितरण नेटवर्क के पोषण हेतु कुल 45 इ एच वी उप-केन्द्र हैं। राज्य के कुछ भागों की विकट जलवायु स्थिति तथा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इतने बड़े नेटवर्क का रख-रखाव एक चुनौती भरा कार्य है। राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित जल विद्युत उत्पादन

केन्द्रों से बिजली की निकासी तथा बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु नेटवर्क को निरन्तर उन्नतिशील बनाया जाना आवश्यक है।

9.7.3 वितरण

हिमाचल प्रदेश में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1988-89 (जून 1988) के दौरान 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया था। तत्पश्चात्, मैसर्ज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा बदल दी गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार मार्च, 2013 के अन्त तक कुल 17495 गांवों में से 17483 गांवों का विद्युतीकरण के लिए उपायुक्त नहीं है क्योंकि वे बिना आबादी वाले अस्थाई गांव हैं जो घने जंगलों में स्थित हैं। विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हैमलटों के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया जिसके अधीन मार्च 2014 तक 4047 (चिन्हित) + 614 (गैर चिन्हित) हैमलटों का विद्युतीकरण किया गया जबकि 135 हैमलेट्स को अभी भी विद्युत उपलब्ध करवाना बाकी है।

इस समय कुल 22.57 लाख उपभोक्ता हैं, तथा कनैक्टिड लोड 6876551.210 किलोवाट है। इन उपभोक्ताओं को 35111.179 किलो मीटर एच टी तथा 617166.839 किलो मीटर एल टी लाइनों के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। 28539 वितरण उप-केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 2371703.80 किलोवाट है। वर्ष 2015-16 के दौरान संचारण तथा वितरण क्षतियों का स्तर 12.10 प्रतिशत रहा।

9.7.4 खपत तथा उपलब्धता

राज्य में वर्ष 2015-16 के दौरान उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा कुल 7798.20 मिलियन युनिट विद्युत का प्रयोग किया गया तथा अधिकतम मांग 1422 मेगावाट रही। सर्दी के महीनों में अधिक ऊर्जा की मांग रहती है जबकि इस समय जलविद्युत उत्पादन कम रहता है। कुल मिलाकर राज्य में विद्युत उत्पादन अधिक रहता है तथापि सर्दियों के महीनों में वितरण लाइसेंसधारी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) के पास बिजली की कमी रहती है, तथा गर्मियों के महीनों में इसके पास विद्युत की अतिरिक्त मात्रा रहती है। गर्मियों के महीनों में अतिरिक्त विद्युत पड़ोसी राज्य में जमा की जाती है तथा सर्दियों में इसे उनसे प्राप्त किया जाता है क्योंकि इस समय लाइसेंसधारी के पास बिजली की कमी रहती है। राज्य सरकार का विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाग है तथा इसके साथ ही नाथपा झाकड़ी जैसी जल विद्युत परियोजना में भी इसकी इक्वटी भागीदारी है। राज्य को, राज्य में स्थित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से भी 12 % मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड अपनी आवश्यकता की पूर्ति उपरोक्त साधनों, अपने जल विद्युत स्टेशनों तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड एवं भागीदारी वाले अन्य उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त विद्युत के द्वारा करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1099 युनिट थी जो 2014-15 के दौरान 2011 की जनगणना डाटा अनुसार बढ़कर 1136 युनिट हो गई इस प्रकार इसमें 3.37% की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में लगभग 59% विद्युत उपयोग उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसके पश्चात् घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 24% विद्युत का उपयोग किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान वर्गों के अनुसार ऊर्जा के उपयोग तथा वृद्धि दर का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ग	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14		वित्त वर्ष 2014-15		वित्त वर्ष 2015-16
	खपत (मि. यु)	खपत (मि. यु)	वृद्धि दर	खपत (मि. यु)	वृद्धि दर	खपत (मि. यु)
घरेलू	1618.45	1774.497	9.64%	1871.536	5.47%	1942.223
गैर घरेलू गैर वाणिज्यिक के	106.82	117.59	10.08%	128.495	9.66%	129.860
वाणिज्यिक	408.73	450.942	10.33%	468.38	3.87%	492.617
सार्वजनिक रोशनी	13.91	12.454	- 10.47%	13.247	6.37%	13.033
लघु विद्युत	61.48	59.069	-3.92%	70.513	19.37%	90.486
मध्यम विद्युत	144.69	144.069	-0.43%	137.317	-4.69%	119.889
वृहद् आपूर्ति	4173.16	4287.579	2.74%	4386.116	2.30%	4393.426
जल पम्पिंग तथा सिंचाई आपूर्ति	500.60	512.041	2.29%	541.877	5.83%	246.328
अस्थायी	25.9	26.895	3.84%	25.502	-5.18%	29.257
कृषि	—	—	-	—	-	51.646
बहुल आपूर्ति	169.78	150.696	- 11.24%	154.755	2.69%	141.820

कुल ऊर्जा विक्रय	7223.52	7535.832	4.32%	7798. 197	3.48%	7951.086
------------------	---------	----------	-------	--------------	-------	----------

अध्याय—10

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

वर्ष 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका अनुच्छेद-1 पर दर्शाई है।

अध्याय—11

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक

11.1 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कुल वेतन का विवरण, 31-03-16 अथवा उनके द्वारा आयोग में अन्तिम मास तक कार्य करने की स्थिति के अनुसार **अनुच्छेद-II** पर दिया गया है।

11.2 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकार द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी वर्ग के लिए अनुमोदित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके बारे में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड पर आधारित वेतनमान सरकार द्वारा संरक्षित किए गये हों। तथापि हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से आयोग द्वारा स्केन्डमेन्ट आधार पर लिए गये कर्मचारियों, जिनके वेतनमान तथा भत्ते हिमाचल प्रदेश सरकार से पृथक हैं के सम्बन्ध में वही वेतनमान तथा भत्ते दिए जा रहे हैं जो कि उन्हें अपने सम्बन्धित संगठनों में देय थे।

अध्याय—12

आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु अपनाए अथवा धारित नियम, विनियम, नियमावलियां निर्देशन तथा अभिलेख

12.1 नियम, विनियम तथा निर्देशन

आयोग तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने दैनिक कार्यों के निर्वहन हेतु अपनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिनियम, नियम तथा विनियम निम्न हैं :-

1. विद्युत अधिनियम, 2003

2. विद्युत नियम, 2005
3. विद्युत नीति
4. शुल्क नीति
5. सी. ई. आर. सी. विनियम तथा आदेश
6. आयोग द्वारा वर्ष के दौरान समय-समय पर बनाए गए विभिन्न विनियम/संशोधन/अन्य अधिसूचनाएं/आदेश, आयोग द्वारा अब तक जारी समस्त विनियम, अधिसूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
7. नागरिक प्रक्रिया कोड।
8. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (निधि निर्माण निधि प्रयोज्यता तथा बजट निर्माण के लिए फार्म तथा समय) नियम, 2007
9. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों स्थापना मामलों आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी नियम, निर्देश/परिपत्र।

12.2 नियमावली तथा रिकार्ड आदि

उपरोक्त वर्णित नियमों तथा विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शिका/आदेश/धारणा— पत्र भी जारी किए गये हैं :—

1. लोड फोरकास्ट, संसाधन योजना तथा विद्युत प्रापण प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शन।
2. हि0प्र0 राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु निर्देश, 2005
3. हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग खुली पँहुच प्रभार निर्धारण आदेश, 2008
4. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अन्तर राज्यीय ट्रेडिंग मार्जिन निर्धारण आदेश, 2008
5. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड इन्टर एक्टिव फोटो बोल्टिक तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एम एन आर ई दिशा निर्देशों के अधीन पात्र) के लिए शुल्क, 2009
6. हि0प्र0 राज्य विद्युत विनियामक आयोग (खुली पँहुच प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
7. नामोदिष्ट राज्य एजेंसी की अधिसूचना।

8. आर पी पी ओ अधिसूचना, कैप्टिव तथा खुली पँहुच वाले उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) उपयोगकर्ता (कर्ताओं) पर लागू।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना की मान्यता हेतु शुल्क तथा प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
10. संयोजन, दीर्घ तथा मध्यम अवधि, अन्तर्राज्यीय खुली पँहुच की स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया।

अध्याय—13

आबंटन तथा लाभान्वितों सहित उपदान कार्यक्रम

उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन इसके कार्यों की परिधि में नहीं आता।

अध्याय—14

रियायत प्राप्तकर्ता, प्रदान किए गये परमिट अथवा अनुज्ञप्ति

आयोग द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी किसी प्रकार की रियायत, परमिट अथवा अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई।

अध्याय—15

आयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना का विवरण

आयोग द्वारा जारी किए गये सभी विनियम/मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा महत्वपूर्ण आदेश इलैक्ट्रानिक माध्यम में रूपान्तरित किए गये हैं जो आयोग की वेबसाइट www.hperc.org पर उपलब्ध हैं।

अध्याय—16

पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग हेतु अनुरक्षित किया गया हो, सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधा

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में जनसाधारण को विस्तृत सूचना तथा सुलभ पहुँच के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट <http://hperc.org> तैयार की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, (कार्य संचालन) 2005 के विनियम 23 के अधीन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का रिकार्ड सम्बन्धित पक्षों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए खुला है बशर्ते कि वे किसी भी समय कार्यवाही के दौरान अथवा आदेशों के पारित

होने पर शुल्क अदा करने तथा आयोग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का अनुपालन करें। उपरोक्त विनियमों के विनियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाने तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर आयोग के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुला नहीं है।

अध्याय—17

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 तथा 9 के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचित जनसूचना अधिकारियों का विवरण

क्रं सं	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या कार्यालय / मोबाइल	आवास
1.	अपीलीय प्राधिकारी			
	श्री अमरजीत सिंह (आई.ए.एस)	सचिव	0177-2621003 94184-46609	0177-2620090
2	जनसूचना अधिकारी			
	सुश्री संगीता नेगी	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	0177-2627907	94184-76598
3	सहायक जन सूचना अधिकारी			
	श्रीमती रमा महाजन	अधीक्षक	0177-2627263	98051-99588

अध्याय—18

आयोग के नियंत्रण अथवा उसके द्वारा धारित दस्तावेजों के वर्ग

आयोग के पास जो दस्तावेज हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :-

- i. आयोग की परिधि में सौंपे गये मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न एजेंसियों तथा उनके उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाएं तथा उन पर जारी किए गये आदेश।
- ii. ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा राज्य सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप-धारा 2 के अधीन कानूनी परामर्श दिया गया हो।
- iii. विभिन्न विनियमों को अन्तिक रूप दिए जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा एतद् सम्बन्धी संशोधन।
- iv. अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामलों के सम्बन्ध में की गई जांच।
- v. आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन, संचारण, थोक तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न अध्ययन, विनियम बनाने, कानूनी तथा तकनीकी सहायता आदि के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्बन्धी पत्राचार।
- vi. बिल, वाऊचर, भुगतान रसीद तथा सम्बन्धित अन्य दस्तावेज।
- vii. वार्षिक लेखा तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रतियां।
- viii. लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्ट।
- ix. कैश बुक, बही खाता आदि।
- x. कर्मचारियों के निजी रिकार्ड तथा सेवा पंजियां।

अनुच्छेद-I

आयोग के कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका दिनांक 31.3.2015

क्रं सं	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष संख्या	आवास दूरभाष संख्या
1.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	अध्यक्ष	2627262	2621077
2.	श्री अमरजीत सिंह	सचिव	2621003	2623291
3.	श्री एस.के. चौहान	कार्यकारी निदेशक (शुल्क)	2627983	94184-79199
4.	श्री एस.के. जोशी	कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	2627978	2625501
5.	श्रीमती रिकू गौतम	निदेशक	2627908	98166-36890
6.	श्री अजय चड्ढा	संयुक्त निदेशक	2627907	2657452
7.	श्री प्रदीप चौहान	संयुक्त सचिव (शुल्क)	2627907	94184-50992
8.	श्री देविन्द्र शर्मा	उप निदेशक	2627907	98162-37857 94181-34072
9.	श्री संगीता नेगी	का० प्र० अ० व० ले० अ०	2627907	94184-76598
10.	श्री सतीश आर्य	विधि अधिकारी	2627908	94185-15295
11.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	निजी सचिव	2627262	98171-08228
12.	श्री सुशील कश्यप	रीडर	2627908	94181-20556
13.	श्री बी.एस. कंवर	निजी सहायक	2627262	94180-69569
14.	श्रीमती रमा महाजन	अधीक्षक	2627907	98051-99588
15.	श्री राज कुमार शर्मा	अधीक्षक	2627907	94592-65289
16.	श्री दिनेश चौहान	वरिष्ठ सहायक	2627978	94184-62400
17.	श्री रुम सिंह	चालक	-	98160-02465
18.	श्री कुन्दन सिंह	सेवादार	-	91294-22808

अनुच्छेद-II

आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन दिनांक 31.3.2016

क्रं सं	नाम	कुल मासिक वेतन
1.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	1,36,925.00
2.	श्री अमरजीत सिंह, सचिव	0
3.	श्री एस.के. चौहान, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	1,64,327.00
4.	श्री एस.के. जोशी, कार्यकारी निदेशक (शुल्क)	1,57,566.00
5.	श्री अजय चड्ढा, उप निदेशक	1,19,569.00
6.	श्री प्रदीप चौहान, संयुक्त निदेशक	81,217.00
7.	श्री देवेन्द्र शर्मा, उप निदेशक	64,931.00
8.	श्रीमती संगीता नेगी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	47,430.00
9.	श्री सुशील कश्यप, रीडर	75,946.00
10.	श्री सतीश आर्य, विधि अधिकारी	70,341.00
11.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, निजी सचिव	80,158.00
12.	श्री बी.एस. कंवर, निजी सहायक	57,286.00
13.	श्रीमती रमा महाजन, अधीक्षक	52,261.00
14.	श्री राज कुमार शर्मा, अधीक्षक	66,263.00
15.	श्री दिनेश चौहान, वरिष्ठ सहायक	36,678.00
16.	श्री रूम सिंह, चालक	37775
17.	श्री आत्मा राम, चालक	17,573.00
18.	श्री सुरेश चन्द, चालक	22,844.00
19.	श्री कुन्दन, सेवादार	20,549.00

अनुच्छेद-III

01-04-2015 से 31-03-2016 तक कर्मचारी वर्ग का विवरण

क्रं सं	नाम तथा पदनाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि	नियुक्ति की विधि
1.	श्री सुभाष सी. नेगी, अध्यक्ष	01-02-11 से 20.09.15	सरकार द्वारा नियुक्त
2.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी, अध्यक्ष	01.10.2015	सरकार द्वारा नियुक्त
3.	डॉ० मान सिंह, (एच.ए.एस) सचिव	21.08.12 से 28.10.15	हिमाचल प्रदेश सरकार के स्थानांतरण पर
4.	श्री अमरजीत सिंह, (एच.ए.एस), सचिव	28.10.15 से 25.04.16	हिमाचल प्रदेश सरकार के स्थानांतरण पर
5.	श्री कामेश्वर सिंह, (एच.ए.एस), सचिव	28.04.16	हिमाचल प्रदेश सरकार के स्थानांतरण पर
6.	श्री एन.के. जोशी, कार्यपालक निदेशक (शुल्क)	03.02.11	हि0प्र0रा0बि0बोर्ड से सैकेंडमेंट पर
7.	श्री एस.के. चौहान कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)	15.06.15	हि0प्र0रा0बि0बोर्ड से सैकेंडमेंट पर
8.	श्री बलजीत सिंह नेगी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)	24.04.15 से 30.04.15	हि0प्र0 रा0बि0बोर्ड से सैकेंडमेंट पर
9.	श्री पंकज शर्मा, संयुक्त निदेशक	01.08.12	सैकेंडमेंट आधार पर
10.	श्रीमती रिकू गौतम, संयुक्त निदेशक (टी.ई.)	01.06.2005	अन्तरलयन द्वारा
11.	श्री अजय चड्ढा, निदेशक	23.12.10	अन्तरलयन द्वारा
12.	श्री राकेश चन्द नेगी, उप निदेशक	18.02.14 से 31.03.14	हि0प्र0रा0वि0 बोर्ड से सैकेंडमेंट आधार पर
13.	श्री प्रदीप चौहान, संयुक्त निदेशक	15.06.15	हि0प्र0रा0वि0 बोर्ड से सैकेंडमेंट आधार पर
14.	श्री देवेन्द्र शर्मा, संयुक्त निदेशक	04.12.15	हि0प्र0रा0वि0 बोर्ड से सैकेंडमेंट आधार पर
15.	श्री जे.एस. रेटका, पी.ए.ओ.	17.11.04	कमीशन संवर्ग से

16.	श्री दिवाकर शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	14.01.14 से 29.05.15	हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
17.	श्रीमती संगीता नेगी, वरिष्ठ ए.ओ.	18.04.15	अन्तरलयन द्वारा
18.	श्री सतीश कुमार आर्य, विधि अधिकारी	01.02.16	कमीशन केडर
19.	श्री मोहन सिंह ठाकुर, निजी सचिव	22.02.2001	हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
20.	श्री बी.एस. कंवर, निजी सचिव	30.10.04	कमीशन केडर
21.	श्री सुशील कश्यप, रीडर	30.10.04	कमीशन केडर
22.	श्रीमती रमा महाजन, अधीक्षक	30.10.04	कमीशन केडर
23.	श्री कमल दिलैक, अधीक्षक	30.10.04	कमीशन केडर
24.	श्री राज कुमार, अधीक्षक	25.09.09	कमीशन केडर
25.	श्रीमती रेनु वत्स, वरिष्ठ आशुटकक	17.07.13	कमीशन केडर
26.	श्री दिनेश चौहान, वरिष्ठ सहायक	18.07.13	कमीशन केडर
27.	श्री रूम सिंह, चालक	14.07.09	कमीशन केडर
28.	श्री कुन्दन सिंह, सेवादार	07.11.13	कमीशन केडर

अनुच्छेद-IV

आयोग की राज्य परामर्श-समिति के सदस्य

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव (एम.पी.पी. एण्ड पावर), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2.	प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
3.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक नं० 14, सी.जी. ओ. कम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003, फ़ैक्स: 011-29367413
4.	निदेशक, ऊर्जा निदेशालय, फेस-3, सैक्टर-5, शांति भवन, न्यू शिमला-09, हि०प्र०
5.	अध्यक्ष, हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, विद्युत भवन, शिमला-171004
6.	प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड, सीमित, हि०प्र० विद्युत भवन, शिमला-04
7.	प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० ऊर्जा संचारण निगम, बीरोवालिया हाऊस, खलिनी, शिमला-02
8.	प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० ऊर्जा, निगम, सीमित, हिमफैड भवन, बिलो ओल्ड एम.एल.ए. क्वार्टर, पांजरी, शिमला-171005
9.	निदेशक (कार्मिक) सतलुज जल विद्युत निगम सीमित, हिमफैड भवन, न्यू शिमला-171009
10.	श्री राजेश कुमार मेंहदी रचा, निदेशक, विपणन विकास एवं मैबरशिप इंडिया एनर्जी एक्सचेंज सीमित-100ए/1, ग्राऊंड फ्लॉर, कैपिटल कोर्ट पालमे मार्ग के सामने, मुनिरका, नई दिल्ली-110067, फोन 011-43004000 (फैक्स नं० 430004015)
11.	श्री पी.एन भारद्वाज, उपभोक्ता प्रतिनिधि, हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग, आर्कडिया, डाकघर धर्मपुर, जिला सोलन (हि०प्र०) 173209
12.	प्र० एवं विभागाध्यक्ष सेंटर फार एक्सीलेंस इन एनर्जी एण्ड एनवायरमेंट नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर-177005 (हि०प्र०)
13.	प्रमुख अभियन्ता, आई.पी.एच, हि०प्र० सरकार, यू.एस. क्लब, शिमला-171001
14.	निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, शिमला-171005
15.	कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज (सी.आई.आई) हि०प्र० काउंसिल सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़-160030
16.	अध्यक्ष, पी.एच.डी.सी.सी.आई., हिमाचल प्रदेश कमेटी कक्ष नं० 205 उद्योग भवन शिमला-01
17.	अध्यक्ष शिमला होटल एवं रैस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा होटल शिवालिक, रिज शिमला (हि०प्र०)
18.	संयोजक, हिमाचल प्रदेश लघु विद्युत ऊर्जा एसोसिएशन, बी-99, सैक्टर-3, न्यू शिमला-171009 (हि०प्र०)
19.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमऊर्जा, एस.डी.ए. कंप्लैक्स, कसुम्पटी शिमला-171009